



कृषकीय

ग्रामीण विकास को समर्पित


वर्ष 61

अंक : 08

पृष्ठ : 52

जून 2015

मूल्य: ₹10




- कृषि संबंधी नीतियां और कार्यक्रम
- ग्रामीण पर्यटन के विविध आयाम
 - सामाजिक सुरक्षा योजनाएं
 - सांसद आदर्श ग्राम योजना
 - मृदा स्वास्थ्य कार्ड

कृषि क्षेत्र में नई पहल

- कृषि अनुसंधान के दो मंत्रों पर जोर—‘कम जमीन, कम समय, ज्यादा उपज’ और ‘प्रति बूंद अधिक उपज’।
- दो विशिष्ट कृषि अनुसंधान संस्थानों की असम और झारखण्ड राज्यों में स्थापना की घोषणा।
- देश में कृषि शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता को समझते हुए आंध्र प्रदेश और राजस्थान में दो नए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना का निर्णय।
- देश में फल एवं सब्जी की बढ़ती मांग को देखते हुए तेलंगाना और हरियाणा में दो नए बागवानी विश्वविद्यालयों की स्थापना।
- कृषि और बागवानी के इन 4 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए वर्ष 2014–15 में प्रारम्भिक तौर पर 200 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित तकनीकी शोध एवं अनुसंधान कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए झारखण्ड के रांची में एक नए कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की आधारशिला रखी गई। प्रारम्भिक तौर पर 287 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान।
- पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के अंतर्गत छह नए कृषि महाविद्यालय खोलने तथा इसके विकास के लिए 788 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित।
- बुंदेलखण्ड क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के तहत चार महाविद्यालयों की स्थापना। झांसी में दो—कृषि और बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय तथा मध्य प्रदेश के बुंदेलखण्ड में दो—पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान और मात्रियकी विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना।
- इस वर्ष देश के विभिन्न भागों में मानसून में देरी के कारण सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाओं का क्रियान्वयन।
- पिछले छह माह में 48 नई किस्में जारी की गई जिसमें अनाज की 34, तिलहन की 4, दलहन की 6 तथा चारा और गन्ने प्रत्येक की दो—दो किस्में जारी की गई।
- ‘मेरा गांव, मेरा गौरव’ नामक नई योजना के अंतर्गत देश के कृषि विशेषज्ञों को शामिल करके गांव में वैज्ञानिक कृषि का प्रभावी रूप से उपयोग करने की पहल। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक वैज्ञानिक द्वारा एक गांव की पहचान कर किसानों को नियमित रूप से सूचना, ज्ञान एवं परामर्शी सुविधा प्रदान कर प्रोत्साहित करना है।
- आजीविका के लिए शहरों की ओर युवाओं के बढ़ते पलायन को रोकने के लिए ‘आर्या’ नामक विशेष कार्यक्रम। इसके जरिए देश में ग्रामीण क्षेत्रों में 35 वर्ष से कम आयु के युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने तथा उन्हें कृषि में आकर्षक अवसर प्रदान करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- ‘किसान की द्वार विज्ञान’ पहल के तहत ‘कृषि डाक’ नामक अनूठी योजना के द्वारा दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले कृषकों को खाद्यान्नों एवं सब्जियों की उन्नत किस्मों के बीज डाकपालों द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। फिलहाल यह योजना 14 प्रदेशों के 100 जिलों में लागू की जा रही है।
- मेघालय के बड़ापानी में एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना।
- कृषि एवं पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने हेतु 1600 करोड़ रुपये से अधिक परिव्यय के साथ कंसोर्टिया अनुसंधान प्लेटफार्मों का प्रस्ताव।
- विश्व बैंक की सहायता से देश में कृषि शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपये की लागत से एक नई परियोजना शुरू।

(कृषि मंत्रालय की ई-बुक)



कुरुक्षेत्र



कुरुक्षेत्र



वर्ष : 61 ★ मासिक अंक : 08 ★ पृष्ठ : 52 ★ ज्येष्ठ-आषाढ़ 1937★जून 2015

प्रधान संपादक

दीपिका कच्छल

वरिष्ठ संपादक

कैलाश चन्द्र मीना

संपादक

ललिता खुराना

संपादकीय पत्र—व्यवहार

वरिष्ठ संपादक,

कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सूचना भवन, सी.जी.ओ. काप्पलेक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली—110 003

दूरभाष : 24365925

वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in

ई—मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक

विनोद कुमार मीना

व्यापार प्रबंधक

सूर्यकांत शर्मा

दूरभाष : 011—2610 0207, फैक्स : 2610 0207

ई—मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण

आशा सक्सेना

सज्जा

आशीष कण्ठवाल

मूल्य एक प्रति : 10 रुपये

वार्षिक शुल्क : 100 रुपये

द्विवार्षिक : 180 रुपये

त्रिवार्षिक : 250 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

सार्क देशों में : 530 रुपये (वार्षिक)

अन्य देशों में : 730 रुपये (वार्षिक)

छक्का अंक में

किसानों की समृद्धि के नित नए प्रयास

मनोज श्रीवास्तव

5

जन-धन से जन सुरक्षा : बीमा व
पेंशन की त्रिआयामी पहल

शशिर सिंहा

12

सांसद आदर्श ग्राम योजना से निखरेंगे गांव

सुधांशु सिंह

17

वर्ष 2014-15 में शुरू की गई¹
प्रमुख योजनाएं

अग्रिलेश चंद्र

21

हुनरमंद बनेंगे भारतीय नौजवान

कुसुमलता सिंह

24

अब बेटी भी खुल के बोलेंगी

उमाशंकर मिश्र

28

ग्रामीण पर्यटन के बढ़ते कदम

अग्रिलेश आर्योद्धु

31

पर्यटकों को आकर्षित करता ग्रामीण पर्यटन

सविता कुमारी

35

गांवों में उभरता अतुल्य भारत

सुभाष सेतिया

39

मृदा स्वास्थ्य कार्ड : वक्त की जरूरत

डॉ. वीरेन्द्र कुमार

42

पूरे देश के लिए नज़ीर बना जयापुर गांव

नवनीत रंजन

47

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड-4, लेवल-7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110 066 से पत्र—व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड-4, लेवल-7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों में किए गए दावों की जांच कर ले। 'कुरुक्षेत्र' पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए उत्तरदायी नहीं है।

त्रिप्पारुक्तीय

देश जैसे—जैसे विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है वैसे—वैसे गांवों का भी निरंतर विकास हो रहा है। किन्तु विकास के साथ—साथ हमारे समाज में पारिवारिक और सामाजिक ढांचे में आ रहे बदलावों के कारण स्वाभाविक सुरक्षा धीरे—धीरे कमज़ोर पड़ती जा रही है। इसके चलते बड़ी संख्या में लोग अपरिहार्य कारणों के चलते असहाय और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

बदलते परिदृश्य में लोगों को सामाजिक सुरक्षा की जरूरत को महसूस करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए हर भारतीय नागरिक के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की घोषणा की है। 9 मई, 2015 को प्रधानमंत्री ने कोलकाता से सामाजिक सुरक्षा की तीन योजनाएं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की शुरुआत की। देश भर में 115 स्थानों से इन योजनाओं की शुरुआत एक साथ की गई। इनमें से दो योजनाएं बीमा से जुड़ी हैं और एक पेंशन से। उम्मीद है कि इन तीन योजनाओं से निर्धन और जरूरतमंद लोगों के बीच बढ़ती असुरक्षा को दूर करने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री जन—धन योजना के सहारे वित्तीय समावेशन एक जून, 2015 से एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। पहले दौर में जहां ज़ोर हर किसी को बैंक तक पहुंचाने का था वहीं अब इस दौर में कोशिश बैंक पहुंचे लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। पहले दौर में दुर्घटना और जीवन बीमा को नए खाते के साथ बगैर किसी शुल्क के मुहैया कराया गया वहीं अब मामूली शुल्क पर जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और पेंशन की सुविधा मिलेगी। वैसे तो किसान कभी सेवानिवृत्त नहीं होता फिर भी किसानी करने वाले उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां उन्हें नौकरीपेशा लोगों की तरह पेंशन जैसी सुविधा की दरकार होती है। ऐसी ही सोच के साथ ये सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लाई गई हैं। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण सुविधा भी मुहैया करायी जा रही है। औषधीय खेती के लिए भी ऋण का प्रावधान किया गया है।

केन्द्र सरकार की ओर से किसानों की समृद्धि के लिए लगातार नए प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को नित नई योजनाओं से जोड़ा जा रहा है और साथ ही पहले से चल रही योजनाओं को भरपूर बजट मुहैया कराते हुए किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार कृषि अनुसंधान, ज्यादा उपज और प्रति बूंद अधिक फसल पर जोर दे रही है। किसानों के लिए 'किसान के द्वारा विज्ञान' पहल के तहत एक तरफ खाद्यान्नों की नई—नई किस्में विकसित की जा रही हैं जिससे पैदावार बढ़ाई जा सके। तो दूसरी तरफ 'कृषि डाक' योजना के तहत खाद्यान्नों एवं सब्जियों के उन्नत बीज दूरदराज के किसानों के दरवाजे तक पहुंचाने का काम डाकपालों द्वारा किया जा रहा है। पिछले छह माह में 48 नई किस्में जारी की गई।

कृषि शिक्षा और अनुसंधान के महत्व को समझते हुए सरकार का जोर नए कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के साथ किसानों को प्रशिक्षित करने पर भी है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि भारतीय किसान भी विदेशी तकनीक सीखकर कम लागत में अधिक मुनाफा कमाएं। केंद्र सरकार की कोशिश है कि भारत के सीमांत और लघु किसानों को सहायता प्रदान करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके साथ ही सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए व्यापक कार्यक्रम, पशुओं की स्वदेशी नस्ल को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्थाओं तक पहुंच कायम करने के लिए सहकारी समितियों और किसान संगठनों पर जोर देना शामिल है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना केन्द्र सरकार की एक अन्य महत्वपूर्ण योजना है। देश के सभी गांवों को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से 11 अक्टूबर, 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य गांवों और वहां के लोगों में उन मूल्यों को स्थापित करना है जिससे वे स्वयं के जीवन में सुधार कर दूसरों के लिए एक आदर्श बन सकें।

बाल लिंग अनुपात में सुधार के लिए एक तरफ 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना शुरू की गई है तो दूसरी तरफ बालिकाओं की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'सुकन्या समृद्धि खाता' योजना शुरू की गई। शहरों के विकास के लिए जहां हृदय (राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन) योजना शुरू की गई है वहीं ग्रामीण पर्यटन पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार का उद्देश्य गांवों को नए पर्यटन क्षेत्रों से जोड़ना और लोगों को इसके माध्यम से रोजगार मुहैया कराना है। गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने से एक तरफ वहां रोजगार पैदा होंगे तो दूसरी तरफ समुचित सुविधाओं का भी साथ—साथ विकास होगा। संक्षेप में, गांवों को स्वच्छ—सुंदर और संपूर्ण इकाई के रूप में देखने का जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था, केंद्र सरकार उसी सपने को साकार करने की दिशा में जी—जान से जुटी है।

उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे वाले समय में गांव एक 'आदर्श एवं स्वावलम्बी इकाई' के रूप में विकसित होंगे जिससे गांवों के साथ—साथ देश का भी विकास होगा और भारत नई बुलंदियां छुएगा।



किसानों की समृद्धि के नित नए प्रयास

— मनोज श्रीवास्तव

भारत के किसानों को समृद्धि बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। एक साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिनके लिए किसान लंबे समय से मांग कर रहे थे। पहले से चलने वाली योजनाओं को संवागने के साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सहित चालू की गई अन्य योजनाओं ने किसानों को ताकत दी है। सूखे से कराहते किसानों का दर्द जानने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रभावित गांवों में टीमें भेजी ताकि कोई भी किसान अपने को अकेला न महसूस करे। प्रधानमंत्री की इस पहल का नतीजा है कि हर किसान को नुकसान के अनुरूप मुआवजा मिल रहा है। प्रकृति की मार से परेशान किसान फिर से खड़े होने को बेताब हैं।

केंद्र सरकार की ओर से किसानों की समृद्धि के लिए लगातार नए प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को नई—नई योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। साथ ही पहले से चल रही योजनाओं को भरपूर बजट मुहैया कराते हुए किसानों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि जब तक देश के किसान समृद्धि और खुशहाल नहीं होंगे तब तक भारत में पूर्ण समृद्धि नहीं आ सकती है। इसी वजह से केंद्र सरकार ने अपने पहले बजट में जहां किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के तमाम प्रावधान किए वहीं अन्य योजनाओं के लिए भी पर्याप्त बजट का इंतजाम किया। करीब एक साल के कार्यकाल में केंद्र सरकार अपनी

कल्याणकारी योजनाओं के जरिए किसानों की समृद्धि हेतु भी प्रयासरत है। कृषि के जरिए न सिर्फ हमें अनाज मिलता है बल्कि मेहनती हाथों को काम भी मिलता है। ऐसी स्थिति में खेती के क्षेत्र में जितनी अधिक तरकी होगी, उसी अनुपात में देश की तरकी की गति भी बढ़ेगी।

पिछले दिनों कई प्रदेशों में ओलावृष्टि एवं बेमौसम की बारिश से भारी तबाही मची। किसानों की इस तबाही को केंद्र सरकार ने काफी गंभीरता से लिया। नए सिरे से सर्वे कराए गए। यदि हम 24 अप्रैल, 2015 की राज्यवार ओलावृष्टि के आंकड़ों को देखें तो देश में अब कुल मिलाकर 189.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के प्रभावित होने का अनुमान लगाया गया है। ऐसी स्थिति में केंद्र





सरकार ने प्रभावित राज्यों के लिए विशेष टीमें गठित कर वहां का स्थलीय सर्वे भी कराया है ताकि संबंधित राज्यों को उसी हिसाब से मुआवजा दिलाया जा सके। हालांकि ओलावृष्टि से हुए नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से किसानों को राहत देने के लिए तमाम प्रयास तत्काल शुरू कर दिए गए।

इसी के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दो प्रमुख घोषणाएं की हैं। इसके तहत उन्होंने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) से किसानों को दी जाने वाली राहत में 50 फीसदी की वृद्धि कर दी है। इसके साथ ही न्यूनतम क्षतिग्रस्त फसल क्षेत्र के आकार को मौजूदा 50 फीसदी से घटाकर 33 फीसदी के स्तर पर ला दिया है। इससे ओलावृष्टि से कराह रहे किसानों को काफी लाभ मिला है। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद कृषि मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस संबंध में निर्देश जारी कर

दिया है। इसके तहत मुआवजा राशि कम पड़ने पर राज्यों को अपने प्रदेश के आकस्मिक कोष के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। कृषि मंत्रालय ने कृषि बीमा योजनाओं के तहत दावों के त्वरित निपटान के लिए भी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है। राज्य-स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकें आयोजित कर फसल ऋणों की पुनर्संरचना समय पर सुनिश्चित करने के लिए भी राज्यों को निर्देशित किया गया। इसके साथ ही ऋण पुनर्भुगतान अवधि को भी एक साल बढ़ाने की बात कही गई है।

इसी तरह बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत कृषि मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर प्याज तथा आलू की क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन करने और संबंधित दिशा-निर्देशों के मुताबिक प्रस्ताव भेजने को कहा है। दरअसल प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, ओलावृष्टि, कीटों के हमले और

सफलता के नए सोपान रचते कृषि विज्ञान केन्द्र

आज देशभर में कृषि की बेहतरी में कृषि विज्ञान केन्द्र महती भूमिका निभा रहे हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित की गई हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा किसानों के खेतों पर लगभग 26,189 परीक्षण; 98,192 प्रदर्शन; 12.34 लाख कृषक, ग्रामीण युवा एवं प्रसार कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण; 106.6 लाख प्रसार गतिविधियों का आयोजन; 10,859.6 टन बीज का उत्पादन; तथा 285 लाख पौध सामग्री का वितरण किया गया।

इन उपलब्धियों के बावजूद कृषि विज्ञान केन्द्रों की कार्यप्रणाली में कुछ विसंगतियां भी जिन्हें दूर करने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग के पूर्व सचिव श्री जे.एन.एल. श्रीवास्तव, आईएएस की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था जिसने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं जिन पर सरकार द्वारा आवश्क कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:—

- कृषि विज्ञान केन्द्रों को और अधिक प्रासंगिक और प्रगतिशील बनाने सहित सुदृढ़ करना तथा महत्वपूर्ण सुविधाओं जैसे मृदा एवं जल विश्लेषण की सुविधा, एकीकृत कृषि प्रणाली, सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयां, बेहतर बीज उत्पादन एवं प्रसंस्करण, जल संचयन और लघु सिंचाई, बिजली की उपलब्धता को सुनिश्चित करना/सौर ऊर्जा का बैकअप;
- व्यवस्थित रूप से नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन सहित तीसरे पक्ष का मूल्यांकन;
- कृषि विज्ञान केन्द्र हेतु केवल उसी संस्था को स्वीकृति दी जाए जिस संस्था को कृषि के क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष कार्य करने का अनुभव हो और कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए दी जाने वाली भूमि को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पक्ष में लीज पर रखना होगा;
- कृषि विज्ञान केन्द्रों की नियुक्तियों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधि को रखना अनिवार्य किया जाए जिससे चयन प्रक्रिया पारदर्शी हो सके;
- जिला-स्तर पर कृषि से जुड़े विभिन्न सरकारी विभागों की संयुक्त कार्ययोजना बनाई जाए और त्रैमासिक बैठक जिला अधिकारी के नेतृत्व में आयोजित कर कृषि कार्यक्रमों की समीक्षा की जाए।

इस समय देशभर में स्थित कुल 676 जिलों में से 596 जिलों में 642 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। इसी क्रम में कृषि विज्ञान केन्द्रों में स्टाफ की संख्या को बढ़ाने; तथा ज़ोनल परियोजना निदेशालयों की संख्या को 8 से बढ़ाकर 11 करने और उनमें स्टाफ की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है। साथ ही, कृषि विज्ञान केन्द्रों में मौजूदा सुविधाओं का विस्तार किया जाना भी प्रस्तावित है जिसकी पहल की जा चुकी है।

(पसूका से साभार)



पाला/शीतलहर से उपजने वाली स्थितियों से निपटने के लिए राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) से आवश्यक राहत मुहैया कराने का अधिकार राज्य सरकारों को प्राप्त है। वे इस कोष से किसानों को मदद कर सकती हैं। भारत सरकार ने अग्रिम तौर पर एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त के रूप में 2015–16 के लिए संबंधित अवधि के दौरान राजस्थान के लिए 413.50 करोड़ रुपये, जम्मू-कश्मीर के लिए 114.50 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश के लिए 253.125 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

प्राकृतिक आपदा आने पर कृषि एवं बागवानी फसलों का नुकसान होने की स्थिति में राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) व राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से किसानों को सहायता देने का प्रावधान है। यह सहायता वर्षा आधारित फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर 4500 रुपये, सिंचित फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर 9000 रुपये दी जाती है। हालांकि उसमें यह भी प्रावधान है कि यह सहायता 750 रुपये से कम न हो। बारहमासी फसलों के लिए 1200 रुपये प्रति हेक्टेयर है। यह बुआई क्षेत्र में 1500 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए जहां नुकसान 50 प्रतिशत और उससे अधिक है।

केंद्र सरकार की ओर से न सिर्फ किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जा रहा है बल्कि उन्हें तकनीकी रूप से भी समृद्ध बनाया जा रहा है। किसानों को फसल उत्पादन के लिए प्रशिक्षण देने की भी माकूल व्यवस्था की गई है। आईसीएआर संस्थान व कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए किसानों को परंपरागत खेती के अलावा औषधीय और तकनीकी खेती के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। विपणन केंद्रों व उत्पादन केंद्रों के बीच परिवहन की कमी को दूर करने के लिए सरकार उपरोक्त योजनाओं के अलावा भी कई तरह के अन्य उपाय कर रही है जिसमें राज्यों के विपणन कानूनों में संशोधन की वकालत करना ताकि उत्पादन स्थल के निकट ही संग्रहण केंद्र/खरीद केंद्रों का विकास निजी व सहकारिता के आधार पर किया जा सके। देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने अनुसंधान संस्थानों और अखिल भारतीय समन्वित विकास परियोजनाओं (एआईसीआरपी) के माध्यम से गेहूं, चावल, मक्का, जई, चारा फसलों, तिलहनों, दालों, गन्ना, कपास, रेशा और बागवानी फसलों में अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़ और पुनर्गठित किया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए 16 अनुसंधान मंचों के संघ समेत कृषि में उच्च गुणवत्ता के अनुसंधान को बढ़ावा देना है।

इसी तरह केंद्र सरकार का जोर मिट्टी को स्वस्थ बनाने पर भी है। केंद्र सरकार चाहती है कि किसानों के खेत की मिट्टी

स्वस्थ रहे, ताकि किसान अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। इसके लिए सरकार की ओर से देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसानों को मृदा में पोषक तत्वों के विषय में तथा इन तत्वों की कमी को दूर कर, मृदा के स्वास्थ्य में सुधार लाने और इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए पोषक तत्वों की उचित मात्रा की अनुशंसाओं को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इस कार्यक्रम के तहत नियमित तौर पर 3 वर्ष में एक बार देश के सभी खेतों के मृदा-स्वास्थ्य स्तर का मूल्यांकन करने की योजना है ताकि मृदा में पोषक तत्वों की कमियों को चिन्हित कर आवश्यक सुधार किए जा सके।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

भारत में एक बड़ी समस्या सिंचाई की है। अभी भी तमाम प्रदेशों में सिंचाई की माकूल व्यवस्था न होने की वजह से जमीन का एक बड़ा हिस्सा खाली पड़ा रहता है। इस हिस्से में भी फसल लहलहाने लगे, इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रयास की दिशा में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) शुरू की गई है। पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन के लिए पूरे देश में बजट घोषणा में 2015–16 के लिए 4300 करोड़ रुपये तथा जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय के बजट में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) हेतु 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके तहत किसानों को सालभर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की सुविधा मुहैया कराने की योजना है। देश की आधी से ज्यादा जमीन पर खेती सिर्फ भगवान के भरोसे होती है, यानी सिंचाई वर्षा पर आधारित है। इस तरह की जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलने की वजह से फसल उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इस तरह की समस्याओं से निपटने में कारगर साबित हो सकती है।

किसानों की मदद के लिए ऋण

केंद्र सरकार की ओर से किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण सुविधा भी मुहैया करायी जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा औषधीय खेती के लिए भी ऋण का प्रावधान किया गया है। बजट में वित्तमंत्री ने 2015–16 के दौरान 8.5 करोड़ रुपये के कृषि ऋण का लक्ष्य रखा है। उन्होंने 2015–16 में नाबार्ड में स्थापित ग्रामीण और संरचना विकास कोष की निधियों में 25000 करोड़ रुपये, दीर्घकालिक ग्रामीण ऋण कोष में 15000 करोड़ रुपये, अल्पावधिक सहकारी ग्रामीण ऋण पुनर्वित निधि हेतु 45000 करोड़ रुपये और अल्पावधिक आरआरबी पुनर्वित निधि के लिए 15000 करोड़ रुपये आवंटित किया है।



कृषि क्षेत्र में विदेशी सहयोग की बढ़ोतरी

केंद्र सरकार की कोशिश है कि भारतीय किसान भी विदेशी तकनीक सीखकर कम लागत में अधिक मुनाफा कमाएं। केंद्र सरकार की कोशिश है कि भारत के सीमांत और लघु किसानों को सहायता प्रदान करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके साथ ही सिंचाई, मृदा उर्वरा कार्ड के लिए व्यापक कार्यक्रम, पशुओं की स्वदेशी नस्ल को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्थाओं तक पहुंच कायम करने के लिए सहकारी समितियों और किसान संगठनों पर जोर देना शामिल है। इसके तहत भारत ने नीदरलैंड से कई पहलुओं पर समझौता किया है। विभिन्न एक्सीलेंसी सेंटरों की स्थापना की जा रही है जहां पर भारतीय कृषि विज्ञानियों के साथ ही नीदरलैंड के विज्ञानी भी किसानों को नई—नई तकनीकी की जानकारी देंगे। नीदरलैंड के सहयोग से कृषि के साथ ही दूध उत्पादन, फसल कटाई पश्चात प्रबंधन और शीतशृंखला सुविधा से जुड़ी उच्च प्रौद्योगिकी का विकास किए जाने की तैयारी है। इसके तहत विदेशी टीम का भारत दौरा भी शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले नीदरलैंड के राजदूत ने भारत के कृषि मंत्री से मुलाकात पर इस परियोजना को अमलीजामा पहनाने के लिए बातचीत भी की। इस बातचीत में भारत—नीदरलैंड कृषि कार्ययोजना के अधीन प्रगति की समीक्षा करना, सहकारी शासन प्रारूप और राबो बैंक तथा वैग्नेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ नीदरलैंड के साथ अनुसंधान सहयोग शामिल रहा।

मूल्य स्थिरीकरण निधि

कृषि व सहकारिता विभाग ने केंद्रीय योजना के रूप में 5000 करोड़ रुपये की धनराशि के साथ मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) को मंजूरी दी है। पीएसएफ का इस्तेमाल राज्य

सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों को ब्याज मुक्त अग्रिम ऋण देने में किया जाएगा। इसमें केंद्र एवं राज्य की भागीदारी 50–50 फीसदी रहेगी। जबकि उत्तर—पूर्व के राज्यों में केंद्र की भागीदारी 75 फीसदी एवं राज्य की 25 फीसदी रहेगी। इसका मकसद 2014–15, 2015–16 व 2016–17 के दौरान खराब होने वाले कृषि बागवानी उत्पादों के मूल्य नियंत्रण व विपणन की सहायता करना है। पीएसएफ का इस्तेमाल राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों व केंद्रीय संस्थाओं को उनकी कामकाजी पूंजी की सहायता के लिए ब्याजमुक्त ऋण के रूप में किया जाएगा। इसके अलावा इस तरह के उत्पादों की सरकारी खरीद व वितरण पर भी इसे खर्च किया जाएगा। आरंभिक तौर पर इस निधि का इस्तेमाल केवल प्याज व आलू के लिए प्रस्तावित है। मूल्य स्थिरीकरण

निधि का प्रबंधन केंद्रीय स्तर पर मूल्य स्थिरीकरण निधि प्रबंधन समिति (पीएसएफएमसी) करेगी। यह राज्य सरकारों व केंद्रीय संस्थाओं के सभी प्रस्तावों को मंजूरी देगी। केंद्रीय समूह से निधि दो तरह से जारी होगी, एक, राज्य सरकारों/संघों को उनके प्रस्ताव के आधार पर एकमुश्त अग्रिम भुगतान किया जाएगा और दूसरे, केंद्रीय संस्थाओं को भुगतान किया जाएगा। एसएफएसी द्वारा 2014–15 के लिए केंद्रीय समूह निधि पहले से ही स्थापित कर दी गई है। आलू व प्याज की सरकारी खरीद सीधे किसानों या किसान संगठनों से खेत या मंडी में ही की जाएगी और उसे उपभोक्ताओं को वाजिब मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा।

नारियल का उत्पादन बढ़ाने के लिए योजनाएं

केंद्र सरकार की ओर से नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए भी तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) की ओर से उत्पादन बढ़ाने के लिए गुणवत्ता रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण, उच्च उपज किस्मों के साथ नारियल के तहत क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता सुधार के लिए समेकित खेती और नारियल बागानों का पुनर्रोपण और पुनरुद्धार करा रहा है। मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत भारत सरकार मिलिंग खोपरा, बॉल खोपरा और भूसा रहित पानी वाले नारियल के लिए वार्षिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करती है। सीडीबी द्वारा मूल्य संवर्धित नारियल उत्पादन के बाजार प्रोन्नयन के लिए विक्रय केन्द्रों की स्थापना के लिए उद्यमियों और किसान उत्पादन संगठनों (एफपीओ) को बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के साथ नारियल प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमओसी) स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।



सफलता की बहुलंदियां छूती जैविक खेती



जैविक खेती को बढ़ावा देना समय की मांग एवं जरूरत है। जैविक खेती खेती की पारम्परिक विधि है जिससे न केवल भूमि का स्वास्थ्य सुधारता है बल्कि पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है और पषुपालन को भी बढ़ावा मिलता है। कृषि एवं सहभागिता विभाग की सहभागिता गारंटी स्कीम पीजीएस (पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम) के जरिए किसानों के जैविक उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है।

पीजीएस स्थानीय क्वालिटी आषासन पद्धति है जहां उत्पादक और उपभोक्ता (व्यापारी/थोक विक्रेता सहित) उत्पाद तकनीकों का मूल्यांकन, जांच और सत्यापित / प्रमाणित करते हैं और पीजीएस-इंडिया के प्रतीकचिन्ह (लोगो) और विषिष्ट पहचान संख्या के जरिए अपने उत्पाद बेचते हैं। कृषि विभाग ने ऐसी 55 क्षेत्रीय परिषदों को अधिकृत किया है जो पीजीएस-इंडिया प्रोग्राम के तहत कार्य करती हैं जोकि एक मुफ्त घरेलू जैविक प्रमाणीकरण योजना (आर्गनिक सर्टिफिकेशन स्कीम) है। इस स्कीम के तहत करीब दस हजार किसानों को बिना कोई शुल्क चुकाए जैविक प्रमाणीकरण मिल चुका है।

वायानॉड सोषल सर्विस सोसायटी (डब्ल्यू एस एस) पीजीएस-इंडिया प्रोग्राम के तहत एक अधिकृत क्षेत्रीय परिषद है जो किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने और जैविक खेती को उनके बीच लोकप्रिय बनाने का काम करती है। इसके 12,500 किसान सदस्य हैं। वर्तमान में इस संस्था के मसालों, सब्जियों और औषधीय पौधों के 26 जैविक उत्पाद भारत और विदेशों में बेचे जाते हैं। इस पहल से जैविक उत्पादों पर 5 से 200 प्रतिष्ठित तक ज्यादा मूल्य मिल रहा है।

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बैंगलुरु की एसोसिएशन एपीओएफ (एसोसिएशन फार प्रमोशन ॲफ आर्गनिक फार्मिंग) पीजीएस-इंडिया की अन्य अधिकृत क्षेत्रीय परिषद है जिससे 50 कृषक जुड़े हैं। यह किसान जैविक खेती करते हैं और उत्पादन के विविध पहलुओं पर बातचीत के लिए नियमित तौर पर बैठकें करते हैं। वे सब्जियों की 50 किस्मों का उत्पादन करते हैं और बंगलौर में करीब 18 जैविक आउटलेट्स पर सीधे डिलीवर करते हैं। आर सी ओ एफएस, बंगलौर एपीओएफ और मैसूर ग्रीन एक्सपोर्ट लिमिटेड (पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम के तहत क्षेत्रीय परिषद) के साथ मिलकर सीधे एक्सपोर्ट मार्किट में सब्जियां पहुंचाने में मदद करते हैं। शुरुआत में वे 500 किग्रा सब्जी प्रतिदिन सप्लाई करते थे जो अब बढ़कर 5 टन प्रतिदिन हो गई है। और उनका राजस्व 17,500 रुपये प्रतिदिन से बढ़कर 1,80,000 रुपये प्रतिदिन हो गया है। इस समूह की सफलता को देखकर अन्य पड़ोसी समूह भी पीजीएस कार्यक्रम के लिए नामांकन कराने को लालायित हैं।

(कृषि मंत्रालय की ई-बुक)



रूपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

केंद्र सरकार की ओर से किसानों के हितों को ध्यान में रखकर रूपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके तहत किसानों की विभिन्न समस्याओं का निस्तारण करते हुए संबंधित क्षेत्र में फायदेमंद खेती कराने की योजना है। इसके तहत वर्ष 2010–11 और 2011–12 के लिए 358 करोड़ रुपये खर्च किए गए। रूपांतरित योजना के आरंभ होने से बड़ी संख्या में किसान कृषि उत्पादन में होने वाले जोखिम का प्रबन्धन बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं और कृषि से होने वाली आय को स्थिर रखने में, खासकर प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद होने की स्थिति में सक्षम हुए हैं।

कृषि क्लीनिक और कृषि व्यवसाय केन्द्र योजना

इस योजना के तहत कृषि स्नातकों द्वारा कृषि क्लीनिकों और कृषि व्यवसाय केन्द्रों की स्थापना करना है। इसके तहत नाबार्ड और राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान के सहयोग से कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने देशभर के किसानों को खेती के बेहतर तरीकों की पहचान के लिए अनूठी पहल की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बड़ी संख्या में उपलब्ध कृषि स्नातकों की विशेषज्ञता को उपयोग में लाना है। इस कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाते हुए सरकार ने भी अब कृषि स्नातकों या कृषि से संबद्ध क्षेत्रों बागवानी, रेशम उत्पादन, पशु चिकित्सा विज्ञान, वानिकी, डेयरी, मुर्गीपालन, और मत्स्य पालन आदि में प्रारंभिक प्रशिक्षण देना शुरू किया है। प्रशिक्षण पूरा करने वाले उद्यम के लिए प्रारंभिक ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस केंद्र की स्थापना बैंक ऋण के जरिए भी की जा सकती है।

महिलाओं के लिए अनुकूल कृषि उपकरण

केंद्र सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत निजी क्षेत्र में महिलाओं के लिए अनुकूल यंत्रों व मशीनों समेत सभी कृषि उपकरणों का विनिर्माण हो रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) महिलाओं के लिए अनुकूल उपकरण क्षेत्र में अनुसंधान व तकनीकी नवाचारों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इस उद्देश्य से वर्ष 2011–12 से 2014–15 के दौरान कृषि में श्रम दक्षता (एर्गोनोमिक्स) और सुरक्षा पर ऑल इंडिया कॉर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट को 1026.71 लाख रुपये उपलब्ध करा चुका है। कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन के तहत प्रशिक्षण, प्रदर्शन और वित्तीय सहायता के जरिए महिलाओं के लिए अनुकूल उपकरणों को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिला लाभार्थियों को कृषि मशीन व उपकरण की खरीद के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त वित्तीय सहायता मुहैया करायी जा रही है। राज्य सरकारों को भी उप-मिशन के तहत 30 प्रतिशत आवंटन

महिला किसानों के लिए सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि महिलाओं को इसका लाभ मिलता रहे।

फसल बीमा योजना

प्रकृति की मार से किसानों को बचाने के लिए फसल बीमा योजना चल रही है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाने को कहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ मिल सके। फिलहाल किसानों के लिहाज से कवरेज बढ़ाने और फसल बीमा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (एनसीआईपी) के क्रियान्वयन में भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड (एआईसी) के साथ निजी साधारण बीमा कंपनियों को भी शामिल करने का फैसला किया है। प्राकृतिक आपदा, कीटनाशकों एवं बीमारियों के प्रकोप के चलते किसी अधिसूचित फसल के नष्ट हो जाने की स्थिति में किसानों को बीमा कवर एवं वित्तीय सहायता मुहैया करायी जाती है। हालांकि इसकी शुरुआत वर्ष 1985 में ही हो गई थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ गया है। मौजूदा समय में तकरीबन 65 फसलें बीमा के दायरे में हैं तथा 25 फीसदी से भी ज्यादा फसल क्षेत्र का बीमा किया जाता है। फसल बीमा योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए 10 निजी साधारण बीमा कम्पनियों के नाम सूची में हैं।

ड्रिप सिंचाई

ड्रिप सिंचाई समेत सूक्ष्म सिंचाई को अपनाकर और अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने से सिंचाई का क्षेत्र जल के उसी स्रोत को अपनाकर औसतन 8.41 प्रतिशत बढ़ गया है। परम्परागत सिंचाई में जल का उपयोग 30 से 50 प्रतिशत रहा, जबकि ड्रिप सिंचाई समेत सूक्ष्म सिंचाई के मामले में यह 80 प्रतिशत से 95 प्रतिशत रहा।

सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के घटक के तौर पर ॲन फॉर्म वॉटर मैनेजमेंट के तहत सरकार वित्तीय सहायता मुहैया करा रही है। लघु और सीमांत किसानों के लिए सहायता की दर स्थापना लागत का 35 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक और अन्य किसानों के लिए इसकी स्थापना लागत का 25 प्रतिशत से लेकर 35 प्रतिशत तक रहती है। केन्द्रीय सहायता के अलावा राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसानों को 10 प्रतिशत सहायता मुहैया कराएंगी।

जैविक खेती को बढ़ावा

केंद्र सरकार की ओर से खेती की वजह से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने की दिशा में भी अहम कार्य किया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि किसान कम से कम रासायनिक



खादों का प्रयोग करें। इसके लिए किसानों को जैविक खेती के प्रति आकर्षित करने की तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसका काफी असर भी हुआ है। सरकार की विभिन्न प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं की बदौलत जैविक खेती का रकबा बढ़ रहा है। वर्ष 2003–04 में 42,000 हेक्टेयर जैविक खेती का आंकड़ा था, जो वर्ष 2013–14 में बढ़कर 7.23 लाख हेक्टेयर के करीब पहुंच गया है। इसी तरह सरकार की ओर से परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) भी चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों के समूहों को परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस योजना के तहत जैविक खेती का काम शुरू करने के लिए 50 या उससे ज्यादा ऐसे किसान एक क्लस्टर बनाएंगे, जिनके पास 50 एकड़ भूमि है। तीन वर्षों के दौरान जैविक खेती के तहत 10,000 क्लस्टर बनाए जाएंगे, जो 5 लाख एकड़ के क्षेत्र को

कवर करेंगे। फसलों की पैदावार के लिए बीज खरीदने और उपज को बाजार में पहुंचाने के लिए हर किसान को तीन वर्षों में प्रति एकड़ 20,000 रुपये दिए जाएंगे।

संदर्भ—

- पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार
- लोकसभा में उठाए गए विभिन्न सवालों का कृषि मंत्री द्वारा दिया गया जवाब।
- कृषि विभाग की ओर से समय—समय पर जारी की गई रिपोर्ट।
- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र से प्राप्त जानकारी।

(लेखक कृषि विभाग से जुड़े हैं। खेती—किसानी के समसामयिक विषयों पर नियमित लेखन। जैविक खेती एवं खेती के बदलते स्वरूप पर शोधात्मक अध्ययन)
ई—मेल : manojshriwastav1982@yahoo.in

21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस



21 जून, 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर विश्व भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर, 2014 को भारत के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था।

यह घोषणा भारत की पहल पर ही की गई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 27 सितम्बर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए इस संदर्भ में प्रस्ताव रखा था।

उल्लेखनीय है कि 75 दिन के रिकार्ड समय के भीतर यह प्रस्ताव पारित हो गया। यही नहीं बल्कि यह पहला ऐसा प्रस्ताव है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 177 देश सह—प्रायोजक हैं। विश्वभर में असंख्य लोगों ने योग के महत्व को समझा है और अपने जीवन के एक हिस्से के रूप में अपनाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के निर्णय से विश्वभर में लोगों को योग को अपनाने की प्रेरणा मिलेगी।

भारत सरकार के 'आयुष' मंत्रालय (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी) को इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की जाने वाली विविध गतिविधियों के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।



जन-धन से जन सुरक्षा : बीमा व पेंशन की त्रिआयामी पहल

—शिशिर सिन्हा

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के सहारे वित्तीय समावेशन एक जून से नए दौर में प्रवेश कर रहा है। पहले दौर में जहां जोर द्वारा किसी को बैंक तक पहुंचाने का था, वहीं अब इस दौर में कोशिश बैंक पहुंचे लोगों के आने वाले दिन बेहतर बनाने की है। यहीं नहीं पहले दौर में जहां दुर्घटना और जीवन बीमा को नए खाते के साथ बगैर किसी शुल्क के मुहैया कराया गया, वहीं अब बहुत ही मामूली शुल्क पर जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और पेंशन की सुविधा मिलेगी।

“भारत की जनसंख्या का बड़ा भाग—स्वास्थ्य, दुर्घटना अथवा जीवन—किसी प्रकार के बीमा के बगैर ही है। दुखद है कि जब हमारी युवा पीढ़ी बूढ़ी होगी तो उसके पास कोई पेंशन नहीं होगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना की सफलता से प्रोत्साहित होकर, मैं सभी भारतीयों, विशेषकर गरीबों और वंचितों के लिए कार्यशील सामाजिक नेटवर्क सृजित करने के कार्य का प्रस्ताव करता हूं।” वित्तमंत्री की इस घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री जन-धन योजना के सहारे वित्तीय समावेशन एक जून से नए दौर में प्रवेश कर रहा है। यह सब कुछ उस भारत के लिए है

जहां आबादी का 65 प्रतिशत तो 35 वर्ष से कम उम्र का है ही, वहीं 60 फीसदी से भी ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि में जहां अनिश्चितता चरम पर है, वहीं कृषि पर निर्भर रहने वालों के लिए भी दुर्घटना कहीं भी और कभी भी हो सकती है। वैसे तो किसान कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, फिर भी किसानी करने वाले उम्र के एक ऐसी पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां उन्हे नौकरीपेशा लोगों की तरह पेंशन जैसी सुविधा की दरकार होती है। ऐसी ही कुछ सोच के साथ प्रधानमंत्री जन-धन योजना के प्लेटफॉर्म पर सामाजिक सुरक्षा की तीन नई योजनाएं लोगों के सामने हैं। और हाँ, ये तीनों योजनाएं, गांव और शहर में रहने वाले हर किसी के लिए उपलब्ध हैं। पहली दो योजनाएं बीमा से जुड़ी हैं जबकि तीसरी पेंशन से। पहले बात बीमा की।

बीमा का दायरा बढ़ाने से मुख्य रूप से दो फायदे होंगे। पहला तो बीमित व्यक्ति या उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित होगा, वहीं दूसरी ओर घरेलू बचत में बढ़ोतारी होगी जिससे विभिन्न परियोजनाओं में निवेश के लिए पैसा उपलब्ध हो सकेगा। आज की तारीख में हमारी घरेलू बचत, सकल घरेलू उत्पाद के करीब 30 प्रतिशत के बराबर है। सरकार को उम्मीद है कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के साथ—साथ सार्वजनिक





निवेश में भी बढ़ोतरी होगी जिससे पूरी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।

एक बात और। देश में बीमा निवेश की दर, दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले कम है। राज्यसभा में वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा के एक जवाब से पता चलता है कि 2013 के दौरान 6.3 प्रतिशत के विश्व औसत के मुकाबले देश में यह आंकड़ा 3.9 प्रतिशत था। इसमें जीवन बीमा की हिस्सेदारी 3.1 प्रतिशत और साधारण बीमा की हिस्सेदारी 0.8 प्रतिशत थी। साधारण बीमा से मतलब दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा से है। बीमा निवेश की

दर दरअसल सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में प्रीमियम का अनुपात होता है और ये संकेत देता है कि किस तरह से लोगों को बीमा सुरक्षा मिली हुई है। बीमा क्षेत्र में निवेश का स्तर वस्तुतः अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के स्तर, वित्तीय लिखतों में बचत की मात्रा एवं बीमा क्षेत्र के आकार एवं पहुंच जैसे पहलुओं पर अधिक मात्रा में निर्भर करता है।

जन-जन के लिए जीवन बीमा

जरा सोचिए एक रुपये से भी कम प्रतिदिन की लागत पर दो लाख रुपये की जीवन बीमा सुरक्षा क्या संभव है? जी हाँ,

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की शुरुआत

सामाजिक सुरक्षा की तीन योजनाएं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता का परिणाम हैं जो गरीबों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये अनूठी योजनाएं देश के लाखों गरीब लोगों को सस्ती दरों पर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होंगी।

9 मई, 2015 को कोलकाता से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इन योजनाओं की शुरुआत की। इन योजनाओं को देश भर में एक साथ 115 स्थानों पर आयोजित समारोह में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत सिर्फ 12 रुपये सालाना देकर किसी भी व्यक्ति को 2 लाख रुपये का बीमा प्रदान किया जाएगा। योजना का लाभ 18 से 70 आयु वर्ग के सभी बचत खाताधारक उठा सकते हैं। इस योजना को बैंकों द्वारा जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण और सहकारी बैंक भी शामिल हैं, लागू किया जाएगा।

‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ को भी काफी सोच—समझ कर तैयार किया गया है। इसके तहत 18–50 साल के आयु वर्ग के किसी भी बचत बैंक खाताधारक को 2 लाख रुपये की जीवन बीमा कवर की पेशकश की जा रही है। इसके लिए प्रति वर्ष महज 330 रुपये का भुगतान करना होगा। इस योजना की पेशकश भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) अथवा उन जीवन बीमा कंपनियों के जरिए की जा रही है, जो समान शर्तों पर जीवन बीमा की पेशकश करने की इच्छुक हैं।

जहां तक ‘अटल पेंशन योजना’ का सवाल है, इसके तहत असंगठित क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जिसमें तकरीबन 40 करोड़ कर्मचारी कार्यरत हैं और जो सभी तरह के कर्मचारियों के 80 फीसदी से भी ज्यादा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अटल पेंशन योजना के तहत प्रति माह 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये की तय न्यूनतम पेंशन दी जाएगी, जिसकी शुरुआत 60 साल की उम्र से होगी। पेंशन की राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि संबंधित कर्मचारी द्वारा मासिक योगदान कितना किया जा रहा है और उसने किस उम्र में यह बीमा खरीदा है। किसी भी स्थिति में संबंधित व्यक्ति को अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 20 साल के लिए इसकी खरीदारी करनी होगी। इस योजना के तहत सर्वाधिक अहम बात यह है कि इसमें सरकार की ओर से प्रथम पांच वर्षों तक हर साल 1000 रुपये अथवा कुल अंशदान का 50 फीसदी, इसमें से जो भी कम हो, का सह—योगदान किया जाएगा। सरकार की ओर से यह योगदान तभी किया जाएगा जब कोई व्यक्ति इस योजना को इस साल की समाप्ति से पहले यानी 31 दिसंबर, 2015 तक खरीदेगा। किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य और आयकरदाता इस योजना के लाभार्थी नहीं बन सकेंगे। अंशदाता की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी—पति को पेंशन मिल पायेगी और उसके बाद पेंशन निधि नामित व्यक्ति को लौटा दी जाएगी। अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। सरकार न्यूनतम नियत पेंशन लाभ की गारंटी प्रदान करेगी।

पारिवारिक और सामाजिक ढांचे में बदलावों के कारण हमारे समाज में स्वाभाविक सुरक्षा धीरे—धीरे कमज़ोर पड़ती जा रही है। इसके कारण बड़ी संख्या में लोग अपरिहार्य कारणों के चलते असहाय और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इन तीन योजनाओं से निर्धन और जरूरतमंद लोगों के बीच बढ़ती असुरक्षा को दूर करने में मदद मिलेगी।

(पसूका से साभार)



जन-धन योजना की उपलब्धियां



10 करोड़ खाते खोलने के लक्ष्य से आगे बढ़कर 22 अप्रैल 2015 तक 15.15 करोड़ खाते खोले गए जिसमें से 9.07 करोड़ खाते ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.08 करोड़ खाते शहरी क्षेत्रों में खोले गए। इस योजना के तहत अब 22 अप्रैल, 2015 तक 15,965.38 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं और 13.58 करोड़ रुपे कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

जन-धन योजना के तहत खोले गए कुल खातों में से 51 प्रतिशत महिलाओं के हैं जिसमें 60.53 प्रतिशत खाते ग्रामीण महिलाओं के हैं। इससे पता चलता है कि वित्तीय समावेशन पहल से समाज में आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण महिलाओं को फायदा पहुंचा है। करीब 60 प्रतिशत खाते ग्रामीण भारत में खोले गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या कृषकों की है जोकि इस योजना से लाभान्वित होंगे। ये खाते 1.25 लाख बैंक मित्रों के बड़े नेटवर्क से जुड़े होंगे जोकि पूरे देश में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।

बजट में घोषित प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के जरिए आप यदि दो शर्तें किसी भी बैंक में खाता और 18–50 साल की उम्र पूरी करते हैं तो जीवन बीमा की सुरक्षा हासिल कर सकते हैं। सालाना प्रीमियम की रकम 330 रुपये होगी जो एकमुश्त दिया जाना है। ये रकम आपके बैंक खाते से सीधे जमा होगी। उपरोक्त दो शर्तें पूरी करने वाले परिवार के हर सदस्य को ये सुविधा मिलेगी। एक बात और, चाहे आपके जितने भी बचत खाते हो, लेकिन रियायती प्रीमियम वाली बीमा सुरक्षा योजना में सिर्फ

एक ही बचत खाते के माध्यम से शामिल हुआ जा सकता है।

अब योजना के सूक्ष्म बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी होगा।

- योजना के तहत 330 रुपये के प्रीमियम पर जीवन बीमा सुरक्षा एक वर्ष के लिए है। दूसरे शब्दों में, 1 जून, 2015 से 31 मई, 2016 (दोनों तारीख शामिल) के बीच यदि योजना में शामिल व्यक्ति की किसी वजह से मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को दो लाख रुपये मिलेंगे।
- बीमित व्यक्ति, बीमा सुरक्षा की अंतिम तारीख तक जीवित रहता है तो उसे ना तो प्रीमियम की रकम वापस मिलेगी और ना ही कोई और रकम।
- बीमा सुरक्षा का हर साल नवीकरण करना होगा। दूसरे शब्दों में, हर वर्ष 31 मई तक या उसके पहले आगे के एक वर्ष के लिए सालाना प्रीमियम का भुगतान एकमुश्त कर देना होगा। मसलन, 31 मई 2016 तक प्रीमियम चुकाकर, 1 जून 2016 से 31 मई 2017 तक के लिए बीमा सुरक्षा ली जा सकती है।
- देरी से भुगतान का विकल्प है, लेकिन इसके लिए अच्छे स्वास्थ्य का स्व प्रमाणपत्र भी देना होगा।
- इस योजना से बाहर निकलने वाला व्यक्ति किसी भी समय, भविष्य के वर्षों में निर्धारित प्रोफार्मा में अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा प्रस्तुत कर योजना में दोबारा शामिल हो सकता है।
- यदि 50 वर्ष की उम्र तक सालाना नवीकरण कराया जाता रहा है तो बीमा सुरक्षा 55 वर्ष की उम्र तक संभव है।

इस वर्ष योजना के लिए प्रारम्भिक नामांकन की तारीख 31 अगस्त या 30 नवम्बर तक बढ़ायी जा सकती है। इसके बाद भी यदि कोई योजना में शामिल होना चाहे तो उसे एक स्व-प्रमाणीकरण देना आवश्यक होगा कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है और किसी भी 'गंभीर बीमारी' से ग्रस्त नहीं हैं। यहां इस बात पर गौर करना जरूरी है कि आप किसी भी बीमा कम्पनी से सीधे जाकर यह बीमा सुरक्षा नहीं ले सकते। आप अपने बैंक के जरिए ही योजना में शामिल होने और स्वतः नामे की सहमति का फॉर्म देकर ही ये सुविधा ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति 2016 या उसके बाद के वर्ष में भी योजना में शामिल हो सकता है। बस प्रक्रिया बैंक के जरिए ही पूरी करनी होगी। एक बात और, वैसे तो सरकार ने कहा है कि वार्षिक दावा अनुभव के आधार पर प्रीमियम की दर की समीक्षा की जाएगी, लेकिन कोणिश यही है कि बहुत ही ज्यादा दावे का निपटारा नहीं हो तो पहले तीन वर्षों में प्रीमियम की दर नहीं बढ़ेगी। इस प्रीमियम को सेवा कर से मुक्त रखा गया है।



जन–जन के लिए दुर्घटना सुरक्षा

अब बात प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। सिर्फ 12 रुपये के सालाना प्रीमियम (यानी 1 रुपये हर महीने) की लागत पर यह बीमा सुरक्षा मिलेगी। इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु होने या फिर अपंग हो जाने की सूरत में मुआवजा मिलेगा। मृत्यु हो जाने की स्थिति में योजना में शामिल व्यक्ति के आश्रितों को 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। इसके अतिरिक्त दुर्घटना से अपंगता की निम्न परिस्थितियों में 2 लाख रुपये का मुआवजा मिल सकता है।

- यदि दुर्घटना की वजह से दोनों आंखें पूरी तरह से खराब हो जाए और सुधार की कोई गुंजाइश नहीं हो,
- दोनों पैर बेकार हो जाए,
- एक आंख बेकार हो जाए, या
- एक हाथ अथवा एक पैर काम करने में अक्षम हो जाए।

इसके अतिरिक्त एक आंख की नजर पूरी तरह से चली जाए और वहां सुधार की कोई गुंजाइश नहीं हो या फिर एक पैर पूरी तरह से बेकार हो जाए तो एक लाख रुपये का मुआवजा मिल सकता है।

इस योजना में भाग लेने के लिए आपको अपने बैंक से सम्पर्क कर सहमति और अपने नाम का फॉर्म जमा करना होगा। सालाना प्रीमियम की रकम यानी 12 रुपये एकमुश्त सीधे आपके खाते से जमा होगी। यदि यह रकम 1 जून को या उससे पहले काटी गयी है तो बीमा सुरक्षा का फायदा 1 जून से 31 मई के बीच मिलेगा। यदि 1 जून के बाद रकम काटी गयी है तो बीमा सुरक्षा अगले माह की पहली तारीख से मिलेगी। यहां भी सरकार की कोशिश है कि पहले तीन वर्षों तक प्रीमियम की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाए, लेकिन दावा भुगतान बहुत ही ज्यादा हो जाए तो ये रकम बढ़ सकती है।

अब आइए नजर डालते हैं इस योजना के सूक्ष्म बिंदुओं पर—

- योजना में शामिल होने वाले की कम से कम उम्र 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 70 वर्ष होनी चाहिए।
- यदि एक से ज्यादा बैंक में बचत खाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर खाते से नयी बीमा योजना में जुड़ा जा सकता है।
- यदि अलग—अलग बैंक के अलग—अलग बचत खाते से प्रीमियम अदा करने को आवेदन दिया जाता है और प्रीमियम जमा भी हो जाए तो एक को छोड़ बाकी सभी जगह से अदा प्रीमियम जब्त हो सकता है।

- सबसे अहम बात है कि एक बार में चुकाया प्रीमियम एक साल के लिए बीमा सुरक्षा देगा। लम्बे समय तक सुविधा पाने के लिए हर साल प्रीमियम जमा करवाना सुनिश्चित करना होगा।
- और हाँ, किसी तरह का दावा नहीं करने की सूरत में जमा प्रीमियम वापस नहीं होगा या फिर उसी जमा पर आगे के लिए नवीकरण नहीं कराया जा सकता।

जन–धन योजना की बीमा सुरक्षा से इतर

प्रधानमंत्री जन–धन योजना में भी जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा की सुविधा मिली हुई है। लेकिन ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से बिल्कुल अलग है। और जिन लोगों को जन–धन योजना में बीमा सुरक्षा मिली वो भी नयी योजनाओं में शामिल हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना के तहत जीवन बीमा की सुविधा उन सभी को बगैर प्रीमियम चुका दी गई जिन्होंने 15 अगस्त, 2014 से लेकर 26 जनवरी, 2015 के बीच पहली बार बैंक खाता खुलवाया। इसके मुताबिक खाताधारी परिवार में मुखिया या फिर मुखिया की उम्र 60 वर्ष से ज्यादा होने पर किसी दूसरे व्यक्ति को बीमा सुरक्षा मिलेगी। दूसरे शब्दों में, परिवार में कमाई करने वाले की मृत्यु होने की सूरत में 30 हजार रुपये बतौर बीमा की रकम दी जाएगी। लेकिन यहां शर्त ये है कि खाते में आधार नम्बर जुड़ा होना चाहिए या आधार जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी हो और रुपे डेबिट–सह–एटीएम कार्ड को इस्तेमाल किया गया हो। यह बीमा सुरक्षा पांच वर्षों यानी 31 मार्च 2020 तक के लिए उपलब्ध है। उसके बाद प्रीमियम चुका कर बीमा सुरक्षा की सुविधा दी जा सकती है।

इसी तरह योजना में खोले गए हरेक खाते पर रुपे डेबिट–सह–एटीएम कार्ड दिया गया। इस कार्ड के जरिए एक लाख रुपये तक की दुर्घटना बीमा सुरक्षा का प्रावधान है। इसके लिए अलग से प्रीमियम नहीं चुकाने की शर्त है। बस शर्त ये है कि दुर्घटना की तारीख से 45 दिन पहले तक कम से कम एक बार कार्ड का इस्तेमाल किया गया हो। दुर्घटना में मौत होने पर कानूनी वारिस को मुआवजा मिलेगा जबकि स्थायी अपंगता की सूरत में प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा मिलेगा। खास बात ये है अगर दुर्घटना विदेश में हो जाए तो भी राहत राशि मिलेगी, लेकिन विदेशी मुद्रा में नहीं, बल्कि भारतीय रुपये में ही।

अटल पेंशन योजना

बीमा सुरक्षा का फायदा उम्र के एक पड़ाव तक ही मिल पाता है, लेकिन जिंदगी अगर उसके आगे चली तो कुछ अलग

ही उपाय करने होंगे। क्योंकि उम्र ढलने के साथ श्रम कर पैसा कमाने का सामर्थ्य तो नहीं रह पाता, लेकिन आवश्यकताएं बनी ही रहती हैं, या यूं कह ले कि बढ़ भी जाती हैं। इस सिलसिले में सरकारी नौकरी या कुछ हद तक संगठित क्षेत्र में नौकरी करने वालों को पेंशन यानी हर महीने एक निश्चित रकम ताउप्र मिलती है। अगर सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसकी पत्नी को ताउप्र और कुछ विशेष परिस्थितियों में बच्चों को भी पेंशन मिलती है। इसके अलावा नयी पेंशन योजना में पैसा लगाकर पेंशन की सुविधा दी जा सकती है। लेकिन इन सभी का विस्तार मूल रूप से संगठित क्षेत्र में काम करने वाले समाज के एक छोटे तबकों तक ही हो पाया है।

इसी को ध्यान में रखते हुए जन-जन की पेंशन योजना अटल पेंशन योजना का ऐलान किया गया है। अटल पेंशन योजना का जोर असंगठित क्षेत्र पर होगा। नेशनल सैम्प्ल सर्वे ऑर्गनाइजेशन यानी एनएसएसओ के एक सर्वेक्षण (66वां दौर, वर्ष 2011–12) के मुताबिक देश में श्रमिकों की कुल तादाद 47.29 करोड़ है। इनमें से करीब 88 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में हैं, जहां पेंशन को लेकर कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं है। वैसे तो इन श्रमिकों के लिए स्वावलम्बन योजना शुरू की गई, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि 60 वर्ष की उम्र के बाद किस तरह से पेंशन लाभ मिलेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए नई योजना का खाका बना।

नई योजना के तहत 60 वर्ष की आयु होने पर 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये प्रति माह निर्धारित न्यूनतम पेंशन मिलेगी। यह 18 और 40 वर्ष के बीच दिए गए अभिदान विकल्प पर निर्भर होगा। इस तरह योजना के तहत कम से कम 20 वर्ष या उससे ज्यादा पैसा जमा कराना होगा। कम उम्र में शुरू करने पर हर महीने जमा की जाने वाली राशि कम होगी जबकि ज्यादा उम्र पर ये रकम ज्यादा हो जाएगी। सरकार योजना के तहत कम से कम एक निश्चित पेंशन की गारंटी देगी।

यद्यपि यह योजना निर्धारित आयु समूह में बैंक खाताधारकों के लिए है लेकिन 31 दिसम्बर, 2015 से पहले इस योजना में शामिल होने वाले लोगों तथा वैसे लोगों के लिए जो किसी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं हैं या जो आयकरदाता नहीं हैं, पांच वर्षों तक केन्द्र सरकार कुल अभिदान का 50 प्रतिशत या प्रतिवर्ष 1,000 रुपये, जो भी कम हो, देगी।

अब इस योजना के सूक्ष्म बिंदुओं पर नजर—

- सबसे पहले बैंक में खाता होना चाहिए।
- योजना में कोई भी बैंक खाताधारक स्वतः नाम सुविधा के जरिए हर महीने की रकम जमा करा सकता है।

- स्वावलम्बन योजना में शामिल लोग भी नयी योजना में शामिल हो सकते हैं।
- स्वावलम्बन योजना में शामिल व्यक्ति यदि 40 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो तो कुल जमा पैसा एकमुश्त ले सकता है, या फिर आवेदन देकर 60 वर्ष की उम्र के बाद मासिक पेंशन के रूप में देने का आग्रह कर सकता है।
- भुगतान में देरी होने पर 1 रुपये से 10 रुपये प्रति माह तक दंड लगेगा।
- 40 वर्ष की उम्र के पहले मासिक अंशदान बंद करने की सूरत में 6 महीने बाद पहले खाता फ्रिज होगा। फिर भी अगर अंशदान नहीं हो तो साल भर बाद खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा और दो साल बाद ऐसे खातों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।
- 60 वर्ष की आयु के पहले योजना छोड़ने की अनुमति नहीं है लेकिन योजना में शामिल व्यक्ति की मृत्यु या लाइलाज बीमारी की सूरत में योजना से बाहर होने की सुविधा मिल सकती है।

कुल मिलाकर बीमा की दो और पेंशन की ये सहूलियतें प्रधानमंत्री जन-धन योजना लांच करते वक्त की गई घोषणा के मुताबिक ही हैं जिसमें कहा गया था कि योजना के दूसरे चरण में जोर लोगों को सूक्ष्म बीमा उपलब्ध कराने और व्यवसाय प्रतिनिधियों के जरिए स्वावलम्बन जैसी असंगठित क्षेत्र की पेंशन योजना शुरू करने पर होगा। इस सिलसिले में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में भी कहा—

"ये सामाजिक सुरक्षा स्कीमें जन-धन प्लेटफार्म का उपयोग करने में हमारी वचनबद्धता यह सुनिश्चित करने के लिए दर्शाती है कि किसी भारतीय नागरिक को बीमारी, दुर्घटना अथवा वृद्धावस्था में अभाव की चिन्ता न करनी पड़े।"

जन-धन योजना के तहत 15.15 करोड़ से भी ज्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इसी के साथ यह भी कि करीब-करीब हर भारतीय परिवार के पास कम से कम एक बैंक खाता जरूर है। हर बैंक खाते को आधार से जोड़ा जा रहा है। इससे सरकार योजनाओं के तहत मिलने वाली रकम और सब्सिडी सही लोगों तक पहुंच सकेगी जिससे अनावश्यक खर्च पर लगाम लगेगी। दूसरी ओर, इन्हीं खातों के जरिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था आने वाले दिनों को बेहतर बनाएगी।

(लेखक द हिंदू बिजनेस लाइन में डिप्टी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। पूर्व में अमर उजाला, आज तक और सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहे। करीब दो दशकों से सरकार की आर्थिक नीतियों और संसदीय गतिविधियों पर नियमित लेखन।)

ई-मेल : hblshishir@gmail.com



सांसद आदर्श ग्राम योजना से निखरेंगे गांव

—सुधांशु सिंह

लोकनायक जयप्रकाश नारायण की सोच थी कि गांवों को सामुदायिक भागीदारी के जरिए विकसित किया जाए। इसी अवधारणा को मानते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक की जयंती के अवसर पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की घोषणा की। निश्चित तौर पर अभी तक जिन गांवों को सांसद आदर्श ग्राम योजना में शामिल किया गया है वहां की तस्वीर बदलने लगी है। 2016 तक प्रत्येक सांसद एक-एक गांव को विकसित बनाएंगे और बाद में हर सांसद दो और गांवों को 2019 तक आदर्श गांव बनाएंगे।

भारत गांवों का देश है। अभी भी ज्यादातर लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं। ऐसी स्थिति में जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक भारत पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता है। इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के गांवों को पूर्ण रूप से विकसित करने का बीड़ा उठाया है। चूंकि अभी तक तमाम योजनाओं के जरिए गांवों का विकास करने की कोशिश की जाती रही है। यह कोशिश शत-प्रतिशत फलीभूत नहीं हो सकती है। सांसद निधि हो या विधायक निधि अथवा ग्राम पंचायत निधि। हर निधि से गांवों का विकास करने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन इसके बाद भी कुछ खास गांवों को छोड़ दिया जाए तो देश के ज्यादातर गांवों की तस्वीर पूरी तरह से नहीं बदलती है। जबकि हर पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य होता है कि गांवों में शहरों की तर्ज पर सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इन कोशिशों में कहां चूक हुई, इसे जानने की जरूरत है। दरअसल सांसद विधायक अथवा अन्य निधियों से पैसा तो जारी कर दिया जाता है। योजनाएं तैयार होती हैं और उन्हें लागू भी कर दिया जाता है, लेकिन उनकी मानीटरिंग की जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती है। यही वजह है कि विभिन्न निधियों से पैसा खर्च होने के बाद भी गांव में तरक्की की तस्वीर नहीं दिखाई पड़ती है। यदि किसी गांव में सड़क, पेयजल, बिजली आदि की सुविधाएं हो भी जाती हैं तो वहां कुछ साल गुजरने के बाद फिर से अव्यवस्था नजर आती है। इसके पीछे मूल कारण है— संबंधित गांव की नियमित तौर पर मानीटरिंग न हो पाना। इसके समाधान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नया तरीका अपनाया है। उन्होंने तय किया कि हर सांसद गांवों को गोद लेगा।

भारतीय संस्कृति में गोद लेने का मतलब बहुत ही व्यापक है। जिस तरह से हम अपने परिवार के बच्चों को गोद में उठाकर दुलारते हैं। उनकी परवरिश करते हैं। उसी तरह सांसदों को गांव

गोद लेने की योजना के जरिए संबंधित गांव के प्रति आगाध प्रेम हो जाएगा। एक तरह से केंद्र सरकार ने इस योजना के जरिए जनप्रतिनिधियों और गांव को प्रेम की डोर में बांधने का कार्य किया है। जब कोई भी सांसद किसी गांव को गोद लेगा तो वह उसमें काफी वक्त देगा। संबंधित गांव को आदर्श बनाने में जितना वक्त लगेगा, उतने वक्त में वह संबंधित गांव के हर व्यक्ति का चहेता बन जाएगा। यानी जनता से सीधे संपर्क होने की वजह से उसका प्रेमभाव भी बढ़ेगा। जब किसी गांव से संबंधित जनप्रतिनिधि का आगाध प्रेम हो जाएगा तो वह किसी भी कीमत पर उस गांव की समस्या को अनदेखी नहीं करेगा। यानी अपनी निगरानी में गोद लिए गांव का न सिर्फ समुचित विकास कराएगा बल्कि विकास होने के बाद भी उनकी निगरानी रखेगा। कुछ ऐसी ही सोच के साथ सांसद आदर्श गांव की परिकल्पना की गई है। निश्चित रूप से इस प्रयास का असर पहले चरण में गोद लिए गांवों में दिखने भी लगा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर केंद्र सरकार की ओर से 11 अक्टूबर, 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत





की गई। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन में गांव का जिक्र हर बात में आता है। गांधीजी 1915 में विदेश से वापस आए। दो साल के भीतर-भीतर उन्होंने जो कुछ भी अध्ययन किया, वही बिहार के चंपारण में जाकर के गांव के लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। इतने बढ़े आजादी के आंदोलन का बीज गांव में बोया गया था गांधीजी के द्वारा। आज जयप्रकाश नारायण जी के अनन्य साथी नानाजी देशमुख ने भी गांवों को बढ़ावा देने की बात की। उन्होंने कहा कि आदर्श ग्राम योजना और वो भी सांसद के मार्गदर्शन में, सांसद के नेतृत्व में, सांसद के प्रयत्नों से, इसको हमें आगे बढ़ाना है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की यह सोच ग्रामीण भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

इस योजना के तहत राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों के सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी गांव को गोद लेंगे। गोद लिए गए गांव में सांसद 2016 तक समुचित विकास कराएंगे ताकि वह आदर्श ग्राम हो सके। केंद्र सरकार की ओर से आदर्श ग्राम योजना के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संबंधित आदर्श ग्राम में हर वर्ग के व्यक्ति को योजनाओं का समुचित लाभ सुनिश्चित कराया जाएगा। गांव में निवास करने वाले गरीबों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि वह अच्छी जिंदगी जी सके। आदर्श ग्राम योजना में सिर्फ आधारभूत विकास पर ही तवज्ज्ञों नहीं दिया जा रहा है बल्कि समूचे समुदाय को प्रशिक्षित करने की भी जिम्मेदारी निभाई जा रही है। वहां रहने के लिए आवास, आवागमन के लिए सड़क का निर्माण तो होगा ही; साथ ही लैंगिक समानता और महिलाओं के लिए सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। इसके लिए समूचे समुदाय को जागरूक किया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि लैंगिक असमानता की वजह से किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी भी हमारे समाज में महिलाओं को वह सम्मान नहीं मिल पाया है, जिसकी जरूरत है। ऐसी स्थिति में सांसद आदर्श ग्राम योजना का एक अहम उद्देश्य है कि ग्रामीण इलाके में रहने वाली महिलाओं को समाज में वह सम्मान दिलाया जाए, जिसकी वह हकदार है। अभी भी ग्रामीण इलाके में तमाम ऐसे छोटे-छोटे विवाद होते रहते हैं, जिसकी वजह से कोर्ट में मुकदमों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आदर्श ग्राम योजना में भी प्रावधान किया गया है।

सांसद की ओर से चुने गए आदर्श ग्राम में समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करके यह भी कोशिश की जाएगी कि छोटे-छोटे विवाद को आपसी सहमति के आधार पर निपटाया जाए। जब

तक जरूरी न हो मुकदमेबाजी न हो क्योंकि इससे कई तरह के नुकसान है। एक तो वादकारी का आर्थिक नुकसान होता है दूसरे अदालतों का जो वक्त गंभीर मुकदमों में खर्च होना चाहिए वह छोटे-मोटे विवाद में खर्च होने से बच जाएगा। ऐसी स्थिति में आदर्श ग्राम योजना में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा जोर सफाई व्यवस्था पर है। हमारे आसपास का माहौल जब तक स्वच्छ नहीं होगा तब तक सेहत पर खतरा मंडराता रहता है। ऐसी स्थिति में आदर्श ग्राम योजना में सामुदायिक स्वच्छता पर भी जोर रहेगा। यानी ग्राम पंचायत में ऐसे तमाम विकास कार्य कराए जाएंगे, जिसकी वजह से स्वच्छता अभियान को गति मिलेगी। साथ ही, लोगों को सामुदायिक भागीदारी के जरिए भी अपने गांव को स्वच्छ रखने के प्रति प्रेरित किया जाएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना का एक दूसरा पहलू है प्रकृति के सहचर के रूप में रहने के लिए विकास और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन सुनिश्चित करें। इसके लिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। गांव में मौजूद प्राकृतिक सौंदर्य को सहेजने और उसे बचाने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर जिम्मेदारी निभानी होगी। इसके लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। स्थानीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भी ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत में आ रहे क्षरण को रोका जा सके। इसी तरह सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत समुदाय विशेष के बीच आपसी सौहार्द बढ़ाने, सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी बरतने, स्थानीय स्वशासन की भावना को विकसित करने, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों में प्रतिष्ठापित मूल्यों का पालन करने का भी प्रयास किया जाएगा। कहने का मतलब साफ है कि सांसद आदर्श ग्राम पंचायत के जरिए संबंधित ग्राम पंचायत को इस कदर विकसित किया जाए कि वह अपने आसपास की ग्राम पंचायतों के लिए नज़ीर बन सके। वह आस-पड़ोस की पंचायतों के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो, ताकि उससे प्रेरित होकर दूसरे गांवों के लोग भी तरकी की राह पर अग्रसर हो सकें।

हजारों गांव हो जाएंगे आदर्श ग्राम

सांसद आदर्श ग्राम योजना को चरणवार चालू करने के पीछे मूल मकसद है चरणबद्ध तरीके से भारत के गांवों का विकास किया जाए। इस तरह देखा जाए तो लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 250 सांसदों को मिलाकर कुल सांसद 795 हैं। यदि सभी एक-एक गांव को गोद लिए हैं तो पहले चरण में 2016 तक देश के 795 आदर्श गांव बन जाएंगे। जबकि 2019 तक हर सांसद दो और गांव आदर्श बनाएंगे तो 1590 आदर्श गांव और



हो जाएंगे। यह संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है चूंकि कई आईआईटी जैसे संस्थानों ने भी कई गांवों को गोद लिया है।

आदर्श ग्राम की गतिविधियाँ

एक आदर्श ग्राम में ग्राम पंचायत, नागरिक, समाज और सरकारी मशीनरी में लोगों को दृष्टिकोण साझा करने की पहल करनी होगी। उनकी अपनी क्षमताओं और उपलब्ध संसाधनों का हर संभव सर्वोत्तम उपयोग विधिवत तरीके से सांसद द्वारा समर्थित होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से एक आदर्श ग्राम संदर्भ विशिष्ट होगा।

कैसा होगा एक आदर्श गांव

आदर्श ग्राम योजना में किन गांवों को शामिल किया जाए, इसके लिए भी विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत देश के मैदानी इलाकों में स्थित उन गांवों को इसमें शामिल किया जाएगा, जहां की आबादी तीन हजार से पांच हजार के बीच होगी। इसी तरह पहाड़ी इलाकों में उन गांवों को शामिल किया जाएगा, जहां की आबादी पंद्रह सौ से तीन हजार के बीच होगी। इसमें खास बात यह है कि कोई भी सांसद अपने पैतृक गांव को पहले चरण में नहीं चुन सकता है। शहरी इलाकों के सांसद अपने बगल की लोकसभा सीट का कोई गांव चुनेंगे।

तीन चरण में होंगे कार्य

आदर्श गांव बनाने के लिए तीन चरणों में कार्य किया जाएगा। इसके तहत ऐसे काम, जिन्हें चंद दिनों में पूरा किया जा सकता है, उन्हें पहले चरण में तीन माह के अंदर पूरा किया जाएगा। इसके तहत गांव की सफाई और हरा-भरा बनाने का काम, स्कूल और आंगनबाड़ी में गांव के सौ फीसदी बच्चों का नामांकन, सबको स्वास्थ्य सुविधा देने की प्रक्रिया आदि को शामिल किया जाएगा।

इसके बाद मध्यम अवधि वाले काम यानी ऐसे काम जिन्हें पूरा होने में एक साल का वक्त लगेगा, उन्हें दूसरे चरण में शुरू किया जाएगा। जबकि लंबी अवधि तक चलने वाले कार्यों को अंतिम चरण में शामिल किया जाएगा। आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव के सभी ग्रामीणों को हेल्थ और आधार कार्ड मिलेगा। स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा। हर गांव अपना एक आर्थिक एजेंडा तय करेगा और उस गांव में उत्पादित होने वाली चीजों का उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाएगा और दिशा में काम करेगा।

सामाजिक भागीदारी भी बढ़ेगी

सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए सामाजिक भागीदारी भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें यह प्रावधान किया

गया है कि ग्रामीण अपने संसाधन के आधार पर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। हर गांव अपना जन्मदिन मनाएगा। इसके तहत गांव के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति को बुलाकर उसका सम्मान किया जाए और गांव के बुजुर्ग का भी सम्मान हो। यदि गांव का कोई स्वतंत्रता सेनानी या शहीद हो तो उसके बारे में बच्चों को जागरूक किया जाए। उन्हें यह आभास कराया जाए कि पूरा गांव उनके साथ है। इन सभी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सांसद को जिम्मेदार बनाया गया है।

यह भी दिया प्रस्ताव

योजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि राज्य भी विधायकों के लिए अगर कोई स्कीम बनाता है, और विधायक के नेतृत्व में आदर्श ग्राम बनते हैं तो हर साल छह-सात हजार गांव और जुड़ जाएंगे। अगर एक ब्लॉक में 10 गांवों को गोद लेकर विकास किया जाता है तो दो साल के अंदर भारत के गांव अलग तरह के दिखेंगे।

इन बुनियादी सुविधाओं का विकास

सांसद द्वारा गोद लिए गए गांव में विकास कार्य तो तमाम कराए जाएंगे, लेकिन बुनियादी सुविधाओं पर विशेष जोर रहेगा। इसके तहत गांव में स्कूल, हॉस्पिटल, पुस्तकालय, व्यायाम और खेल के लिए भी मैदान जैसी सुविधाओं का विकास कराया जाएगा। इसके साथ ही लोगों को ई-साक्षर करने की भी योजना है। साथ ही हिंसा और अपराध मुक्त गांव बनाया जाएगा। गांव के हर घर व सभी सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय का निर्माण कराया जाएगा।

सुशासन लाने का प्रयास

आदर्श ग्राम योजना के जरिए ग्राम पंचायत में सुशासन लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके जरिए मजबूत और जवाबदेह ग्राम पंचायतों और ग्रामसभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया जाएगा। ग्राम पंचायत में रहने वाले सभी नागरिकों के पास यूआईडी कार्ड होगा। इसी तरह ई-शासन के तहत समयबद्ध सेवा देने की योजना है। इतना ही नहीं, विभिन्न योजनाओं के बारे में ग्राम पंचायत की सार्वजनिक स्थलों की दीवारों पर स्थानीय भाषा में योजना और समस्या के निस्तारण की तिथि अंकित करनी होगी। किस मद में कितनी राशि का बजट है और कितना खर्च हुआ है, इसे दीवार पर लिखना होगा। गांव में शिकायत निवारण केंद्र बनाया जाएगा जहां ग्रामवासी के शिकायत करने पर उसका निवारण लिखित उत्तर के साथ तीन सप्ताह के भीतर करना होगा। इसी तरह पशुधन विकास के साथ ही बागवानी को बढ़ावा देने के लिए

कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पर्यावरण विकास, रोड साइड पौधारोपण, बिजली की व्यवस्था की जाएगी।

सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान

सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए सामाजिक सुरक्षा का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत ग्राम पंचायत के हर पात्र व्यक्ति को पेंशन देने की भी व्यवस्था की जाएगी। इसमें वृद्धावस्था, विकलांगता व विधवाओं के लिए मिलने वाली पेंशन शामिल होगी। स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और अनाज के लिए पीडीएस की सुविधा होगी।

निगरानी का भी किया गया है प्रावधान

सांसद आदर्श ग्राम योजना में निगरानी का भी प्रावधान किया गया है। जहां इस योजना के तहत चलने वाले कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय कार्य करेगा वहीं राष्ट्रीय स्तर पर दो अतिरिक्त समितियां भी कार्य करेंगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में

एक कमेटी होगी, जिसका काम निर्णय लेना, योजना बनाना और अन्य प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों के साथ विचार कर उन मंत्रालयों की भागीदारी को सुनिश्चित कराना होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय सचिव की अध्यक्षता में दूसरी समिति होगी। इसमें अन्य मंत्रालयों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। इसमें पंचायती राज, भूमि संसाधन, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, मानव संसाधन विकास, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, जल संसाधन, सामाजिक न्याय अधिकारिता, पर्यावरण, खेल व युवा मामलों आदि मंत्रालय को शामिल किया गया है।

स्रोत

- प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट।
- पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट।

(लेखक जयपुर स्थित प्रबंधन संस्थान से जुड़े हैं और स्वतंत्र लेखक हैं।)

ई-मेल: sudhanshusingh654@gmail.com

कर्नाटक के मांडया में तय लक्ष्य से अधिक शौचालय बने

कर्नाटक का मांडया जिला राज्य का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसने स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण का तय लक्ष्य हासिल कर लिया है। जिले में अक्टूबर 2014 तक 31,425 शौचालय बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। यहां लक्ष्य से भी अधिक 40,000 शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

यहां अध्यापकों को ऐसे छात्रों की पहचान की जिम्मेदारी दी गई थी जिनके घरों में शौचालय नहीं हैं। उनके अभिभावकों को इस बारे में जागरूक करने का जिम्मा भी अध्यापकों को ही सौंपा गया था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी शौचालय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जिले में सफाई के महत्व को रेखांकित करते हुए नाटक भी आयोजित किए गए और इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए काफी प्रचार किया गया।

(पसूका से साभार)





वर्ष 2014-15 में शुरू की गई प्रमुख योजनाएं

— अस्त्रिलेश चंद्र

बढ़ती आबादी और औद्योगिकीकरण की वजह से कृषि योग्य जमीन का रकबा तेजी से घट रहा है। ऐसी स्थिति में असिंचित जमीन को सिंचित बनाकर उत्पादन बढ़ाने के साथ ही खेती का रकबा भी बचाया जा सकता है। जब खेत को सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा तो फसल उत्पादन अपने आप बढ़ेगा। इसी सूत्र को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वन झाप मोर क्राप यानी प्रति बूंद अधिक फसल पर जोर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से चालू वित्तीय वर्ष में इस सूत्र के तहत सिंचाई मद का बजट भी बढ़ाया गया है। जिस तरह से सिंचाई परियोजनाओं को ताकत दी जा रही है, उससे उम्मीद की जा रही है कि भारत में फसल उत्पादन का ग्राफ तेजी से बढ़ेगा और देश तरक्की की राह पर अग्रसर होगा।

प्रति बूंद अधिक फसल

भारत के विकास में खेती और खेतिहर का सबसे बड़ा योगदान है। यही वजह है कि केंद्र सरकार की ओर से एक तरफ सिंचाई के साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ किसानों को समृद्धिशाली बनाने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। इसी के तहत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना शुरू की गई है। इसका लक्ष्य सभी खेतों के लिए सिंचाई उपलब्ध कराना और 'वन झाप, मोर क्राप' यानी प्रति बूंद अधिक फसल से जल का सदुपयोग बढ़ाना है।

पिछले दिनों भारत में खेती की स्थिति पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खेत की उर्वर क्षमता और उसकी स्थिति की जांच के लिए कृषि वैज्ञानिकों और छात्रों की मदद ली जाएगी। जब खेत और किसान की स्थिति सुधरेगी तो देश में तरक्की को गति मिलेगी। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए मिट्टी और पानी दो प्रमुख उपाय हैं। मिट्टी की उर्वरता बचाने के लिए जैविक खेती जरूरी है तो पानी का पर्याप्त इंतजाम करने के लिए सिंचाई संसाधनों का विकास। सिंचाई संसाधनों के विकास को ध्यान में रखकर ही 'वन झाप मोर क्राप' का कांसेप्ट लागू किया जा रहा है। यानी हम सिंचाई मद में अधिक पानी भी नहीं खर्च करेंगे और सिंचाई के लिए उपयुक्त होने वाले हर बूंद का फसल के लिए फायदा लेंगे। इससे न सिर्फ सिंचाई मद में होने वाला खर्च कम होगा बल्कि कम लागत में अधिक उपज लेने का सपना भी साकार होगा। इसी तरह छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देते हुए प्रभावी और निर्बाध कृषि ऋण की सहायता से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने का भी प्रावधान किया गया है। वर्ष 2015-16 के दौरान 8.5 करोड़ रुपये के ऋण का लक्ष्य रखा गया है। जबकि 2015-16 में नाबाड़ में स्थापित ग्रामीण और संरचना विकास कोष

की निधियों में 25000 करोड़ रुपये, दीर्घकालिक ग्रामीण ऋण कोष में 15000 करोड़ रुपये, अल्पावधिक सहकारी ग्रामीण ऋण पुर्णवित निधि हेतु 45000 करोड़ रुपये और अल्पावधिक आरआरबी पुर्णवित निधि के लिए 15000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। भारत की स्थिति पर गौर करें तो भारत में कुल भूमि क्षेत्रफल करीब 329 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें खेती करीब 144 मिलियन हेक्टेयर में होती है, जबकि लगभग 178 मिलियन हेक्टेयर भूमि बंजर है। इस बंजर भूमि को सुधारने की बेहत जरूरत है। इसी तरह 47.23 मिलियन हेक्टेयर भूमि को परती भूमि के रूप में चिह्नित किया गया जो देश के कुल भूक्षेत्र का 14.19 फीसदी हिस्सा है। घनी झाड़ी वाली करीब 9.3 मिलियन हेक्टेयर परती भूमि मुख्य परती भूमि है जबकि खुली झाड़ी वाली 9.16 मिलियन हेक्टेयर भूमि का दूसरा स्थान आता है। करीब 8.58 मिलियन हेक्टेयर भूमि कम उपयोग की गयी या क्षरित वन झाड़ी भूमि है। इस भूमि को सुधारने के लिए सरकार के समेकित परती भूमि विकास कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम जैसे विभिन्न विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन इसे बढ़ाए जाने की जरूरत महसूस हो रही है। केंद्र सरकार की ओर से लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि परती बंजर भूमि





को कृषि योग्य बनाया जाएगा। आंकड़ों पर गौर करें तो विश्व की कुल भूमि का 2.5 हिस्सा भारत के पास है। दुनिया की 17 प्रतिशत जनसंख्या का भार भारत वहन कर रहा है।

देश की जनसंख्या सन् 2050 तक करीब एक अरब 61 करोड़ 38 लाख से ज्यादा होने की संभावना है। लगातार बढ़ती जनसंख्या के लिए अतिरिक्त भूमि कृषि के अंतर्गत लाए जाने की जरूरत है। जिस दिन हम बंजर एवं परती जमीन को खेती योग्य बना लेंगे, उस दिन भारत के हिस्से खेती का बड़ा हिस्सा होगा। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में वर्ष 1951 में मनुष्यः भूमि अनुपात 0.48 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है, जो दुनिया के न्यूनतम अनुपात में से एक है। वर्ष 2025 में घटकर यह आंकड़ा 0.23 हेक्टेयर होने का अनुमान है। ऐसे में उपजाऊ मिट्ठी की सुरक्षा किया जाना और बंजर जमीन को सिंचित जमीन में बदलना भी बेहद जरूरी है। भारत में सिंचाई की स्थिति देखें तो यहां 64 फीसदी खेती योग्य भूमि मानसून पर निर्भर होती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश की कृषि योग्य 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि में से मात्र 44 प्रतिशत ही सिंचित है। बाकी खेत असिंचित क्षेत्र में हैं। खेत के घटते रक्षे को देखते हुए इन्हें सिंचित बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। कृषि मंत्रालय की 2011–12 की रिपोर्ट के अनुसार कुल अनाज उत्पादन में खाद्यान्न का हिस्सा 1990–91 में 42 प्रतिशत से घटकर 2009–10 में 34 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 1979 के 16.34 करोड़ हेक्टेयर से घटकर 2009 में 15.80 करोड़ हेक्टेयर रह गया है। पिछले तीन दशकों में कृषि योग्य भूमि का रकबा 54 लाख हेक्टेयर कम हुआ है। ऐसी स्थिति

में देश के सामने एक बड़ी चुनौती आ रही है। इस चुनौती से निबटने के लिए केंद्र सरकार ने अपने पहले बजट में ही तमाम ऐसे प्रावधान कर दिए हैं। इन प्रावधानों के जरिए इस बड़ी चुनौती से निबटा जा सकेगा। केंद्र सरकार की ओर से वन ड्राप मोर क्राप का सूत्र इस चुनौती से निबटने में ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। इसके अलावा सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री सिंचाई योजना सहित अन्य सिंचाई परियोजनाएं इस चुनौती से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

वित्तवर्ष 2013–14 के अंत में भारत में कृषि की स्थिति

- कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4.7 प्रतिशत।
- 264.4 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन।
- 32.4 मिलियन टन तिलहन का रिकॉर्ड उत्पादन।
- 19.6 मिलियन टन दलहन का उत्पादन।
- मूँगफली का सबसे अधिक 73.17 प्रतिशत उत्पादन।
- खाद्यान्न के तहत क्षेत्र 4.47 प्रतिशत से बढ़कर 126.2 मिलियन हेक्टेयर हो गया।
- तिलहन का क्षेत्र 6.42 प्रतिशत से बढ़कर 28.2 मिलियन हेक्टेयर हुआ।
- कृषि निर्यात में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि।
- दूध उत्पादन 132.43 मिलियन टन की ऊंचाई पर पहुंचा।

वर्ष 2014–15 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाओं का संक्षिप्त परिचय

पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम

प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत 16 अक्टूबर, 2014 को की। इसके जरिए श्रम सुधारों के लिए चार नई योजनाएं शुरू की गई हैं। जिन लोगों का पीएफ कट्टा है उनके लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी किया गया है।

बाल स्वच्छता मिशन

इस योजना का शुभारंभ 14 नवंबर, 2014 को हुआ। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं से बच्चों को जोड़ने के लिए इसे संचालित किया जा रहा है। इस योजना की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सौंपी गई है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

इस योजना का शुभारंभ 1 मार्च, 2015 को किया गया। आगामी तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2017 तक 10 लाख (एक मिलियन) ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करना है। इसकी जिम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय को सौंपी गई है।



दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना

कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में बृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ 25 सितंबर, 2014 को किया गया। इसके संचालन की जिम्मेदारी केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को सौंपी गई है।

पेंशनर्स के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र

इस योजना का शुभारंभ 10 नवंबर, 2014 को किया गया। योजना का उद्देश्य जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर इसें पेंशनर्स के लिए सुविधाजनक और आसान बनाना है। इसके संचालन की जिम्मेदारी कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को सौंपी गई है।

स्वच्छ भारत अभियान

प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर, 2014 को किया गया। इस अभियान के जरिए शहरों की गलियों, सड़कों को स्वच्छ कर उसकी मूल संरचना का विकास करना है।

अभियान का उद्देश्य 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक देश को स्वच्छ बनाना है। इस अभियान में सभी मंत्रालयों को शामिल किया गया है।

मेक इन इंडिया

प्रधानमंत्री के वरीयता वाले प्रमुख कार्यक्रमों में मेक इन इंडिया भी शामिल है। इसे 25 सितंबर, 2014 को शुरू किया गया। इसके जरिए भारत को वैश्विक स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र

का केंद्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके संचालन की जिम्मेदारी औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को सौंपी गई है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

ग्रामीण भारत को शहरी तर्ज पर बिजली की चकाचौंध में रंगने के लिए 20 नवंबर, 2014 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू की गई। इसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण की अवधि में सुधार का लक्ष्य है। इसके साथ ही अधिक मांग के समय में लोड में कमी, उपभोक्ताओं को मीटर के अनुसार खपत पर आधारित बिजली बिल में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अधिक सुविधा दी जा सकेगी। इसके संचालन के लिए आर्थिक



मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन योजना (हृदय)

इस योजना का शुभारंभ 21 जनवरी, 2015 को किया गया। इसके जरिए हृदय के अंतर्गत विरासत स्थलों के एकीकृत, समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देना, स्मारकों के रखरखाव पर फोकस करना और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को उन्नत बनाने की योजना है।

हृदय के आरंभिक चरण में 12 विरासत शहरों को चुना गया है जिन्हें फिर से जीवंत बनाया और विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार इन शहरों को 500 करोड़ रुपये देगी। इसके संचालन की जिम्मेदारी शहरी विकास मंत्रालय को सौंपी गई है।

वन बंधु कल्याण योजना

इस योजना का शुभारंभ 28 अक्टूबर, 2014 को किया गया। योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक में विभिन्न सुविधाओं का विकास करने के लिए 10 करोड़ रुपये

दिए जाएंगे। इन ब्लॉकों का चयन संबंधित राज्यों की सिफारिशों पर और कम साक्षरता दर के आधार पर होगा। यह योजना मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक समूहों के बीच मानव विकास सूचकांक ढांचागत कमियों और अंतर को पूरा करने पर केंद्रित है। इसके संचालन की जिम्मेदारी जनजातीय मंत्रालय को सौंपी गई है।

संदर्भ— पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार; विकिपीडिया, वेब दुनिया सहित विभिन्न समाचार वेबसाइटों से साभार।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं। विभिन्न समाचार पत्रों में किसानों के मुद्दों पर नियमित लेखन कर रहे हैं।)

ई-मेल: chandra.akhilesh829@gmail.com



हुनरमंद बनेंगे भारतीय नौजवान

— कुसुमलता सिंह

केंद्र सरकार का मानना है कि जब तक हमारे देश के युवा हुनरमंद नहीं होंगे तब तक विकसित भारत का सपना साकार नहीं हो सकता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार की ओर से युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और उन्हें हुनरमंद बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर से युवाओं के कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए बाकायदा युवा नीति तैयार करने के साथ ही कौशल प्रदत्त व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। ऐसी स्थिति में विश्व मंच पर भारत की पताका लहराने के लिए केंद्र सरकार अपने युवाओं के हुनर को पूरी दुनिया को दिखाना चाहती है।

स्वा मी विवेकानंद ने कहा था कि युवा वह जो जोश से भरा हुआ है, जो सदैव क्रियाशील रहता है, जिसमें शेर जैसा आत्मत्व है, जिसकी दृष्टि सदा लक्ष्य पर होती है, जिसकी शिराओं में गर्म रक्त बहता है, जो विश्व में कुछ अनूठा करना चाहता है, जो भाग्य पर नहीं कर्म पर विश्वास रखता है, जो परिस्थितियों का दास नहीं उसका निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी है। वर्षों बाद भी स्वामी विवेकानंद की कही हुई यह बात भारत पर सटीक बैठती है। यहां की युवा शक्ति में वह सारी चीजें हैं, जो युवा को परिभाषित करती हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विश्व मंच पर सीना तान कर कहते हैं कि हम युवा भारत के वासी हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट।

संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज्ञन की छाप नजर आ रही है। पिछले कई सालों से बढ़ती आबादी को दुनिया पर बोझ बताती रही रिपोर्ट में इस बार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ युवा शक्ति करार दिया गया। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। यहां 35.6 करोड़ आबादी युवा है। युवा शक्ति का लोहा दुनिया भर में माना जाता है लेकिन युवा शक्ति को

सकारात्मकता की ओर मोड़ना बहुत बड़ी चुनौती होती है। केंद्र सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार किया है। युवाओं को कुशल कामगार बनाकर उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रयोग करने की लगातार नई रणनीति बनाई जा रही है। इसके तहत तमाम ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनके जरिए युवाओं की सकारात्मक ऊर्जा के दम पर देश को विकासशील से विकसित बनाया जाए।

जहां तक भारत की बात है तो भारत ने विश्व में सबसे तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बना ली है। उम्मीद है कि भारत शीघ्र ही विश्व की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। वर्ष 2020 तक भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विनिर्माण केन्द्र भी बन जाएगा। जनसंख्या के सकारात्मक कारकों और उच्च गुणवत्ता वाले कार्यबल की सतत उपलब्धता की मदद से हमारा देश विश्व अर्थव्यवस्था में विशेष छाप छोड़ सकता है। ऐसी स्थिति में भारत के मेहनती हाथों को पहले से कहीं अधिक कुशल बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से युवाओं को प्रशिक्षित करके उनके कौशल को निखारने की कोशिश भी की जा रही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की उम्र के बीच के 5.50 करोड़ संभावित कामगार हैं। ठीक उसी समय, विश्व भर में वर्ष 2020 तक 5.70 करोड़ कामगारों की कमी होने का अनुमान है। इससे भारत के लिए अपनी अतिरिक्त जनसंख्या को एक जनसांख्यिक लाभांश के रूप में परिणत करने का एक ऐतिहासिक अवसर सामने आ रहा है। केंद्र सरकार का मानना है कि जब तक देश के युवाओं का कौशल विकास नहीं होगा तब तक हम प्रगतिशील देशों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। प्रगतिशील देशों से मुकाबला करने के लिए देश के युवाओं के हाथों को हुनरमंद बनाना होगा। इसी सोच के साथ सरकार की ओर से तमाम ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनके जरिए युवा हाथ हुनरमंद बनकर भारत ही नहीं बल्कि





विभिन्न देशों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं।

पिछले दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कौशल और ज्ञान दो प्रेरक बल हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की इसी सोच की वजह से केंद्र सरकार ने कौशल विकास को गति देने का बीड़ा उठाया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी भी देश में कौशल विकास कार्यक्रम के लिए मुख्य रूप से युवाओं पर ही जोर होता है। इस मामले में हमारा देश अच्छी स्थिति में है। जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा उत्पादक आयु समूह में है। यह भारत को सुनहरा अवसर प्रदान करता है। भारत के पास अतुलनीय युवा जनसंख्या है जिससे आने वाले समय में सामाजिक-आर्थिक विकास को जोरदार बढ़ावा मिलना तय है। हमारे देश में करीब 60.5 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। यह वर्ग रोजगार के लिए उपयुक्त कौशल प्राप्त करके वैशिक स्तर पर भारतीय तरकी की राह को आसान बना सकते हैं।

इन युवाओं को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के उद्देश्य से पिछले दिनों कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के जरिए 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षण के दायरे में लाया जा रहा है। कौशल प्रशिक्षण नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) और उद्योग द्वारा तय मानदंडों पर आधारित होगा। कार्यक्रम के तहत तृतीय पक्ष आकलन संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन और प्रमाणपत्र के आधार पर प्रशिक्षुओं को नकद पारितोषिक दी जाएगी। नकद पारितोषिक औसतन 8,000 रुपये प्रति प्रशिक्षु होगी। कौशल प्रशिक्षण एनएसडीसी द्वारा हाल ही में संचालित कौशल अंतर अध्ययनों के जरिए मांग के आकलन के आधार पर दिया जाएगा। कौशल विकास के लक्ष्य निर्धारित करते समय हाल में ही लागू किए गए प्रमुख कार्यक्रम जैसेकि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन और स्वच्छ भारत अभियान की मांगों को भी ध्यान में रखा जाएगा। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति 2015 तैयार करने और अधिसूचित करने की कवायद तेज हो गई है। इस नीति के अंतर्गत देश में कौशल विकास और उद्यमिता का मुख्य रूप से संपूर्ण परिदृश्य सम्मिलित होगा और यह सुपरिभाषित, मानकीकृत परिणामों के लिए कौशल विकास और उद्यमिता के कार्यकलापों के संचालन के लिए नीति पहल उपलब्ध कराएगा। पिछले दिनों लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कौशल विकास और उद्यमिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजीव प्रताप रूड़ी ने उपयुक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के नेटवर्क में निजी क्षेत्र के 9688 आईटीआई तथा 2284 सरकारी

आईटीआई समेत देशभर में 11972 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) हैं जिनमें 02 जनवरी, 2015 के अनुसार वार्षिक आधार पर 16 लाख 94 हजार सीटे उपलब्ध हैं। मांग के आधार पर डीजीईटी द्वारा नए आईटीआई स्थापित करना या राष्ट्रीय दक्षता विकास निगम द्वारा भागीदारी में नए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना एक नियमित प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि दक्षता विकास/उद्यमिता कार्यक्रमों की 70 से ज्यादा योजनाएं लागू करने में केन्द्र के 20 मंत्रालय/विभाग संलग्न हैं। ये योजनाएं जनजातीय इलाकों सहित सभी सामाजिक समूहों के लिए दक्षता विकास के समान अवसर उपलब्ध कराती हैं। हालांकि जनजातीय मामलों के मंत्रालय की कुछ योजनाएं विशेष रूप से जनजातीय लोगों के लिए हैं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक प्रमुख योजना है। इसके तहत पाठ्यक्रमों में सुधार, बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रशिक्षण में अन्य पहलुओं के साथ व्यवहार कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल है। इसके तहत मुख्य रूप से श्रम बाजार में पहली बार प्रवेश कर रहे लोगों पर जोर होगा और विशेषकर कक्षा 10 व 12 के दौरान स्कूल छोड़ गए छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन एनएसडीसी के प्रशिक्षण साझेदारों द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में लगभग 2,300 केंद्रों के एनएसडीसी के 187 प्रशिक्षण साझेदार हैं। इनके अलावा केंद्र व राज्य सरकारों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं को भी इस योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए जोड़ा जाएगा। सभी प्रशिक्षण प्रदाताओं को इस योजना के लिए योग्य होने के लिए एक जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। पीएमकेवीवाई के तहत सेक्टर कौशल परिषद व राज्य सरकारें भी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी करेंगे। योजना के तहत एक कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली (एसडीएमएस) भी तैयार की जाएगी जो सभी प्रशिक्षण केंद्रों के विवरणों और प्रशिक्षण व पाठ्यक्रम की गुणवत्ता की जांच करेगी और उन्हें दर्ज भी करेगी। जहां तक संभव होगा प्रशिक्षण प्रक्रिया में बायोमिट्रिक सिस्टम व वीडियो रिकार्डिंग भी शामिल की जाएगी। शिकायतों के निपटान के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र भी शुरू किया जाएगा। इसके अलावा कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के लिए एक ॲनलाइन नागरिक पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। कुल 1120 करोड़ रुपये के परिव्यय से 14 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और इसमें पूर्व शिक्षा-प्रशिक्षण को चिह्नित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस मद में 220 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। युवाओं को जुटाने तथा जागरूकता फैलाने के लिए 67 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। युवाओं को कौशल मेलों के



जरिए जुटाया जाएगा और इसके लिए स्थानीय स्तर पर राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय आधारित संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा।

राष्ट्रीय कौशल एवं उद्यम विकास नीति

कौशल व उद्यम विकास वर्तमान सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। नवगठित कौशल व उद्यम विकास मंत्रालय की मेक इन इंडिया अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह अभियान भारत को एक विनिर्माण केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए अहम पहल है। विकासशील अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र समेत सभी क्षेत्रों की मांग के अनुसार प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करने में इस मंत्रालय की अहम भूमिका है। इस दिशा में उठाए गए सभी उपायों को शामिल करने के लिए एक नई राष्ट्रीय कौशल व उद्यम विकास नीति भी तैयार की गयी है। इस नीति के जरिए उच्च गुणवत्ता वाले कार्यबल के साथ विकास को बढ़ावा देने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। वर्ष 2022 तक 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत तीन संस्थान कार्य कर रहे हैं।

राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद

राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कौशल विकास प्रयासों को नीतिगत दिशा दे रही है और इनकी समीक्षा भी कर रही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय प्रधानमंत्री की परिषद के नियमों को लागू करने के लिए रणनीतियों पर कार्य कर रहा है। एनएसडीसी एक गैर-लाभ कंपनी है और गैर-संगठित क्षेत्र समेत श्रम बाजार के लिए कौशल प्रशिक्षण की जरूरतों को पूरा कर रही है।

अटल नवाचार मिशन

केंद्र सरकार की ओर से नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन एआईएम की स्थापना की जा रही है। यह एक नवाचार संवर्द्धन मंच होगा, जिसमें शिक्षाविदों, उद्यमियों और शोधकर्ताओं को शामिल किया जाएगा और भारत में नवाचार, अनुसंधान एवं विकास तथा वैज्ञानिक शोध की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों का लाभ उठाया जाएगा। यह मंच भारत के लिए विश्वस्तरीय नवाचार केंद्रों के नेटवर्क को भी प्रोत्साहन देगा। प्रारंभ में इस उद्देश्य के लिए एक सौ पचास करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की जाएगी। इसी तरह केंद्र सरकार एक स्वरोजगार और प्रतिभा का उपयोग (सेतु) तंत्र की स्थापना भी करने जा रही है। यह सेतु एक औद्योगिकीय-वित्तीय उद्भवन होगा और अन्य स्वरोजगार के क्रियाकलापों, विशेषकर प्रौद्योगिकी प्रेरित क्षेत्रों में व्यवसाय चलाने के सभी पहलुओं की सहायता करने हेतु सहायता कार्यक्रम होगा।

इस प्रयोजन के लिए, नीति आयोग में आरंभिक रूप में 1000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) और प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) को मिलाकर वर्ष 2008 से नई योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नाम से शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य नए स्वरोजगार उपक्रम/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश में अच्छी तरह से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसके साथ ही व्यापक रूप से पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसके तहत 18 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को योजना का लाभ दिया जा सकता है। इसके तहत करीब 10 लाख रुपये की लागत तक की परियोजना स्थापित करने के लिए मदद दी जाती है। लाभार्थी की शैक्षिक योग्यता कम से कम आठवीं पास होना जरूरी है। योजनाओं के तहत सहायता नए पीएमईजीपी के तहत विशेष रूप से स्वीकृत परियोजनाओं के लिए ही उपलब्ध है। स्वयंसहायता समूह भी पीएमईजीपी के तहत सहायता के लिए पात्र हैं।

परियोजना स्थापित करने के लिए सामान्य लाभार्थी का अंशदान 10 फीसदी एवं आरक्षित वर्ग का 15 प्रतिशत है। इसमें सामान्य श्रेणी में शहरी इलाके में 15 फीसदी एवं ग्रामीण इलाके में 25 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान है। जबकि आरक्षित वर्ग के शहरी लाभार्थी को 35 एवं ग्रामीण इलाके के लाभार्थी को 35 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। परियोजना की अधिकतम लागत की बात करें तो विनिर्माण क्षेत्रों के तहत परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये है जबकि व्यापार/सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकृत अधिकतम लागत 10 लाख रुपये है। इसके तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) एकल पीएमईजीपी के लिए राष्ट्रीय-स्तर की नोडल कार्यान्वयन एजेंसी होगी। इसके लिए जिला उद्योग केंद्र से बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। लाभार्थी को तीन से सात साल के अंदर ऋण भुगतान करना होता है।

संदर्भ

- प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए वक्तव्य।
- संसद में कौशल विकास और उद्यमिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजीव प्रताप रूड़ी की ओर से दिए गए जवाब।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) से मसौदा दृष्टिकोण प्रलेख।
(लेखिका कालेज प्रवक्ता हैं और युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं में नियमित लेखन कार्य से जुड़ी हैं।)
- पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार।
- ई-मेल: kusumalata.kathar@gmail.com

CSAT 2015 के लिए फारस्ट ट्रैक बैच

65 दिनों की कक्षाएं

6 कक्षाएं प्रति सप्ताह

**बैच प्रांगण - मुख्यमंडल नगर (हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम)
ओल्ड राऊंड नगर (अंग्रेजी माध्यम), बेर सदाय (अंग्रेजी माध्यम)**

सिर्फ CL ही आपको IAS तक पहुँचाएगा !

CL पंजीकरण संख्या	विद्यार्थी का नाम	यूपीएससी अनुक्रमांक	CSAT प्राप्तांक (200 में से)	CSAT प्रतिशत	सिविल सेवा (प्र.) 2013 के कट अॉफ (241) में CSAT के प्राप्तांक का प्रतिशत
1988094	अशिकेक अब्दुल	225650	194.18	97.1	80.6
2699229	राज कमल रंजन	220538	190.83	95.4	79.2
5619304	शृंगीत वेमुला	044017	190	95.0	78.8
5619556	शेख रहमान	181495	190	95.0	78.8
5619239	प्रशांत जैन	322447	190	95.0	78.8
5619441	रविंदर जैन	327293	190	95.0	78.8
494563	शरत थोंडा	083223	190	95.0	78.8
5293707	आशीष सांगवान	011764	188.33	94.2	78.1

और भी बहुत से ...

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अखिल भारतीय टेस्ट सीरीज़ 100 से भी अधिक शहरों में उपलब्ध

सिविल सेवा परीक्षा '13 के टॉप 10 में से 6 CL विद्यार्थी हैं



गौरव अभिषेक
CL पंजीकरण संख्या: 3540934



रिशभ राज
CL पंजीकरण संख्या: 1035692



लक्ष्मी साहनी
CL पंजीकरण संख्या: 5293711



जस्पल सिंह वर्णीज
CL पंजीकरण संख्या: 5293820



दिव्यांशु शर्मा
CL पंजीकरण संख्या: 4088566



मेघा रूपरा
CL पंजीकरण संख्या: 10017630



CL

Civil Services
Test Prep

www.careerlauncher.com/civils

/CLRocks

अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम् CL केंद्र पर संपर्क करें!

दिल्ली / एनसीआर में CL सिविल सेवा के अध्ययन केंद्र

मुख्यमंडल नगर: 204/216, द्वितीय तल, विएट अवन/एमटीएनएल बिल्डिंग, पोल ऑफिस के सामने, फोन - 41415241/46

ओल्ड राऊंड नगर: 18/1, प्रथम तल, अग्रवाल स्टील्स के सामने, फोन - 42375128/29

बेर सदाय: 61डी, ओल्ड जे. एन. यू. कैम्पस के सामने, जवाहर बुक डिपो के पीछे, फोन - 26566616/17

गाजियाबाद: सी-27, द्वितीय तल, आरडीसी मार्केट, याज नगर, (बीकानेर एवीटेस के सामने) फोन - 0120-4380996

इलाहाबाद: 19 बी/49, भूतल, कमला नेहरू मार्ग, यूनिवर्सिटी स्ट्रीटियम गेट के सामने, मनमोहन पार्क चौराहा, फोन - (0)9956130010

अब बेटी भी खुल के बोलेगी

— उमाशंकर मिश्र

बेटियों का दर्जा हमारे समाज में हमेशा दोयम बना रहा है। शिक्षा, रोजगार, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में बेटियों की भूमिका को सशक्त बनाने के लिए अब 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना एक मजबूत आधार बनकर उभर सकती है। लेकिन इस दिशा में सरकार के साथ-साथ समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।

कन्या भूषण हत्या, गहरी होती लैंगिक असमानता, महिलाओं के प्रति सामाजिक भेदभाव, बढ़ती मातृत्व मृत्यु दर, 40 प्रतिशत से अधिक अशिक्षित महिलाएं और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध से समाज में महिलाओं की स्थिति का आभास सहज ही हो सकता है। 1970 के बाद महिला आंदोलन ने जोर पकड़ा और महिलाओं की इस स्थिति को लेकर एक सार्थक बदलाव की नींव तैयार होने लगी। बाद में स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से भी कुछ फायदा जरूर हुआ, लेकिन अभी भी भेदभाव की खाई कम नहीं हुई है। आज एक ओर विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं उच्च पदों पर कार्यरत हैं। वहीं, दूसरी ओर महिलाओं की आबादी का एक बड़ा हिस्सा वंचित जिंदगी जीने को मजबूर है। उच्च वर्ग की कुछ महिलाएं राजनीतिक दलों के प्रमुख पदों पर हैं, इसके बावजूद संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला सदस्यों की संख्या महज 10 प्रतिशत है।

समाज में महिलाओं का यह दोयम दर्जा हमेशा से मौजूद रहा है। इस सामाजिक जड़ता को तोड़ने में अभी वक्त लग सकता है, क्योंकि महिलाओं से भेदभाव की जड़ें भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास से जुड़ी हुई हैं। 19वीं सदी में इस कड़ी में बदलाव के बीज उस वक्त दिखाई पड़ते हैं, जब समाज में सती प्रथा और बाल विवाह जैसी समस्याएं मौजूद थीं। उसके बाद महिलाओं की शिक्षा, सेहत, रोजगार और समाज में उनकी स्थिति को लेकर भी आवाज उठने लगी। भारत में महिला आंदोलन ने हिंसा, संपत्ति में अधिकार, कानूनी अधिकार, राजनीतिक

भागीदारी और अल्पसंख्यक महिलाओं के अधिकारों को लेकर काफी काम किया। शायद यही कारण है कि आज समाज में महिलाओं की स्थिति में बदलाव दिखाई देता है। लेकिन स्थिति अभी भी पूरी तरह बदली नहीं है। सन् 2001 की जनगणना के मुताबिक भारत में प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या 927 थी, जो 2011 में गिरकर 918 रह गई। गरीबी, कुपोषण और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव आज भी मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर का एक बड़ा कारण बना हुआ है। ग्रामीण भारत में करीब 60 प्रतिशत लड़कियों की शादी आज भी 18 साल से पहले हो जाती है। करीब इतनी महिलाएं 19 साल की उम्र तक मां बन जाती हैं। मातृत्व मृत्यु दर के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। एक लाख से अधिक महिलाओं की मौत गर्भावस्था और इससे संबंधित जटिलताओं के कारण हो जाती है। सिर्फ 53 प्रतिशत महिलाओं को टिटनेस के इंजेक्शन लग पाते हैं और महज 46 प्रतिशत महिलाओं को रक्तचाप मापने जैसी सुविधाएं मिल पाती हैं। 80 प्रतिशत महिलाएं अभी भी अनीमिया की शिकार हैं। दो तिहाई प्रसव घर पर ही होते हैं और सिर्फ 43 प्रतिशत महिलाओं की देखरेख हेल्थ प्रोफेशनल की निगरानी में हो पाती है।

महिला साक्षरता की तस्वीर भी निराशाजनक है। 1951 में 25 प्रतिशत पुरुष और महज सात फीसदी महिलाएं शिक्षित थीं। 2001 की जनगणना के मुताबिक 54 प्रतिशत महिलाएं लिख-पढ़ सकती थीं। 2011 में महिला साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत तथा पुरुष साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत दर्ज की गई है। साक्षरता के





राष्ट्रीय औसत में भी काफी विविधता देखने को मिलती है। बिहार में यह दर सबसे कम यानी 46.40 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 51.36 प्रतिशत, हरियाणा में 56.91 प्रतिशत तथा राजस्थान में 47.76 प्रतिशत है। खुशी की बात यह है कि केरल में महिला साक्षरता दर 100 प्रतिशत है। आधिकारिक कार्यबल के रूप में दर्ज महिलाओं की संख्या आज भी बेहद कम है। जबकि ईंधन इकट्ठा करने से लेकर, चारे एवं पानी की व्यवस्था और कृषि कार्य में महिलाओं के योगदान को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

घर या फिर बाहर महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध भी एक कड़ी सच्चाई है। बलात्कार, हिंसा, तस्करी और वेश्यावृत्ति जैसे दलदल से महिलाएं आज भी निकल नहीं पाई हैं। हालांकि महिलाओं को संवैधानिक तौर पर समानता का अधिकार प्राप्त है। दहेज, बलात्कार, उत्पीड़न समेत महिलाओं से जुड़े कई अपराधों से संबंधित कानूनों में सुधार किया है लेकिन हालातों में बहुत अधिक सुधार दिखाई नहीं देता। भारत में कन्या पूजन का विधान है, लेकिन हमारे समाज में आज भी बड़ी संख्या में बेटियां मां के गर्भ में ही मार दी जाती हैं। कितनी ही लड़कियां स्कूल जाने को तरसती हैं।

केन्द्र सरकार ने अब इस भेदभाव से निबटने का फैसला करते हुए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत की है। यह योजना प्रारंभ में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के ऐसे 100 चुनिंदा जिलों में एक राष्ट्रीय अभियान के जरिए कार्यान्वयन की जाएगी, जहां बालक-बालिकाओं का अनुपात बेहद कम है। इस योजना का आरंभ हरियाणा में किया गया है क्योंकि

इसी राज्य में बालक-बालिका अनुपात सबसे कम है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य 'बालक-बालिका' अनुपात बढ़ाना है। आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में सबसे कम यानी 877 महिलाएं, जबकि केरल में सर्वाधिक यानी 1000 के पीछे 1084 महिलाएं हैं। महिलाओं के प्रति भेदभाव खत्म करने और कन्या भ्रूण हत्या रोकने के प्रयास को प्रभावी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त पहल है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार यह योजना लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने और उन्हें सुरक्षा देने पर भी केंद्रित होगी।

बेटियों के जीवन की रक्षा करना और उन्हें शिक्षित कर अपनी जिंदगी में आने वाली तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना का उद्देश्य है। देश भर में जन अभियान के माध्यम से सामाजिक मानसिकता को बदलकर और इस पर जागरूकता पैदा करके इस योजना को सफल बनाने की कोशिश की जाएगी। इसमें लड़कियों एवं महिलाओं से किए जा रहे भेदभाव को समाप्त करने पर भी जोर दिया जाएगा।

इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भावस्था के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने, भागीदारों के प्रशिक्षण, सामुदायिक संवाद, कार्यकर्ताओं एवं संस्थानों को मान्यता और पुरस्कार देने जैसे काम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जिम्मे सौंपे गए हैं। जबकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी

सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक बचत खाते कर्नाटक में और सबसे कम बचत खाते बिहार में खुले हैं। इस योजना के चालू होने के दो महीने के भीतर ही 1.80 लाख बचत खाते खोले गए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम के तहत बेटियों के लिए एक लघु बचत योजना शुरू की थी। इन बचत खातों पर 9.1 प्रतिशत व्याज दिया जाएगा जो कि आयकर मुक्त होगा। वित्त मंत्रालय से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत कर्नाटक में सबसे अधिक 56,471 खाते, तमिलनाडु में 43,362 खाते और आंध्र प्रदेश में 15,877 खाते खोले गए। हालांकि बिहार में सबसे कम 204, केरल में मात्र 222 और पश्चिम बंगाल में केवल 334 खाते खोले गए। दिल्ली में 2054, हरियाणा में 4177 और उत्तर प्रदेश में 7620 खाते खोले गए।

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटी पैदा होने के बाद कभी भी उसके नाम जब तक कि वो दस साल की नहीं हो जाती, एक हजार रुपये की न्यूनतम राशि के साथ खाता खोला जा सकता है। इस योजना के तहत एक वित्तवर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कराए जा सकते हैं।

ये खाते किसी भी डाकखाने या बैंक की किसी भी अधिकृत शाखा में खोले जा सकते हैं। ये खाते लड़की की उम्र 21 साल होने तक या फिर लड़की के 18 साल के होने के बाद शादी होने तक चालू रहेंगे।

योजना के अंतर्गत लड़की के 18 वर्ष की होने के बाद उच्च शिक्षा के खर्चों से निपटने के लिए 50 प्रतिशत तक राशि निकालने की अनुमति का प्रावधान है।

(पसूका से साभार)

गर्भधारण पूर्व और जन्म-पूर्व जांच तकनीकों पर कड़ी नजर रखने, अस्पतालों में प्रसव को बढ़ावा देने, जन्म पंजीकरण और निगरानी समितियों के गठन की है। वहीं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की भूमिका में स्कूल में लड़कियों का पंजीकरण, स्कूलों में लड़कियों की ड्रॉप आउट दर में कमी लाने, विद्यालयों में लड़कियों के अनुरूप मानक बनाना, शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर सख्ती से अमल करना, स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय बनाने पर विशेष ध्यान देना शामिल है।

बेटियों को बचाने और उन्हें हर क्षेत्र में बराबरी का अवसर देने के लिए इस योजना में सरकार 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी। हालांकि समस्या के विस्तार को देखते हुए यह रकम काफी कम जान पड़ती है। फिर भी इस योजना को जिस तरह आक्रामक ढंग से चलाए जाने की बात हो रही है, उससे एक उम्मीद जरूर पैदा हुई है। मानव संसाधन के विकास में बड़ी बाधा को कम करने लिए शुरू की गई यह योजना देश से महिलाओं और बेटियों के प्रति भेदभाव और लिंगानुपात के अंतर को कम करने की ठोस शुरुआत मानी जा रही है। बेटियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में सुधार लाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। सरकार की मंशा है कि इस योजना की बदौलत बालिका शिक्षा की दर को भी बढ़ाया जाए और महिलाओं के कल्याण और बालिकाओं के प्रति जागरूकता पैदा की जा सके।

किसी भी योजना की सफलता बहुत हद तक जागरूकता के प्रचार-प्रसार पर भी निर्भर करती है। इस योजना की मुख्य रणनीतियों में संवाद अभियान को बढ़ावा देना भी शामिल है ताकि सामाजिक मानदंडों में बदलाव लाने के साथ-साथ बालिकाओं को समान महत्व दिलाया जा सके। उम्मीद की जानी चाहिए कि

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना बेटियों को उनका हक दिलाने में मददगार साबित होगी। लेकिन इसके लिए सरकार के साथ-साथ समाज को भी अपनी भूमिका समझनी होगी।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के मुख्य बिंदु

- ग्राम पंचायत हर लड़की का जन्म होने पर उसके परिवार को तौहफा भेजेगी।
- ग्राम पंचायत साल में कम-से-कम एक दर्जन लड़कियों का जन्मदिन मनाएगी।
- सभी ग्राम पंचायतों में गुड़ा-गुड़ी बोर्ड लगाए जाएंगे। हर महीने इस बोर्ड में संबंधित गांव के बालक-बालिका अनुपात को दर्शाया जाएगा।
- सभी ग्राम पंचायतों में लोगों को 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की शपथ दिलाई जाएगी।
- कन्या भूषण हत्या रोकने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों को अभियान में शामिल किया जाएगा।
- किसी गांव में अगर बालक-बालिका अनुपात बढ़ता है, तो वहां की ग्राम पंचायत को सम्मानित किया जाएगा।
- बाल विवाह के लिए ग्राम प्रधान को जिम्मेदार माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

(वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (कोटा) में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के शोधार्थी उमाशंकर मिश्र विकास संबंधी मुद्रों पर लिखते रहे हैं। उनके लेख, रिपोर्ट्स एवं शोधपत्र विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं एवं वेबसाइट्स में प्रकाशित हो चुके हैं।

ई-मेल: umashankarm2@gmail.com)

सदस्यता कृपन

मैं/ हम कृशकूट्रा का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/ चाहती हूं/ चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का

(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक दिनांक संलग्न है।

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग के नाम नई दिल्ली में देय हो।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

पता

पिन

इस कृपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड-4, तल-7, रामकृष्णपुरम,

नई दिल्ली-110 066



ग्रामीण पर्यटन के बढ़ते कदम

— अखिलेश आर्यन्दु

पर्यटन रोजगार देने वाले सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। और यह समाज में कम सुविधाओं के साथ समग्र विकास को बढ़ावा देने और निर्धनता को कम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के साथ गांवों में पर्यटन की संभावना का पता लगाकर पर्यटकों को आकर्षित करने का कार्य भी केंद्र और राज्य सरकारों करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। केंद्र में सत्तासीन नई सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में नई नीति बनाई है। इस नीति का उद्देश्य गांवों को नए पर्यटन क्षेत्रों से जोड़ना और लोगों को इसके माध्यम से रोजगार मुहैया कराना है। इसी के साथ केंद्र सरकार ने गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुझाव मांगे हैं। इससे जहां नए पर्यटन स्थलों का समुचित विकास होगा वहीं पर अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी विकास होगा।

देष जैसे—जैसे विकास के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है। वैसे—वैसे गांवों का विकास भी निरंतर हो रहा है। रोजगार, बेहतर और उत्तम स्वास्थ्य, सबको शिक्षा मुहैया कराने का कार्य, कृषि क्षेत्र के बढ़ते कदम और कुटीर उद्योगों की बढ़ती रफ्तार भी गांवों के विकास में चार चांद लगा रही है। पर्यटन रोजगार देने वाले सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। और यह समाज में कम सुविधाओं के साथ समग्र विकास को बढ़ावा देने और निर्धनता को कम करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के साथ गांवों में पर्यटन की संभावना का पता लगाकर पर्यटकों को आकर्षित करने का कार्य भी केंद्र और राज्य सरकारों करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2002 में नई विकासोन्मुख पर्यटन नीति बनाई गई थी। इससे शहरी पर्यटन को बढ़ावा तो मिला लेकिन गांवों में पर्यटन का वैसा विकास नहीं हुआ जैसाकि होना चाहिए। फिर भी देष के कुछ राज्यों में गांवों में नए पर्यटन स्थलों का सृजन हुआ।



केंद्र में सत्तासीन नई सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में नई नीति बनाई है। इस नीति का उद्देश्य गांवों को नए पर्यटन क्षेत्रों से जोड़ना और लोगों को इसके माध्यम से रोजगार मुहैया कराना है। इसी के साथ केंद्र सरकार ने गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुझाव मांगे हैं। इससे जहां नए पर्यटन स्थलों का समुचित विकास होगा वहीं पर अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी विकास होगा। सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब ही नहीं गुजरात, केरल, पूर्वोत्तर के साथ ही साथ दक्षिण के राज्यों में ग्रामीण पर्यटन की संभावनाओं को देखकर गांवों में इसके कारण रोजगार की नई संभावनाओं का पता तो लगाया ही जा रहा है साथ ही गांवों के विकास में भी इसके योगदान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए बजट में जहां बहरी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं वहीं पर ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा देकर गांवों को विकास के नए मार्ग पर आगे बढ़ाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं।

आर्थिक दृष्टि से पर्यटन को अब उद्योग का दर्जा दिया गया है। वीजा ऑन अराइवल की सफलता को देखते हुए सरकार ने अब इसे 43 से बढ़ाकर 150 देशों के लिए लागू करने का मन बना लिया है। चरणबद्ध रूप से लागू करते हुए नए साल के अंत तक एक करोड़ विदेशी पर्यटकों को भारत लाने का लक्ष्य पूरा करने की केंद्र की योजना है। पर्यटन मंत्रालय के योजना बजट का आधे से अधिक हिस्सा गंतव्यों के विकास और ग्रामीण पर्यटन के बुनियादी ढांचे की बुनियादी परियोजनाओं को वित्तीय रूप से मजबूत करना है। अभी बहरी क्षेत्रों में पर्यटन का कार्य आगे बढ़ रहा है लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह बढ़ाया जा रहा है। पर्यटन के विकास को



संचालित करने के लिए कुछ विषेष कारकों का होना आवश्यक माना जाता है। केंद्रीय विपणन को आगे बढ़ाने के प्रयासों को और भी अधिक मजबूती से किया जा रहा है। इसमें हवाई परिवहन के साथ ही साथ ऑनलाइन ट्रेवेल पोर्टल के विकास के अतिरिक्त अंतर-क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने और उसे अधिक असरकारक बनाकर सार्वजनिक-निजी भागीदारी को मजबूत करना है। गांवों में इसकी अधिक आवश्यकता है। नये पर्यटन क्षेत्रों को चिन्हित करके उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना और इसे स्थायित्व देना भी आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली के गांवों में भी अनेक पर्यटक स्थल बनाए गए हैं। जैसे लोकनायक जयप्रकाश पर्यटन स्थल, पञ्चमी बंगाल में नेताजी सुभाष पर्यटन स्थल आदि। हरियाणा के झज्जर जनपद का प्रतापगढ़ गांव, राजस्थान का नीमराना, उत्तर प्रदेश के लमहीगांव, इलाहाबाद का शंकरगढ़ गांव भी महत्व के हैं।

पर्यटन क्षेत्रों का विस्तार

पिछले कुछ वर्षों में पर्यटन को विषेष उद्योग मानते हुए इनके क्षेत्रों का विस्तार किया गया है। इससे विषेषकर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में कामयाबी मिली है। गांवों में पुरातत्व, कला, ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों, कवियों, समाज सुधारकों, कलाकारों, तीर्थ स्थानों, स्वतंत्रता सेनानियों और अन्य प्रकार के समाज और संस्कृति उन्नायकों के जन्म व कर्मस्थलों को विकसित करके उन्हें पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया

जा रहा है। ऐसे स्थल बहुत बड़ी संख्या में हैं। कुछ प्रमुख पर्यटक उद्योग के क्षेत्र नए प्रकार से विकसित किए गए हैं जिसमें स्थायी पर्यटन, फिल्म पर्यटन, साहसिक पर्यटन, कल्याण पर्यटन, गोल्फ पर्यटन, क्रूज पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, पोलो पर्यटन, पारिथितीकी पर्यटन, कला पर्यटन और संस्कृति पर्यटन प्रमुख हैं। इन पर्यटन क्षेत्रों में देशी-विदेशी पर्यटकों को निर्बाद्ध गति से इन स्थानों की यात्रा के लिए सरकार की ओर से सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं जिससे 365 दिनों तक पर्यटकों को पर्यटन के लिए आकर्षित किया जा सके।

विदेशी पर्यटकों से बढ़ता पर्यटन उद्योग

भारत में पर्यटन क्षेत्र का जहां विस्तार हो रहा है वहीं पर नए पर्यटन स्थलों, जिसमें ग्रामीण पर्यटन स्थल भी सम्मिलित हैं, को नए प्रकार से विकसित करके पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है। इससे गांवों की ओर भी देशी-विदेशी पर्यटकों का आकर्षण निरंतर बढ़ रहा है। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जहां 2012 में देशी-विदेशी कुल 7.5 लाख पर्यटक आए वहीं पर 2013 में पर्यटन में 5.9 प्रतिष्ठत की वृद्धि हुई जिसमें 6.77 लाख विदेशी पर्यटक सम्मिलित हैं वहीं देशी पर्यटकों की संख्या 1, 145 लाख थी।

इसी प्रकार 2014 में विदेशी पर्यटकों का भारत आगमन 7.1 प्रतिष्ठत से बढ़कर 7.5 प्रतिष्ठत हो गया है। इससे यह पता चलता है कि पर्यटन की दिशा में विदेशी पर्यटकों का आगमन लगातार बढ़ रहा है।

विदेशी पर्यटकों को वीजा का नाम अब ई-वीजा

केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल, 2015 को घोषणा की कि अब विदेशी पर्यटकों को जो आगमन वीजा देने की नीति थी उसमें परिवर्तन करते हुए उसका नाम बदलकर ई-वीजा कर दिया गया है। स्पष्ट है देश के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 2010 में आगमन वीजा देने की घोषणा की थी जिससे पर्यटकों में भ्रम उत्पन्न हो जाता था। इस भ्रम को दूर करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने इसका नाम बदलकर जहां ई-वीजा कर दिया है वहीं पर उन्हें अब पहले से पिछले





देश में पर्यटन के विकास के लिए नई योजनाएं



- विशेष मूल—विषयों के इर्द—गिर्द पर्यटन सर्किटों के समन्वित विकास के लिए स्वदेश दर्शन।
 - सभी मतों के तीर्थस्थलों के सौंदर्यीकरण और वहां बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए तीर्थयात्रा पुनर्जीवन और आध्यात्मिक चेतना अभियान (प्रसाद) पर आधारित राष्ट्रीय अभियान।
- स्वदेश दर्शन के अधीन निम्नलिखित पांच सर्किटों के विकास के लिए उनकी पहचान की गई है –
- उत्तर—पूर्व सर्किट; बौद्ध सर्किट; हिमालयी सर्किट; समुद्रतटीय सर्किट; कृष्णा सर्किट;
- प्रसाद के अधीन प्रारंभिक तौर पर अजमेर, अमृतसर, अमरावती, द्वारका, गया, केदारनाथ, कामाख्या, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी और वेलांकन्नी नामक बारह नगरों की पहचान की गई है।
- वर्ष 2015–16 के लिए स्वदेश दर्शन और प्रसाद के लिए क्रमशः 600 करोड़ रुपये और 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान तैयार किया गया है।

(करोड़ रुपये में)

स्वदेश दर्शन के अधीन मंजूर परियोजनाएं				
क्र.सं.	सर्किट का नाम	परियोजना का नाम	मंजूर धनराशि	जारी की गई धनराशि
1.	उत्तर—पूर्व सर्किट	अरुणाचल प्रदेश में भालूकपोंग—बॉम्डीला—तवांग	50.00	10.00
2.	बौद्ध सर्किट	सांस्कृतिक केन्द्र, बोधगया	33.17	6.63
3.	समुद्रतटीय सर्किट	आंध्रप्रदेश में काकीनाडा—होप प्रायद्वीप—कोनासीमा की विश्व समुद्रतटीय और पारिस्थितिकीय पर्यटन सर्किट के रूप में	69.83	3.37

(करोड़ रुपये में)

प्रसाद के अधीन मंजूर परियोजनाएं				
क्र.सं.	नगर का नाम	परियोजना का नाम	मंजूर धनराशि	जारी की गई धनराशि
1.	गया	बिहार के गया स्थित विष्णुपद मंदिर में बुनियादी सुविधाओं का विकास	4.29	0.86
2.	पुरी	पुरी में बुनियादी विकास	50.00	10.00
3.	मथुरा	मथुरा—वृदावन का विकास	14.93	2.99
4.	मथुरा	मथुरा पर्यटन सुविधा केन्द्र	9.35	1.75

(पसूका से साभार)

वित्त वर्ष में पर्यटन मंत्रालय ने दो नई परियोजनाओं की शुरुआत की— अधिक आकर्षित करने के लिए कुछ नियमों में बदलाव भी किए गए हैं। वर्तमान में 12 देशों के नागरिकों को आगमन पर वीजा सुविधा प्रदान की जाती है। इन देशों के नाम हैं—सिंगापुर, जापान, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, लक्समर्बर्ग, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, वियतनाम व लाओस। यह सुविधा देश में 15 अगस्त, 2013 से दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, कोच्चि, बंगलुरु और तिरुअनंतपुरम में उपलब्ध है।

पर्यटकों को आकर्षित करने के कुछ सफल प्रयोग

देशी—विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे प्रयोग किए हैं जो सफल साबित हुए हैं जिसमें गांवों में दर्शनीय नए स्थलों का विकास और उन्हें आकर्षक बनाने के लिए विषेष प्रकार के निर्माण और उनका बेहतर तरीके से रखरखाव, अतुल्य भारत बेड और ब्रेकफास्ट होम स्टे योजना को आगे बढ़ाना, चिकित्सा पर्यटन को और अधिक व्यवस्थित तथा विस्तारित करना, स्थायी पर्यटन और फिल्म पर्यटन को अधिकाधिक बढ़ावा देकर पर्यटन को सबसे लाभकारी उद्योग के रूप में विकसित करना समिलित है।

इस योजना में देशी—विदेशी पर्यटकों को एक भारतीय परिवार के साथ रहने का अवसर उपलब्ध कराया जाता है। इससे जहाँ पर्यटकों को भारतीय संस्कृति को समझने का अवसर मिलता है वहीं पर भारतीय आतिथ्य—सत्कार, जीवन जीने की कला और भारतीय आहार—विहार को भी अत्यंत नजदीक से समझने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है। गांवों में इस योजना को आगे बढ़ाने से जहाँ विदेशी भारत की मौलिक लोक—संस्कृति, कला और जीवनरैली से परिचित होंगे वहीं पर गांवों की आपसी पूरकता, सद्भावना, भाईचारा, सहिष्णुता, आतिथ्य सत्कार, आहार—विहार और स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने की प्रवृत्ति को भी देख—समझ सकेंगे। गांवों में पुराने बने धिवालय, चौपाल, बाग—बगीचे, तालाब, पुरातत्व के स्थान और अन्य दर्शनीय स्थलों को और अधिक विकसित करके देशी—विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना को और अधिक सफलता के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है।

बजट में ग्रामीण पर्यटन के लिए विषेष प्रावधान

केंद्र में नई सरकार के पहले पूर्ण बजट में जहाँ शहरी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं वहीं पर ग्रामीण क्षेत्रों के ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक संस्कृति के महत्व वाले, पुरातत्व और तीर्थस्थलों के विकास के लिए ही नहीं उनके रख—रखाव के लिए भी अनेक कदम उठाए जाने की बात की है। बजट में विषेष रूप से कुतुबशाही मकबरा, रानी की वाव पाटन गुजरात, हम्पी, कर्नाटक, पुराने गोवा के गिरिजाघर, जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब, वाराणसी शहर के प्रसिद्ध मंदिर, लेह पैलेस,

लद्दाख, जम्मू—कश्मीर, कुम्भलगढ़ और राजस्थान के अन्य किले जो ऐतिहासिक रूप से अपना महत्व रखते हैं, का विकास करने और पर्यटकों को आकर्षित करने के मद्देनजर इन्हें जल्द विष्य मानचित्र में लाने की योजना बनाई गई है।

बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में नये पर्यटक स्थलों की पहचान करने और उन्हें संवारने तथा बेहतर तरीके से रखरखाव करने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों की पुरातत्व महत्व की धरोहरों को संरक्षित करके उनका समुचित विकास किया जाना जरूरी है। सांस्कृतिक समरसता को बढ़ाने की दृष्टि से देश की ऐसी 25 विष्य सांस्कृतिक धरोहरों का विकास करने की ओर संकेत किया गया है लेकिन इनका जीर्णद्वार कब किया जाएगा, इसके बारे में स्पष्ट नहीं है। भू—सौन्दर्यीकरण, द्विभाषीय केंद्रों, पार्कों, आगंतुक जनों और अक्षम लोगों की सुविधाओं का प्राथमिकता के तौर पर विकास करना अभी बाकी है।

गांवों के पर्यटन स्थलों को पहुंच मार्ग और डाक नेटवर्क से जोड़ने की आवश्यकता

गांवों में देशी—विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मुख्य मार्ग से पहुंच मार्ग तक जोड़ने और उन्हें पर्यटन मानचित्र पर दर्शने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों की सहायता से यह काम कर सकती है। आवश्यकता है योजना बनाकर उन्हें कार्यान्वित करने की। साथ ही मूलभूत सुविधाओं—पानी, बिजली, विश्रामगृह, भोजन और वाहन की सुविधा को उपलब्ध कराने की। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश सहित अनेक ऐसे प्रान्त हैं जहाँ के अनेक गांवों में पुरातत्व, पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं जो सरकार की उपेक्षा के षिकार के कारण उपेक्षित पड़े हैं। आज भी गांवों में बेतार, दूरसंचार, और अन्य आधुनिक सुविधाओं के होते हुए भी प्रचलित डाक सेवा को सबसे बेहतर माना जाता है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार के गांवों में फैले 1,54,000 केंद्रों के साथ विषाल नेटवर्क का उपयोग करने की बात को नए बजट में तो रखा गया है लेकिन इसमें से पर्यटन—स्थलों से कितने जुड़े हैं, ऐसे गांवों को प्राथमिकता के तौर पर रखने की आवश्यकता है। इस दिशा में बहुत कुछ अभी किया जाना बाकी है। केंद्र की नई सरकार और राज्य सरकारें इस दिशा में आगे बढ़ेंगी, ऐसी आषा की जानी चाहिए।

संदर्भ

—भारत 2015; मध्य प्रदेश संदेश; अमर उजाला; दैनिक जागरण; भारत में बढ़ती पर्यटन की संभावनाएं; राष्ट्रीय सहारा (हस्तक्षेप); भारतीय पर्यटन विकास निगम;

(लेखक लोक संस्कृति के जानकार और चिंतक हैं)

ई—मेल : akhilesh.aryendu@gmail.com



पर्यटकों को आकर्षित करता ग्रामीण पर्यटन

— सविता कुमारी

किसी भी गांव या क्षेत्र की पहचान उसकी संस्कृति, जनजीवन, हस्तशिल्प और कला से होती है। भारत जैसे विविधता वाले देश में यह पहचान हर थोड़े से फासले पर बदल जाती है। यहां के गांवों में रामायण और महाभारत के वर्णित स्थल हैं तो सूफी संतों की मजारें भी। जैन और बौद्ध धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल हैं तो सिख गुरुओं के उपदेशों का बखान करने वाली जगहें भी। अगर इन स्थलों को प्रचारित किया जाए तो पर्यटक इन्हें देखने के लिए जरूर जाएंगे।

मा नव जीवन का सर्वदा पर्यटन के प्रति एक विषेष आकर्षण रहा है। प्राचीन समय से आवागमन के साधन दुर्लभ थे, किन्तु पर्यटन के प्रति लोगों की मनोवृत्ति विषेषतः रोमांचक थी। पर्यटन मात्र एक शब्द ही नहीं है, अपितु अपने भीतर सम्पूर्णता को संजोये हुए है, चाहे वह संस्कृति-सम्भ्यता हो, इतिहास, भूगोल, राष्ट्रीय एकता, कला, उद्योग संबंधी समस्यायें अथवा संभावनाएं इत्यादि हो। ‘पर्यटन’ शब्द के नाम से ही सम्पूर्ण मानव मस्तिष्क में न केवल अपने देष के अपितु विभिन्न देषों के प्राकृतिक सौन्दर्य, संस्कृति एवं कला की रूपरेखा उपस्थित हो जाती है।

प्रत्येक राज्य अथवा देष का अपना एक विषेष मानवीय एवं भौतिकीय सौन्दर्य होता है। वस्तुतः प्रत्येक देष का सौन्दर्य वहां का प्राकृतिक वातावरण, ऐतिहासिक स्थल, संस्कृति एवं सम्भ्यता का अधिक आकर्षण है और इसी आकर्षण के वर्षीभूत ही लोग विभिन्न देषों अथवा राज्यों में भ्रमण हेतु जाते हैं। वास्तव में यहीं पर्यटन है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के पश्चात् सरकार की मुख्य कोषिष रही है कि इससे अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा कमाई जाए। उसने उदार नीति अपनाई और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक रियायतें दी।

भारत एक विषाल देष है। इस बात की अनुभूति हमें यहां के विविध पर्यटक स्थलों के द्वारा होती है। भारत का ही नहीं वरन् प्रत्येक देष का अपना एक विषेष सौन्दर्य होता है। भारत तो वैसे भी सौन्दर्य से परिपूर्ण देष है, चाहे वह सौन्दर्य मानवीय हो या भौतिकीय। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक भारत की

अपनी खास विषेषताएं हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के ऐतिहासिक लालकिले से दिए अपने भाषण में देष के विकास में पर्यटन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा है कि चूंकि पर्यटन से गरीबों को रोजगार मिलता है इसलिए उनकी सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के हर संभव उपाय करेगी। उनके इस भाषण में पर्यटन क्षेत्र को आर्थिक प्रगति और रोजगार सृजन के औजार के तौर पर विकसित करने की सरकार की मंषा का पता चलता है। मगर यह मंषा तभी पूरी हो सकती है जब सरकार ग्रामीण पर्यटन को पर्याप्त अहमियत दें।

देष में बढ़ा ग्रामीण पर्यटन

भारत जिस प्रकार से विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है उसे देखते हुए ग्रामीण पर्यटन खासा लोकप्रिय हो गया है। भारत की विविधताओं से भरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के कारण लाखों की संख्या में पर्यटक भारत आते हैं। देष में उत्तराखण्ड, राजस्थान, गोवा, जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, कनार्टक आदि राज्यों में ग्रामीण पर्यटन तेजी से विकसित हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के मुखिया तथा विष्व के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स भी बिहार से आकर्षित होकर यहां आए तथा गांवों का दौरा किया। ग्रामीण पर्यटन के तहत पर्यटक देषभर में गांवों में जाकर वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं और कला, संस्कृति और प्राकृतिक सौन्दर्य की विविधता के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं।





पर्यटन क्षेत्र में रोजगार पैदा करने की अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में हर 10 लाख रुपये के निवेष पर अमूमन 47.5 प्रत्यक्ष और 90 परोक्ष रोजगार पैदा होते हैं। दूसरी ओर, इतने ही निवेष पर कृषि में 44.6 और निर्माण क्षेत्र में सिर्फ 12.6 रोजगार पैदा होते हैं। जेवर और सिलेसिलाएं कपड़ों के बाद पर्यटन देष के लिए विदेषी मुद्रा अर्जित करने वाला तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है।

पर्यटन क्षेत्र से देष को 2012 में 94487 करोड़ रुपये की विदेषी मुद्रा हासिल हुई।

देष के लगभग 74 प्रतिष्ठित नागरिक करीब 6.38 लाख गांवों में रहते हैं। गांवों में आबादी बढ़ने के साथ ही कृषि पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के अभाव में गांवों से शहरों की ओर पलायन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने से गांवों में होटल, रेसॉर्ट, रेस्तोरां, परिवहन और अन्य संबंधित क्षेत्रों का विकास होगा तथा युवाओं को अपने घर के नजदीक ही रोजगार मिल सकेगा। इससे गांवों में हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा जो भारतीय बाजार में सस्ते विदेषी समान के प्रवेष से प्रभावित हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर पलायन में भी कमी आएगी।

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसी भारी-भरकम निवेष की जरूरत नहीं पड़ती। गांवों में बिखरी हमारी समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत तथा लोककलाएं ही इसका प्रमुख निवेष है। जरूरत इस बात की है कि इनकी विस्तृत जानकारी पर्यटकों तक पहुंचे और गांवों में ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए। ग्रामीणों को विदेषी और देष के शहरी पर्यटकों के आतिथ्य का हुनर सिखाकर उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाया जा सकता है।

शहरों की जटिल जिंदगी के कारण उनके निवासियों में तनाव भी बढ़ता जा रहा है। अपनी छुट्टियां किसी गांव में बिताना तथा वहाँ के लोगों के रहन-सहन, कृषि के तौर-तरीकों, कलाओं, हस्तशिल्प, ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक परम्पराओं को करीब से देखना इस तनाव को घटाने में मददगार साबित हो सकता है। देष में दूरदराज के ऐसे लाखों इलाके हैं जहाँ ग्रामीण परिवेष में प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने के अलावा गांवों की सादगी और शांति को महसूस किया जा सकता है।

पर्यटन स्थलों समेत समूचे देष में 'स्वच्छ और निर्मल भारत' अभियान महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर शुरू किया जा चुका है। पर्यटन स्थलों के अलावा रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और हवाई अड्डों की भी सफाई इस योजना का खास लक्ष्य है। इस अभियान में बड़ी संख्या में स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को जोड़ने की कोषिष्ठ की जा रही है। इसके तहत छात्र महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में जाकर श्रमदान के माध्यम से स्वच्छता अभियान चलाएंगे। अभियान के पहले चरण में देष भर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 36 महत्वपूर्ण स्मारकों की पहचान की गई है जिनके आसपास सफाई की जिम्मेदारी विभिन्न संस्थानों को सौंपी गई है।

हमारे गांव कितनी ही ऐतिहासिक घटनाओं और लोक-आख्यानों की भूमि रहे हैं मगर उनके बारे में हमारी जानकारी बेहत सीमित है। महाभारत युद्ध के लिए प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र को तो सब जानते हैं। मगर उसके नजदीक के ज्योतिसर और नरकातारी गांव के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। कहते हैं कि ज्योतिसर में ही कृष्ण ने अर्जुन को उपदेष दिया था

और भीष पितामह ने भारतैर्या पर अपने आखिरी दिन नरकातारी में गुजारे थे। दिल्ली में रहने वाले बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि उनके पड़ोस में ही महाभारत सर्किट है जिसमें गुद्मुक्तेष्वर, बरनावा, हस्तिनापुर, शुक्रताल और परीक्षितगढ़ शामिल हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में रोज लाखों श्रद्धालु मृत्यु टेकते हैं। मगर उसके नजदीक ही जगदेष कलां में महान सूफी संत और पंजाब की मषहूर प्रेमकथा 'सरसी पुन्नू' के लेखक हाषम शाह की मजार तथा प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफी के गांव कोटला सुलतान सिंह तक कोई नहीं जाता। केरल के अरनमूला गांव का भी लगभग यही हाल है जहाँ धातु के आइने बनाए जाते हैं। देष भर के हजारों गांवों में कला, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है। हर गांव की अपनी खास परम्पराएं, लोककथाएं, त्यौहार और मेले हैं। इन स्थलों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाए तो निष्प्रित तौर पर पर्यटक इनकी ओर आकृष्ट होंगे।

भारत दुनिया भर में गांवों की धरती के रूप में विख्यात है। इसकी असली तस्वीर गांवों में ही दिखाई देती है। लिहाजा सिर्फ विदेषी पर्यटक ही नहीं बल्कि देषी सेलानी भी देष के अलग-अलग प्रांतों के गांवों में बिखरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को नजदीक से देखने में दिलचस्पी रखते हैं। इससे ग्रामीणों की आमदनी में बढ़ोतरी और जीवर-स्तर में सुधार आता है। मगर दुर्भाग्य से अब तक हमारी विकास की नीतियों के केन्द्र शहर ही रहे हैं। लिहाजा सैलानियों का आना-जाना भी शहरों और उनके आसपास के ग्रामीण पर्यटन स्थलों तक ही सीमित रहा है। देष भर के दूरदराज के क्षेत्रों में भी सांस्कृतिक, हस्तशिल्प, कला और विरासत के लिहाज से बेमिसाल गांव फैले हैं। मगर जानकारी और ढांचागत सुविधाओं के अभाव में पर्यटक वहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते।

ग्रामीण कला का विकास

ग्रामीण कला लोगों को बहुत ही आकर्षित करती है तथा कला एवं संस्कृति पर्यटन की दृष्टि से बहुत अहम होती है।



वर्तमान में बिहार की 'मिथिला पैटिंग' कला एक अद्भुत नमूना पेष कर रही है, जो विष्व भर में विख्यात है। इसी प्रकार राजस्थान का लोकनृत्य, पूर्वी राज्यों का नृत्य भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है।

विदेशी और देशी पर्यटकों को राजस्थान के महल ही आकर्षित नहीं करते बल्कि वहाँ की संस्कृति और कला भी खूब लुभाती है। इसी तरह केरल, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब तथा पूर्वोत्तर के और पर्वतीय राज्यों के गांवों का जनजीवन और उनकी संस्कृति भी पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। यह विविधता हमारे देश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने में उपयोगी साबित हो सकती है।

धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना के तहत राज्य सरकारों की मदद से सूफी, सिख, जैन, महाभारत और बौद्ध पर्यटन स्थल विकसित किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत ऐसे स्थानों की पहचान के लिए विषेषज्ञों और ऐतिहासिकारों की सलाह ली जाती है।

देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में फैली गंदगी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। यह गंदगी भारत को दुनिया के सामने एक आकर्षक पर्यटक क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत करने में आड़े आती है। बड़ी संख्या में पञ्चिमी देशों से पर्यटक सिर्फ इसलिए भारत आने से कतराते हैं कि देश में जगह-जगह गंदगी फैली रहती है। 'अतिथि देवो भवः' प्रोत्साहन के तहत सामाजिक जागरूकता अभियान को भी पहले से और तेज किया गया है। ढांचागत विकास के तहत ग्रामीण पर्यटन के लिए पर्यटन उत्पादों के रूप में 5 से 7 गांवों के समूहों में स्थानीय षिल्प की पहचान करना शामिल है। इस योजना में उन ग्राम समूहों के लोगों में पर्यटन के बारे में जागरूकता बढ़ाना, दस्तकारी बाजार और हाट के माध्यम से स्थानीय उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था करना, स्थानीय बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना और स्वच्छता और आवासीय सुविधाओं का विकास शामिल है। गांवों के समूहों के भीतर पर्यटकों को स्थानीय निवासियों के घरों में ही रहने की सुविधा उपलब्ध कराना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। देश में ऐसे 70 ग्राम समूहों की पहचान कर उन्हें विकसित किया जाएगा। जिसके लिए 12वीं योजना में 770 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

हर राज्य की अलग-अलग विषिष्टताओं और जरूरतों को ध्यान में रखकर पर्यटन की योजना बनाई जानी चाहिए। पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में विरासत, कला एवं संस्कृति, धार्मिक, आध्यात्मिक,

साहसिक और प्राकृतिक पर्यटन के भरपूर अवसर उपलब्ध हैं। इन सबको ध्यान में रखकर ग्रामीण पर्यटन को विकसित कर गांव के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं।

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी रणनीति अपनाई जानी चाहिए जिससे गांवों में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग हो सके। ग्रामीण पर्यटन स्थलों का वर्गीकरण क्षेत्र विषेष से जुड़े स्थलों, परम्पराओं और हस्तशिल्प को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों को प्रमुख शहरों से जोड़ना और पर्यटन पैकेज बनाकर उनका प्रचार किया जाना चाहिए।

ग्रामीण पर्यटन का संबंध ज्यादातर देश के उन क्षेत्र से है जिनके बारे में खासतौर पर विदेशी पर्यटक कम ही जानते हैं। इसके दायरे में कृषि, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, रोमाचंक और पर्यावरण पर्यटन आते हैं। गांवों में अधिकतर वैसे ही पर्यटन जाते हैं जिनकी

दिलचस्पी भीड़भाड़ से दूर रहकर भारत की सभ्यता और संस्कृति को नजदीक से जानने में होती है। इसलिए ग्रामीण पर्यटन स्थलों को प्रचारित करने में सरकार का किरदार अहम है।

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही गांवों के पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एक बड़ी चुनौती है। स्थानीय आबादी और पर्यटकों को इस दिशा में शिक्षित करना बेहद जरूरी है। पर्यटन के अपने समाज पर नकारात्मक प्रभाव की निगरानी और नियंत्रण स्थानीय आबादी ही कर सकती है। लिहाजा ग्रामीणों को इस बारे में जागरूक बनाया जाए।

ग्रामीण पर्यटन में जन समुदायों की भूमिका

भारत में जिस प्रकार से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि भविष्य का भारत बेहतर होगा, लेकिन ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे प्रयासों में जन समुदायों की भागीदारी की बहुत आवश्यकता है। सरकार अपने स्तर पर काम तो करती है, लेकिन उसमें आम जन को भी अपनी सहभागिता बढ़ाने की आवश्यकता है। देश-विदेश से जो भी पर्यटक आते हैं, वहाँ के लोगों का मुख्य दायित्व है कि उनकी हर संभव मदद करें। भारत में कई जगह ऐसा भी पाया जाता है कि विदेशी पर्यटकों को देखकर लोग उन्हें ठगने की कोशिश करते हैं। अगर वे कहीं जाते हैं तो गाइड बनकर लोग

उनसे बहुत अधिक पैसा वसूलते हैं, गाड़ी, होटलों, रेस्तरां में भाड़ा बहुत अधिक वसूलते हैं।

जबकि भारत में कहा जाता है कि अतिथि देवोभव! अतिथि हमारे भगवान होते हैं, परन्तु इस तरह की वारदात से देष की पर्यटन भी काफी प्रभावित होता है तथा लोग यहां आने से कतराने लगते हैं। इस कारण जनसमुदायों की यह जिम्मेदारी है कि अगर उनके क्षेत्र के कोई भी पर्यटक आते हैं तो उनकी समुचित देखभाल की जाए, जिससे वे प्रेरित होकर पुनः वहां आएं।

रोजगार के रूप में ग्रामीण पर्यटन

पर्यटन आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। दुनिया भर में विदेशी मुद्रा का कमाई करने वाले पांच प्रमुख क्षेत्रों में पर्यटन भी एक है। योजना आयोग (अब नीति आयोग) ने इसे देष में कम दक्ष और अकुषल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र माना है। देष के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन की हिस्सेदारी लगभग 6 प्रतिष्ठत है। पर्यटन दूरदराज के और पिछड़े इलाकों में रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण साधन है।

केन्द्र सरकार बड़े पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 25 करोड़ रुपये देती है। बड़े सर्किटों के विकास के लिए उसकी ओर से 50 करोड़ रुपये की सहायता दी जाती है। अब तक 27 राज्यों और केन्द्रपासित प्रदेशों में ऐसी 40 बड़ी पर्यटन परियोजनाओं की पहचान की गई है जिनमें से 26 मंजूर भी की जा चुकी हैं।

केन्द्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। गांवों में जनजीवन, कला, संस्कृति और परम्पराओं को प्रचारित करने के मकसद से 2002–03 से ग्रामीण पर्यटन की योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग तथा प्राकृतिक परिवेष को भी बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत 29 राज्यों और केन्द्रपासित प्रदेशों में 186 ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें से 56 परियोजनाएं पूर्वतर क्षेत्र में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन विकास की छोटी परियोजनाओं के लिए 5 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता का प्रावधान है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण पर्यटन के लिए 55.40 करोड़ रुपये की रकम रखी गई थी।

12वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण पर्यटन समूह परियोजना का प्रावधान किया गया है। इसके तहत गांवों के समूहों को पर्यटन उत्पादन के तौर पर विकसित किया जाएगा। इस योजना के तहत 35 पर्यटन समूहों की पहचान की गई है जहां ढांचागत विकास के लिए मिष्न के रूप में काम किया जाएगा। इन पर्यटन

समूहों को सरकारी-निजी भगीदारी के आधार पर विकसित किया जाएगा।

पर्यटन मंत्रालय ने 12वीं योजना के तहत 23 हजार करोड़ रुपये की मांग की है। यह रकम 11वीं योजना के पांच हजार 156 करोड़ रुपये के आवंटन से 17844 करोड़ रुपये अधिक है। राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद ने मौजूदा योजना में पर्यटन विकास के लिए एक रणनीति तैयार की है। इसके तहत हर राज्य में चार-चार पर्यटन स्थलों या सर्किटों और दो-दो समूहों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किए गए हैं।

अब तक विष्व पर्यटन उद्योग में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम रही है। दुनिया भर में पर्यटन से होने वाली आय में भारत की हिस्सेदारी मात्र 5.72 प्रतिष्ठत है। दुनिया भर में पर्यटकों की आवाजाही में भारत की हिस्सेदारी मात्र 0.64 प्रतिष्ठत है। 12वीं योजना के दौरान इसे बढ़ाकर एक प्रतिष्ठत करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगभग 12.4 प्रतिष्ठत की सालाना वृद्धि दर हासिल करनी होगी। इस क्षेत्र में अगले दो बरसों में तकरीबन ढाई करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस समय पर्यटन से लगभग पांच करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। इसके अगले दो बरसों में बढ़कर आठ करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की संभावना है। एसोचैम द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2019 तक पर्यटन क्षेत्र की विकास दर 8.8 प्रतिष्ठत हो जाएगी। इस विकास दर की बढ़ौलत अगले 5 वर्ष में भारत पर्यटन के क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा।

18 से 28 वर्ष के युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न किस्मों की दक्षताओं से लैस करने के मकसद से केन्द्र सरकार ने 2010 में 'हुनर से रोजगार' कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम के तहत हाउसकीपिंग, स्थानीय खानपान, ड्राइविंग और बेकरी जैसे विभिन्न विषयों में दो-दो महीनों के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। 'हुनर से रोजगार' पाठ्यक्रमों का पूरा खर्च केन्द्र सरकार उठाती है।

इस प्रकार देखा जाए तो ग्रामीण पर्यटन हर दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। खासकर ग्रामीण लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में काफी अहम योगदान देता है।

व्याख्याता

गृह विज्ञान विभाग,
आर.के. कॉलेज, मधुबनी

ई-मेल : savitakumari470@yahoo.com



गांवों में उभरता अतुल्य भारत

—सुभाष सेतिया

ग्रामीण पर्यटन वास्तव में ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण कुंजी साबित हो रहा है। आज के सूचना क्रांति के युग में संचार-तंत्र के विस्तार के बिना अन्य पर्यटन सुविधाएं फीकी हैं। संयोगवश सरकार ने पहले से ही गांवों में सूचना तंत्र के विस्तार की महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रखी हैं। ब्राडबैंड, मोबाइल, टेलीविजन, एफ.एम रेडियो तथा अन्य संचार सुविधाओं की पहुंच ने गांवों में पर्यटकों का आना-जाना और रहना सुविधाजनक बना दिया है।

एक समय था जब पर्यटन मन बहलाव और पुण्य कमाने की इच्छा को पूरा करने का साधन था। जिन अन्य उद्देश्यों से पर्यटन पर निकलने की परंपरा रही है उनमें रोज़गार, व्यापार और ज्ञान अर्जन शामिल हैं। इस प्रकार पर्यटन मुख्यतया व्यक्तिगत गतिविधि थी। किन्तु समय बीतने के साथ पर्यटन का दायरा बढ़ता गया और आज भारत समेत विश्व भर में पर्यटन सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक के साथ-साथ आर्थिक गतिविधि का रूप ग्रहण कर चुका है। यही कारण है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। लोगों को रोज़गार देने तथा विदेशी मुद्रा के अर्जन की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन का प्रमुख स्थान है।

भारत प्राचीनकाल से देशी-विदेशी पर्यटन का मुख्य केन्द्र रहा है। समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, अपार प्राकृतिक संपदा, देश-भर में फैले तीर्थस्थलों, ऐतिहासिक स्मारकों तथा भव्य धर्मस्थलों के कारण यह देश हमेशा पर्यटकों को लुभाता रहा है। किन्तु आजादी से पहले पर्यटन को प्रोत्साहन देने का कभी कोई संगठित प्रयास नहीं किया गया। स्वतंत्रता के बाद नियोजित

विकास का सिलसिला शुरू होने पर विकास के अन्य क्षेत्रों कृषि, उद्योग, हस्तशिल्प, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यटन को भी महत्व दिया जाने लगा। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप अब सैलानियों की पसंद माने जाने वाले स्थानों पर आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं और नए-नए स्थलों को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत को आकर्षक और मनभावन पर्यटन केन्द्र की छवि प्रदान करने के मकसद से देश-विदेश में विज्ञापनों तथा प्रचार के अन्य माध्यमों की मदद से देश को 'अतुल्य भारत' के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। 'अतुल्य भारत' की छवि के निर्माण में पर्यटन मंत्रालय अन्य अनेक सरकारी, गैर-सरकारी संस्थाओं की सहायता ले रहा है।

पिछले कुछ वर्षों से पर्यटन व्यवसाय दर्शनीय और प्राकृतिक स्थलों की सीमाएं लांघकर नए आयामों को छूने लगा है। पर्यटक, विशेषकर विदेशी पर्यटक अपने जीवन को अधिक सुखी, स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए यात्रा पर निकलते हैं। हमारे देश में स्वास्थ्य पर्यटन खूब फल-फूल रहा है। बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी

विभिन्न अस्पतालों, प्राकृतिक उपचार, आयुर्वेद एवं योग केन्द्रों में स्वास्थ्य लाभ के उद्देश्य से भारत की ओर रुख कर रहे हैं। इसी तरह हस्तशिल्प पर्यटन के नाम से नई पर्यटन गतिविधि लोकप्रिय हो रही है जिसमें देशी-विदेशी पर्यटक हस्तशिल्प के विभिन्न रूपों को समझने, देखने, सीखने और हस्तशिल्प उत्पादों के व्यापार के सिलसिले में देश के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करते हैं। पर्यटन के नए आयामों की सूची में सबसे नया नाम ग्रामीण पर्यटन का है जो गांवों को अतुल्य भारत के मानविक पर लाने के अलावा उनके चहुंमुखी विकास तथा ग्रामीण स्तर पर रोज़गार के नए





अवसर जुटाने की दिशा में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। ग्रामीण पर्यटन की दिशा में हो रही प्रगति से समूचे पर्यटन उद्योग में एक तरह की ताज़गी और आत्मीयता का संचार होता दिखाई दे रहा है।

ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा हमारे देश में अपेक्षाकृत नई है। असल में ग्रामीण पर्यटन सामान्य या परंपरागत पर्यटन का विकल्प नहीं बल्कि पूरक गतिविधि है। यह पर्यटकों के लिए उपलब्ध विविध विकल्पों को व्यापक बनाता है। ग्रामीण पर्यटन से अभिप्राय यह है कि सैलानी ऐतिहासिक स्थलों या शहरों में भव्य स्मारकों व अन्य इमारतों, समुद्र तटों, नदियों के किनारे बसे मनोरम स्थलों, पर्वतीय स्थानों और बनाच्छादित प्राकृतिक क्षेत्रों के साथ-साथ देश के ग्रामीण अंचलों में बिखरी पड़ी अनछुई प्राकृतिक छटा, सांस्कृतिक संपदा और वहां के जनजीवन के प्रदूषण मुक्त वातावरण में आनन्द ले सकते हैं। वर्ष 2002-03 में ग्रामीण पर्यटन के विकास को पर्यटन योजना का अंग बना लेने के पश्चात् पर्यटन मंत्रालय ने प्रारंभिक कदम के रूप में देश के विभिन्न भागों में 50 ऐसे स्थानों को चुना जहां पर्यटकों को लुभाने वाली कला-शिल्प, प्रकृति और संस्कृति की संपदा अपेक्षाकृत बहुतायत में मौजूद है।

यह जाना-माना तथ्य है कि विकास की दृष्टि से हमारे ग्रामीण क्षेत्र शहरों की तुलना में काफी पीछे हैं। शहरीकरण के तेज़ी से बढ़ते दायरे के फलस्वरूप उद्योग, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार आदि जैसी अधिकतर सुविधाएं शहरों के हिस्से में जाती हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से विविध कार्यक्रमों के कारण ग्रामीण जीवन में सकारात्मक सुधार आता दिखाई दे रहा है किन्तु आज भी शहरीकरण की आंधी थमी नहीं है। ग्रामीण तथा वन क्षेत्र लगातार कम होते जा रहे हैं और गांवों से पलायन के परिणामस्वरूप शहर और गांव के बीच जनसंख्या का अनुपात बदलता जा रहा है। हो सकता है कुछ दशकों बाद यह कहावत भी अप्रासंगिक लगाने लगे कि भारत गांवों में बसता है। इस तर्क के बावजूद कि शहरीकरण के विस्तार का चक्र समूची दुनिया में घूम रहा है, यह तथ्य चिंताजनक है कि हमारे देश में ग्रामीण लोग और क्षेत्र दोनों उपेक्षित हैं। ऐसे माहौल में ग्रामीण पर्यटन को अपनाने का निर्णय साहसिक और चुनौतीपूर्ण होने के साथ-साथ अनेक संभावनाओं को भी अपने में समेटे हुए है।

ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव पर्याप्त उत्साहजनक रहा है। प्रसन्नता की बात यह है कि ग्रामीण पर्यटन न केवल देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक सिद्ध हुआ है बल्कि राज्य सरकारों, स्थानीय संस्थाओं, पंचायतों और संस्कृतिकर्मियों की ओर से भी इस प्रयोग को सफल बनाने में भरपूर सहयोग मिल रहा है। ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए उन्हीं स्थानों का चयन किया गया है जहां पर्यटकों के आकर्षण के कुछ तत्व पहले से

मौजूद हैं। इनमें से कुछ स्थानों पर वास्तुशिल्प, मृत्तिकला या हस्तशिल्प आदि की धरोहर उपलब्ध हैं तो कुछ ग्रामीण अंचल ऐसे हैं जो या तो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं या जहां ऐतिहासिक महत्व के स्मारक हैं। योजना के अनुसार किसी स्थान पर पर्यटन के जो-जो तत्व मौजूद हैं उनका संरक्षण किया जाएगा, उन्हें सुधारा जाएगा तथा वहां पर्यटकों के लिए सुविधाओं तथा बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। इस प्रकार इन स्थानों पर आने वाले सैलानी जहां मनोहारी और प्रदूषणमुक्त वातावरण में समय बिताकर अपना मन बहलाव कर सकेंगे, वहां ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व के स्मारकों व भवनों के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे।

जैसाकि पहले कहा गया है कि ग्रामीण पर्यटन को परंपरागत पर्यटन के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि पूरक तत्व के रूप में अपनाया गया है। इसलिए ग्रामीण पर्यटन केन्द्रों का चयन करने में इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि वे पहले से लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के आसपास हों और पर्यटन मार्गों से जुड़े हुए हों। ज़ाहिर है यदि ग्रामीण पर्यटन केन्द्र एकदम अलग क्षेत्रों में होंगे तो वहां तक परिवहन की अपर्याप्त सुविधाओं के चलते आने-जाने में कठिनाई होगी और यात्रा तथा रहना-खाना काफी महंगा पड़ेगा। ऐसे में बहुत कम पर्यटक गांवों में जाने को प्रेरित हो पाएंगे। ग्रामीण पर्यटन विकास योजना के अन्तर्गत चुने गए इन स्थानों की यात्रा एवं प्रवास को आरामदेह बनाने के लिए आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। इस काम में स्वयंसेवी संस्थाओं, ग्राम पंचायतों और निजी क्षेत्र को भरपूर अवसर दिए जा रहे हैं।

भारत जैसे ग्राम प्रधान देश में, जहां चारों ओर सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर की अज्ञात संपदा बिखरी पड़ी है, ग्रामीण पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र भी इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए आगे आया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यू.एन.डी.पी ने ग्रामीण पर्यटन के लिए चुने गए स्थानों की विविध विशेषताओं की जानकारी के प्रसार के लिए एक साप्टवेयर तैयार किया है जो विभिन्न देशों के पर्यटन संचालकों को उपलब्ध कराया गया है। कुछ राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर भी ग्रामीण पर्यटन को लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रम शुरू किए हैं। हरियाणा पर्यटन विकास के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। ग्रामीण पर्यटन को लोकप्रिय बनाने में भी उसने अनेक प्रयोग किए हैं। राज्य के झज्जर जिले में विशुद्ध ग्रामीण वातावरण में अपनी तरह का एक अभिनव पर्यटन केन्द्र विकसित किया गया है जहां देशी-विदेशी पर्यटक निश्चित शुल्क देकर पूरा दिन रहकर ग्रामसुलभ सुविधाओं, रहन-सहन, खान-पान, गीत-नृत्य के सांस्कृतिक कार्यक्रमों और ताज़ा फल-सब्जियों का आनन्द ले सकते हैं। इसी तरह कुछ



निजी फार्म हाउसों को लाइसेंस दिए गए हैं, जहां हरियाणा की ग्रामीण संस्कृति के अनुरूप सुविधाएं विकसित की गई हैं। यहां आकर सैलानी ग्रामीण जीवन की भीनी-भीनी सुगंध के बीच आरामदेह परिस्थितियों में अपना समय बिता सकते हैं। कुछ स्थानों पर ग्रामीण पर्यावरण के अनुरूप झोपड़ीनुमा आवास भी बनाए गए हैं जहां कुछ दिन रहकर पर्यटक अपना तनाव और थकान मिटा सकते हैं। ग्रामीण रहने-सहन और खानपान के साथ-साथ इन केन्द्रों में मालिश, तैराकी, घुड़सवारी, हाथी की सवारी, साइकिलिंग, प्राकृतिक उपचार, जैसी तन-मन को तरोताज़ा करने वाली सुविधाओं की व्यवस्था रहती है। ऐसे ग्रामीण पर्यटन केन्द्रों की एक खूबी यह है कि इनमें जुटाई जाने वाली सुविधाओं के सृजन में स्थानीय संसाधनों, वस्तुओं और कला-शिल्प का इस्तेमाल किया जाता है। ये केन्द्र स्वरूप तथा वातावरण की दृष्टि से भारतीय ग्रामीण जीवन के सच्चे प्रतिरूप लगते हैं।

ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा की सार्थकता एवं प्रासंगिकता यहीं तक सीमित नहीं है। ग्रामीण अंचल में पर्यटन गतिविधियों से देश में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलने और देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या में हर वर्ष वृद्धि होने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक-सांस्कृतिक प्रगति में भी मदद मिल रही है। सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण इलाकों में रोज़गार के सृजन के रूप में हो रहा है। गांवों में सुविधाओं के निर्माण एवं सुधार से जुड़ी गतिविधियां चलने से स्थानीय लोगों को रोज़गार मिल रहा है। गांवों में धन आने से लोगों का जीवन-स्तर बेहतर बन रहा है। पंचायतों का राजस्व बढ़ रहा है जिससे स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, समुदाय भवन, खेल के मैदान जैसी सुविधाओं के निर्माण के लिए अधिक धन उपलब्ध हो रहा है।

एक और महत्वपूर्ण लाभ यह हो रहा है कि गांवों के भूले-बिसरे स्मारकों की खोज़-खबर ली लाने लगी है और जो स्मारक और धर्मस्थल लंबे समय से उपेक्षित पड़े थे, उनकी साज-संभाल की जा रही है। बहुत-सी इमारतों पर लोगों ने जाने-अनजाने कब्जा किया हुआ है। पर्यटन की बयार बहने से इन इमारतों को नाजायज कब्जे से मुक्त कराया जा रहा है और उनका पुनरुद्धार किया जा रहा है। हाल में दिल्ली सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से एक विशेष समिति गठित की है जो दिल्ली में पुराने स्मारकों, बावलियों, सरोवरों आदि को लोगों के कब्जे से छुड़ाने के उपाय करेगी। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों के सांस्कृतिक वैभव में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा पर्यटन केन्द्रों के आसपास स्थानीय कलाओं और शिल्प के विकास के नए द्वार खुल रहे हैं। ऐसे असंख्य ग्रामीण परिवार हैं जहां उच्च-स्तर के शिल्प और कलाएं वंशगत या गुरु-शिष्य परंपरा के अन्तर्गत एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं किन्तु उनका सम्यक मूल्यांकन नहीं होता और वे सभ्य समाज तक नहीं पहुंच पातीं। ग्रामीण पर्यटन में

इन कलाओं का महत्व बढ़ जाने से उन्हें तथा उनके सृजनकर्ताओं को मान्यता व सम्मान मिलने लगा है। असंख्य अज्ञात व अनाम कलाकारों व शिल्पकारों को अपने हुनर की अभिव्यक्ति के अवसर मिल रहे हैं और उनकी आय भी बढ़ रही है। इस प्रकार ग्रामीण विकास से जुड़ी गतिविधियों में वृद्धि होने से गांवों की सब तरफ से प्रगति को बढ़ावा मिल रहा है। जहां-जहां ग्रामीण विकास की दिशा में प्रगति हो रही है वहां स्थानीय लोगों का अपने क्षेत्र के प्रति लगाव और स्नेह गहरा हो रहा है। इस लगाव तथा गांवों के भौतिक विकास के फलस्वरूप गांवों से शहरों की ओर पलायन में कमी आ रही है।

ग्रामीण पर्यटन वास्तव में ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण कुंजी साबित हो रहा है। आज के सूचना क्रांति के युग में संचार तंत्र के विस्तार के बिना अन्य पर्यटन सुविधाएं फीकी हैं। संयोगवश सरकार ने पहले से ही गांवों में सूचना-तंत्र के विस्तार की महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रखी हैं। ब्राडबैंड, मोबाइल, टेलीविजन, एफ.एम रेडियो तथा अन्य संचार सुविधाओं की पहुंच ने गांवों में पर्यटकों का आना-जाना और रहना सुविधाजनक बना दिया है।

ग्रामीण पर्यटन के विकास के संबंध में कुछ सावधानियां बरतना जरूरी हैं। गांवों के लोग संवेदनशील होते हैं और उनमें अपनी धरोहर के प्रति अधिक मोह होता है। उनके साथ उनकी पारिवारिक एवं धार्मिक आस्थाएं भी जुड़ी होती हैं। इसलिए सांस्कृतिक व ऐतिहासिक स्मारकों के पुनरुद्धार के प्रयास सोच-समझ कर किए जाने चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी समुदाय या वर्ग की भावनाओं को ठेस न लगे। जाहिर है स्थानीय समाज को नाराज करके ग्रामीण पर्यटन के विकास का सपना पूरा नहीं हो सकता। स्मारकों के साज-संवार के काम में इतिहास व भूगोल के स्थानीय तथा सांस्कृतिक संगठनों के जानकारों का परामर्श अवश्य लिया जाना चाहिए।

गांवों में पर्यटन के विकास के सभी प्रयास ग्रामीण जनता को विश्वास में लेकर ही किए जाने चाहिए। ग्रामवासियों में पर्यटन तथा पर्यटकों के प्रति जागरूकता पैदा करना आवश्यक है ताकि वे 'अतिथि देवो भवः' की अपनी परंपरा के अनुरूप बाहर से आने वाले सैलानियों को आदर और सत्कार दे सकें। साथ ही स्मारकों के संरक्षण तथा वातावरण में स्वच्छता बनाए रखने के बारे में चेतना पैदा की जानी चाहिए। इसमें स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग लेना अधिक उपयोगी हो सकता है। ग्रामीण पर्यटन वास्तव में एक अभिनव अभियान है जो गांवों में भौतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक समृद्धि लाकर ग्रामीण भारत को 'अतुल्य भारत' का रूप देने में सक्षम है।

(लेखक भारतीय सूचना सेवा से सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी हैं।)

ई-मेल : setia_subhash@yahoo.co.in

मृदा स्वास्थ्य कार्ड : वक्त की जरूरत

— डॉ. चौरेढ़ कुमार

भूमि की उर्वराशक्ति और मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए किसान भाईयों को 3-4 वर्ष में एक बार अपने खेतों का मृदा परीक्षण अवश्य करा लेना चाहिए। खेत की मिट्टी की जांच के आधार पर ही खादों एवं उर्वरकों की मात्रा सुनिश्चित करें। इससे मृदा स्वास्थ्य और उर्वराशक्ति में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही उर्वरकों के अनावश्यक प्रयोग पर भी रोक लगेगी। मृदा परीक्षण से यह पता लग जाता है कि किसी विशेष खेत की मिट्टी में कौन-कौन से पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हैं और किन-किन पोषक तत्वों की कमी है। पोषक तत्वों के साथ-साथ मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा का भी ज्ञान हो जाता है। इसके अलावा खेत की अम्लीयता व क्षारीयता का भी पता चल जाता है।

मृदा नमूने हमेषा रबी या खरीफ फसलों की कटाई उपरान्त लेने चाहिए। मिट्टी का नमूना लेकर अपने नजदीकी कृषि विष्वविद्यालय, कृषि अनुसंधान केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषकों व इको इत्यादि के मृदा परीक्षण केन्द्रों में भेज दें। इन केन्द्रों पर मिट्टी की जांच सामान्यतः मुफ्त की जाती है। मृदा परीक्षण से यह पता लग जाता है कि किसी विशेष खेत की मिट्टी में कौन-कौन से पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हैं और किन-किन पोषक तत्वों की कमी है। पोषक तत्वों के साथ-साथ मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा का भी ज्ञान हो जाता है। इसके अलावा खेत की अम्लीयता व क्षारीयता का भी पता चल जाता है। गत कई दशकों से सधन फसल प्रणाली के कारण मृदा का अनुचित व अत्यधिक दोहन किया जा रहा है जिस वजह से मृदा में अनेक समस्याएं आ रही हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के अत्यधिक व असंतुलित प्रयोग के कारण मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आयी है जो हम सब के लिए चिन्ता का विषय है। अतः उर्वरकों के संतुलित प्रयोग और पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से इन दिनों मिट्टी की जांच पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने देष के प्रत्येक किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉयल हेल्थ कार्ड

उपलब्ध कराने के लिए एक योजना शुरू की है।

किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मुहैया कराने के लिए केंद्रीय बजट 2014-15 में 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके अलावा देषभर में 100 सचल मृदा परीक्षण प्रयोगषालाएं स्थापित करने के लिए 56 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यदि पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाष, सल्फर, मैग्नीशियम व कैल्शियम सहित अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों को बचाकर उनका समुचित उपयोग फसल व मृदा उत्पादकता बढ़ाने में किया जाए तो देष व किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। देषभर में स्थापित प्रयोगषालाओं में मिट्टी की जांच के बाद प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर किसानों को रासायनिक उर्वरकों एवं अन्य पोषक तत्वों का प्रयोग करने की सलाह दी जाएगी। सॉयल हेल्थ कार्ड में मृदा के विभिन्न मानकों जैसे कार्बनिक कार्बन, पी.ए.च. मान, उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाष का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जाता है। यानी मृदा में जिस तरह की समस्या हो उसी तरह का निदान किया जाता है।

मृदा एक अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। खेती का मूल ही मिट्टी एवं पानी है। इन दोनों का योग अच्छी फसल की गारंटी देता है। दोषपूर्ण कृषि क्रियाओं के कारण भूमि के स्वास्थ्य एवं उपजाऊपन में कमी, फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी, ग्लोबल वार्मिंग व मौसम की विषमताएं सामने आ रही हैं। कृषकों में ज्ञान की कमी और अपर्याप्त कृषि प्रसार से यह समस्या ओर भी गंभीर होती जा रही है। भविष्य में कृषि भूमि के क्षेत्रफल के बढ़ने की सम्भावना नगण्य है। अतः निकट भविष्य में खाद्यान्न उत्पादन में और अधिक वृद्धि प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा व जल तथा कृषि इनपुटों के बेहतरीन प्रबंधन द्वारा ही संभव हो सकती है। यदि मृदा प्रबंधन की





ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया तो आगामी सदी भुखमरी, कुपोषण और भूखजनित बीमारियों से नहीं बच पाएगी।

पिछले कई वर्षों से फसलों की उत्पादकता स्थिर है अथवा घट रही है जिसका प्रमुख कारण कृषि भूमि का बिगड़ता स्वास्थ्य व घटता उपजाऊपन है। आधुनिक खेती में खाद्यान्न फसलों की बौनी, अर्ध-बौनी व संकर किस्मों, सघन कृषि प्रणाली, जैविक खादों के उपयोग में कमी, रासायनिक उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग तथा कृषि रसायनों के अत्यधिक प्रयोग का मृदा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मृदा में अत्यधिक एवं असंतुलित कृषि रसायनों के प्रयोग से मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में भी बदलाव आया है जिसका प्रभाव मृदा पर उगाई जाने वाली फसलों पर पड़ा है। निःसन्देह उपरोक्त कारकों से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है लेकिन कृषि रसायनों का मृदा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव होने से मृदा उत्पादकता कम होती जा रही है। मृदा स्वास्थ्य से आशय है कि मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशाएं फसलोत्पादन के अनुकूल बनी रहे। टिकाऊ एवं सतत उत्पादन के लिए आवश्यक है कि भूमि को स्वरूप बनाए रखा जाए जिससे हम वर्तमान जनसंख्या की खाद्यान्न आपूर्ति के साथ-साथ भविष्य की संततियों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रख सके।

बिगड़ते मृदा स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार कारक

खेती में फसल अवधेष्ठों का कम प्रयोग

साधारणतया किसान भाई फसल उत्पादन में फसल अवधेष्ठों के योगदान को नजरअंदाज कर देते हैं। उत्तर-पश्चिम भारत में धान-गेहूं फसल चक्र के अन्तर्गत फसल अवधेष्ठों का प्रयोग आम बात है। कृषि में मणीनीकरण और बढ़ती उत्पादकता की वजह से फसल अवधेष्ठों की अत्यधिक मात्रा उत्पादित होती जा रही है। फसल कटाई उपरान्त दाने निकालने के बाद प्रायः किसान भाई फसल अवधेष्ठों को जला देते हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ-साथ देष के अन्य भागों में भी यह काफी प्रचलित है। फसल अवधेष्ठों के जलाए जाने से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण प्रदूषण तो बढ़ता ही है। साथ ही धुएं की वजह से हृदय और फेफड़े से जुड़ी बीमारियां भी बढ़ती हैं। धुएं में कार्बन-डाई-आक्साइड, कार्बन-मोनो-आक्साइड और पार्टिकुलेट जैसे हजारों हानिकारक तत्व मिले हो सकते हैं जिनमें व्यक्ति की सेहत को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। फसल अवधेष्ठों का खेती में प्रयोग करके मृदा में कार्बनिक कार्बन की मात्रा में सुधार किया जा सकता है। इसी प्रकार सब्जियों के फल तोड़ने के बाद इनके तने, पत्तियां और जड़ें खेत में रह जाती हैं जिनको जुताई करके मृदा में दबाने से

मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है। फसल अवधेष्ठों में खलियां, पुआल, भूसा व फार्म अपषिष्ट प्रमुख हैं। नीम की निबौली एवं नीम की खली से पोषक तत्व तो मिलते ही हैं। साथ ही, विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीटों को भी नष्ट करती हैं। यद्यपि फसल अवधेष्ठों का पोषक तत्व प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है, परन्तु अधिकांशतः फसल अवधेष्ठों को खेत में जला दिया जाता है या खेत से बाहर फेंक दिया जाता है। फसल अवधेष्ठ पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के साथ-साथ मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं पर भी अनुकूल प्रभाव डालते हैं। फसल अवधेष्ठ क्षारीय मृदाओं के पी.एच. को कम करके उन्हें खेती योग्य बनाने में भी मदद करते हैं।

दोषपूर्ण सिंचाई प्रणाली

हमारे देश में बिगड़ता मृदा स्वास्थ्य चिन्ता का विषय बना हुआ है। इसके लिए सिंचाई की दोषपूर्ण प्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। आज किसान भाई देश के कई हिस्सों में सिंचाई जल का प्रयोग बिना सूजाबूझ के कर रहे हैं। परिणामस्वरूप खेती में उत्पादन लागत तो बढ़ती ही है साथ ही मृदा स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सिंचाई जल के अधिकांश व अनियंत्रित प्रयोग से जल ठहराव, मृदा लवणीयता, पोषक तत्वों का ह्वास, मृदा की घटती उर्वराशक्ति व मृदा कटाव जैसी समस्याएं आ रही हैं। खेत के जिस हिस्से में सिंचाई जल अधिक समय तक भरा रहता है, उस हिस्से की भौतिक दशा खराब हो जाती है। मृदा संरचना बुरी तरह से क्षत-विक्षत हो जाती है। अन्ततः मृदा उत्पादकता व उर्वरता में काफी कमी आ जाती है।

मृदा का अनुचित व अत्यधिक दोहन

वर्तमान में सघन फसल प्रणली के अन्तर्गत मृदा के अनुचित व अत्यधिक दोहन के कारण मृदा उर्वरता घटती जा रही है जिसका फसलों की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रत्येक फसल के बाद भूमि में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, जिनकी क्षतिपूर्ति करना अति आवश्यक है अन्यथा मृदा की उर्वराशक्ति, मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता में कमी आ जाती है। फसलों की अधिक पैदावार देने वाली बौनी, अर्धबौनी व संकर किस्मों की निरन्तर खेती के कारण मृदा में नाइट्रोजन, फार्स्फोरस व पोटाश का अनुपात बिगड़ता जा रहा है। फसलों को विभिन्न पोषक तत्वों की अलग-अलग मात्रा में आवश्यकता होती है। किसी एक पोषक तत्व की कमी को दूसरे तत्व की आपूर्ति से पूरा नहीं किया जा सकता है। उत्तर-पश्चिम भारत में धान-गेहूं फसल चक्र के अन्तर्गत न केवल मृदा में कार्बनिक कार्बन की मात्रा कम हो जाती है बल्कि कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जिंक,

लोहा व बोरान की भी कमी होती जा रही हैं।

खेती में कृषि रसायनों का बढ़ता प्रयोग

पिछले कई दशकों में खेती में विषैले कृषि रसायनों जैसे उर्वरकों, शाकनाशियों, व्याधिनाशियों, कीटनाशियों व पादप-नियामकों का अत्यधिक व असंतुलित प्रयोग किया जा रहा है। फलस्वरूप मृदा स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। उपर्युक्त रसायनों के प्रयोग से खरपतवार, कीट व रोग तो नियंत्रित हो जाते हैं, परन्तु इन जहरीले कृषि रसायनों का मृदा के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जिससे मृदा उर्वरता कम हो जाती है। किसानों को इन रसायनों के प्रयोग की सही जानकारी नहीं होने के कारण आज उर्वर भूमि बंजर भूमि में तबदील होती जा रही है। साथ ही, मिलावटी व नकली कृषि रसायनों के प्रयोग से भी मृदा स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। खेती में प्रयोग हो रहे इन रसायनों के अत्यधिक प्रयोग का प्राकृतिक संसाधनों-भूमिगत जल, सतही जल, मृदा, जीव-जन्तुओं और पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। फसलोत्पादन में मुख्यतः नाइट्रोजन प्रदान करने वाले रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग करने से मृदा में कुछ द्वितीयक व सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही, फसलों की गुणवत्ता और पैदावार में भी गिरावट आ रही है।

निम्न गुणवत्ता वाला सिंचाई जल

जैविक खादों का कम प्रयोग

आजकल कृषि में पशुधन की संख्या में कमी होती जा रही है। पहले खेती की डोर बैलों पर निर्भर थी। खेती का मशीनीकरण हो जाने से पूरे-पूरे गांव में बैलों की जोड़ी देखने को नहीं मिलती है जिससे खेतों में गोबर की खाद व पशुओं के मलमूत्र का बहुत कम प्रयोग हो रहा है। परिणामस्वरूप मृदा में जीवांश पदार्थ की कमी होती जा रही है। साथ ही फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश व फसल अवशेषों का बहुत कम प्रयोग हो रहा है। बहुउद्देशीय पेड़-पौधों की पत्तियों का प्रयोग किसान खाद की अपेक्षा ईंधन के रूप में कर रहे हैं। आधुनिक खेती में जैविक खादों व रसायनिक उर्वरकों का संयोजन बिगड़ता जा रहा है। कम्पोस्ट खाद व हरी खादों के स्थान पर एकल तत्व वाली उर्वरकों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है जिसका सीधा दुष्प्रभाव मृदा स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इस प्रकार मृदा में जीवांश पदार्थ की कमी होने से अनेक लाभकारी जीवाणुओं की संख्या में कमी होती जा रही है। ये लाभकारी सूक्ष्मजीव मृदा में होने वाली अपघटन व विघटन इत्यादि क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं जो

अन्ततः मृदा उर्वरता के लिए घातक सिद्ध हो रहा है।

कृषि भूमि का बिगड़ता समतल

ट्रैक्टर व भारी-भरकम मशीनों की खेती में मेड़ सुरक्षित नहीं रही जिससे वर्षा जल का अधिकांश भाग बहकर नष्ट हो जाता है। साथ ही, फसलों को दिए गए पोषक तत्वों का बड़ा हिस्सा भी वर्षा जल के साथ बहकर नष्ट हो जाता है। खेती का मशीनीकरण हो जाने की वजह से कृषि भूमि की समतलता बिगड़ती ही जा रही है जिसके फलस्वरूप दिए गए सिंचाई जल व पोषक तत्वों का सम्पूर्ण खेत में वितरण समान रूप से नहीं हो पाता है। अधिकांश किसान खेतों की समतलता के महत्व को नजरअंदाज कर देते हैं जिससे मृदा उर्वरता व उत्पादकता सम्पूर्ण खेत में एक समान नहीं रहती है। अन्ततः फसल की औसत पैदावार में गिरावट आ जाती है। कभी-कभी एक ही तरह के कृषि यंत्रों एवं एक ही गहराई पर बार-बार जुताई करने के कारण अधोभूमि में हल के नीचे कठोर परतों का निर्माण हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप मृदा में वायु और नमी के आवागमन में बाधा पहुंचती है। साथ ही, पौधों की जड़ों का विकास भी ठीक तरह से नहीं हो पाता है।

कृषि भूमि में खरपतवारों का बढ़ता प्रकोप

पिछले कई वर्षों से खरपतवारों का प्रकोप कृषि भूमि में बढ़ता जा रहा है। परिणामस्वरूप कृषि भूमि की उर्वरता व उत्पादकता कम होती जा रही है। कृषि भूमि में खरपतवारों का बढ़ता प्रकोप एक बड़ी समस्या है जो स्वतः ही विभिन्न समस्याओं को जन्म देती है। ये खरपतवार फसल में दिए गए पानी और पोषक तत्वों का शोषण कर लेते हैं जिससे फसलों की गुणवत्ता, पैदावार व मृदा उर्वरता में कमी आ जाती है। इस प्रकार किसान को अपनी फसल का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है। कुछ खरपतवारों में जहरीले रसायनों की उपस्थिति के कारण मृदा में विद्यमान उपयोगी सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में काफी कमी हो जाती है जिसके अभाव में पोषक तत्वों एवं खनिज लवणों का बहुत बड़ा हिस्सा पौधों को प्राप्त नहीं हो पाता है। अन्ततः खेती योग्य जमीन की उर्वराशक्ति कम हो जाती है।

मृदा कटाव

मृदा की ऊपरी सतह बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है। इस सतह में पौधों को उगाने में मदद मिलती है। वर्षा ऋतु में अनियंत्रित पानी लाखों हेक्टेयर उपजाऊ भूमि को काट-काटकर बंजर बना रहा है। वर्षा जल के साथ हर वर्ष कई सौ मिलियन टन मिट्टी बहकर नष्ट हो जाती है जिसके फलस्वरूप मृदा उर्वरता व उपजाऊपन घटता जा रहा है। कुछ किसान भाई नहरों



या ट्यूबवैल का पानी अपने खेतों में सीधे खोल देते हैं जिसके तेज बहाव के कारण मिट्टी के कण बह जाते हैं। इस प्रकार एक ओर उर्वर भूमि का ह्वास होता है तो दूसरी तरफ कृषि उत्पादन का महत्वपूर्ण घटक सिंचाई जल बहकर नष्ट हो जाता है। किसानों की जरा-सी लापरवाही से खेतों में सैकड़ों सालों में जमा उपजाऊ मिट्टी बारिश के साथ बह जाती है। एक कृषि प्रधान देश के लिए उपजाऊ कृषि भूमि का ऐसा तिरस्कार उचित नहीं है।

हरी खादों का कम प्रयोग

सिंचित क्षेत्रों में जहां पर सघन खेती की जा रही हो, वहां आवश्यक हो जाता है कि दो-तीन वर्षों में एक बार हरी खाद की फसल जैसे सनई, ढैंचा, लोबिया, मूंग व ग्वार अवश्य उगाई जाए। जो अन्ततः सड़ने के बाद मृदा में मुख्य पोषक तत्वों के साथ-साथ द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आपूर्ति करती है। इससे भूमि की उर्वराषक्ति तो बढ़ती ही है साथ ही मृदा स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। परिणामस्वरूप अगली फसलों का उत्पादन भी अच्छा होता है। इस प्रकार भूमि की जलधारण क्षमता तथा फसलों में जल की उपलब्धता को भी बढ़ाया जा सकता है। हल्की मृदाओं में सनई तथा भारी मृदाओं, कल्लर भूमियों तथा निचले क्षेत्रों में ढैंचा की हरी खाद सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। हरी खाद के लिए सनई का 80 कि.ग्रा. तथा ढैंचे का 35-40 कि.ग्रा. बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। ढैंचा तथा सनई की बुवाई अप्रैल के अन्त से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक अवश्य कर देनी चाहिए। ऐसा करने से फसल की बढ़वार

को पर्याप्त समय मिल जाता है। मानसून आते ही फसल की मिट्टी पलटने वाले हल से मृदा में दबा देना चाहिए। इसके बाद खेत तैयार करके धान की रोपाई या अन्य खरीफ फसलों की बुवाई की जा सकती है। हरी खाद वाली फसलों की अच्छी बढ़वार के लिए 50 कि.ग्रा. फास्फोरस व 7-8 कि.ग्रा. नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर बुवाई के समय प्रयोग करना चाहिए। ढैंचा व सनई की हरी खाद वाली फसल को बुवाई के 55-60 दिन बाद तथा मूंग, उड़द व लोबिया की फसल को प्रथम तुड़ाई उपरान्त भूमि में जोत देना चाहिए।

खेत की मिट्टी की जांच कराएं

मृदा स्वास्थ्य जानने के लिए अपने खेत की मिट्टी की जांच प्रयोगशाला में करवाएं। खेत की मिट्टी की जांच के आधार पर ही खादों एवं उर्वरकों की मात्राएं सुनिश्चित करें। इससे मृदा स्वास्थ्य और उर्वराषक्ति में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही उर्वरकों के अनावश्यक प्रयोग पर भी रोक लगेगी। यह सुविधा नजदीकी कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि अनुसंधान केन्द्रों व कृषि विज्ञान केन्द्रों पर मुफ्त उपलब्ध है।

मिट्टी का नमूना लेने का तरीका

मिट्टी का नमूना लेने के लिए सम्पूर्ण खेत को छोटे-छोटे भागों में बांट लेते हैं। इसके बाद खुर्पी या फावड़े की मदद से 'वी' के आकार का 15 से.मी. गहरा गढ़ा बनाकर मिट्टी का नमूना लें। कई स्थानों से मृदा नमूना लेकर सबको एक साथ अच्छी तरह से मिलाएं। इसके बाद सम्पूर्ण नमूने को दो बराबर

मृदा स्वास्थ्य कार्ड – कृषि क्षेत्र में एक अभिनव प्रयास

देश के सभी किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए चालू वर्ष में "मृदा स्वास्थ्य कार्ड" योजना शुरू की गई है। इसके अधीन राज्यों के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित होने की संभावना है ताकि मृदा स्वास्थ्य कार्डों को ऑनलाइन जारी किया जा सके और उर्वरकों के इस्तेमाल के बारे में सुझाव दिए जा सकें। मृदा परीक्षण के परिणामों को किसानों तक पहुंचाने के लिए एसएमएस प्रणाली भी तैयार की जाएगी।

योजना के लक्ष्य और उद्देश्य

- देश के सभी किसानों को प्रत्येक 3 वर्ष में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, ताकि उर्वरकों के इस्तेमाल में पोषक तत्वों की कमियों को पूरा करने का आधार प्राप्त हो सके।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) / राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के संपर्क में क्षमता निर्माण, कृषि विज्ञान के छात्रों को शामिल करके मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के क्रियाकलाप को सशक्त बनाना।
- राज्यों में मृदा नमूनों के लिए मानकीकृत प्रक्रियाओं के साथ मृदा उर्वरता संबंधी बाधाओं का पता लगाना और विश्लेषण करना तथा विभिन्न जिलों में तालुका / प्रखंड-स्तरीय उर्वरक संबंधी सुझाव तैयार करना।
- पोषक तत्वों का प्रभावकारी इस्तेमाल बढ़ाने के लिए विभिन्न जिलों में पोषण प्रबंधन आधारित मृदा परीक्षण सुविधा विकसित करना और बढ़ावा देना।
- पोषक प्रबंधन परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए जिला और राज्यस्तरीय कर्मचारियों के साथ-साथ प्रगतिशील किसानों का क्षमता निर्माण करना।

(पसूका से साभार)

भागों में बांट लें। एक नमूने को लेकर उसे फिर दो बराबर भागों में बांट लें। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहे जब तक नमूने की मात्रा आधा कि.ग्रा. रह जाए। इस आधा कि.ग्रा. मिट्टी के नमूने को सुखाकर व छानकर साफ—सुथरी पॉलीथीन में भर लें। पॉलीथीन पर कृषक का नाम, खेत का नं. या पहचान व पूरा पता स्पष्ट रूप से लिख दें। सम्बन्धित केन्द्र 15–20 दिनों के अन्दर मृदा परीक्षण की रिपोर्ट आपके पते पर भेज देगा या स्वयं केन्द्र पर जाकर इसे प्राप्त कर लें। मृदा जांच से हमें निम्नलिखित जानकारियां मिलती हैं—

मृदा पी.एच. मान

मृदा को अम्लीय, क्षारीय या उदासीन पी.एच. मान के आधार पर विभाजित किया जाता है। मृदा पी.एच. फसलों द्वारा मृदा से पोषक तत्वों व पानी के अवशोषण को प्रमुख रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। खनिज मृदाओं का पी.एच. मान 3.5 से 10 के बीच होता है। सामान्य मृदाओं का पी.एच. मान 7.0 के आसपास होता है। जिस प्रकार विभिन्न मिट्टियों का पी.एच. अलग—अलग होता है उसी प्रकार पौधों की पी.एच. आवश्यकताएं भिन्न—भिन्न होती हैं।

मृदा में उपलब्ध पोषक तत्व

मृदा जांच से हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, आयरन व मैग्नीज की स्थिति का ज्ञान होता है। मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता पौधों के विकास व वृद्धि को सीधा प्रभावित करती है। फसलों में असंतुलित पोषण से मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों के लगातार दोहन से मृदा उर्वरता स्तर घटता जा रहा है।

कार्बनिक पदार्थों की मात्रा

यह मृदा की जलधारण क्षमता, मृदा ताप, लाभदायक जीवाणुओं की सक्रियता को बढ़ाने तथा मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण गुण है। मृदा में कार्बनिक पदार्थों की स्थिति का सीधा संबंध मृदा उर्वरता से होता है।

विद्युत चालकता

विद्युत चालकता से हमें मृदा में घुलनशील कैल्शियम, मैग्निशियम और सोडियम जैसे घनायन तथा कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट व क्लोराइड जैसे ऋणायन लवणों की प्रकृति और मात्रा इत्यादि का ज्ञान होता है। इन लवणों की अधिक मात्रा का मृदा के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

समन्वित पोषण प्रबंधन

समन्वित पोषण प्रबंधन से तात्पर्य यह है कि पौधों को पोषक

तत्व प्रदान करने वाले सभी संभव स्रोतों जैसे रासायनिक उर्वरक, जैविक खादें, जैविक उर्वरक, फसल अवशेष इत्यादि का कुशलतम समायोजन कर फसलों को संतुलित पोषण दिया जाए। ये सभी स्रोत पर्यावरण हितेषी और इनसे मुख्य पोषक तत्व भी पौधों को धीरे—धीरे व लम्बे समय तक प्राप्त होते रहते हैं। सघन फसल प्रणाली के अन्तर्गत फसलें मृदा से जितने पोषक तत्वों का अवशोषण करती है उनकी क्षतिपूर्ति मृदा उर्वरता बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। मृदा परीक्षण के आधार पर जिन मुख्य, गौण और सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जिंक, लौह, तांबा, बोरोन, माल्बिडेनम, मैग्नीज व क्लोरोरीन की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। यदि फसल अवशेष व अन्य जैविक खादों का नियमित प्रयोग होता रहे तो पौधों को इन तत्वों के अतिरिक्त पोटाश की भी कमी नहीं रहती है। फास्फोरस की कमी जीवाणु खाद द्वारा बीज का जीवाणु उपचार करके पूरी की जा सकती है।

मृदा सुधार

सफल कृषि उत्पादन के लिए लवणीय, क्षारीय व अम्लीय मृदाओं का सुधार आवश्यक है। लवणीय, क्षारीय व अम्लीय मृदाओं में पौधे भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों व जल का अवशोषण नहीं कर पाते हैं। लवणीय भूमि सुधार के लिए भूमि समतलीकरण, मेडबंदी या सिंचाई जलभराव करके घुलनशील लवणों का निकालन करें। मृदा जांच के आधार पर क्षारीय भूमि में जिप्सम, सल्फर व क्लेसाइट का प्रयोग करें। हरी खाद वाली फसलों जैसे ढैंचा, सनई व लोबिया भी क्षारीय भूमि सुधारने में उपयोगी सिद्ध हुई है। अम्लीय मृदाओं के सुधार हेतु मृदा पी. एच. के अनुसार चूने की मात्रा का प्रयोग करें।

मृदा संरक्षण

मृदा की ऊपरी उपजाऊ सतह को जल व वायु द्वारा होने वाले क्षरण से बचाना चाहिए। इसके लिए खेतों की मेडबंदी करके वर्षा ऋतु में वर्षा जल को संरक्षित कर लिया जाए। इससे क्षेत्र विशेष में भूमिगत जल स्तर भी ऊपर उठेगा। जलकटाव से होने वाले नुकसान से भी मृदा को बचाया जा सकता है। मृदा में अधिक से अधिक जैविक खादों का प्रयोग करें जिससे भूमि की जलधारण क्षमता को बढ़ाया जा सके। कृषि कार्यों में बदलाव जैसी शून्य जुताई को अपनाकर भी मृदा स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है। खेत की बार—बार जुताई करने से मृदा संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मृदा को आवरण प्रदान करने वाली फसलों जैसे मूंग, उड़द, लोबिया आदि का समावेश फसल चक्र में करने से भी मृदा को संरक्षित कर सकते हैं।

(लेखक सत्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान,
नई दिल्ली में कार्यरत हैं।)

ई-मेल : v.kumarnovod@yahoo.com

पूरे देश के लिए नज़ीर बना जयापुर गांव

— नवनीत रंजन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के जयापुर गांव को गोद लिया है। वे वाराणसी से सांसद हैं। ऐसे में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जयापुर गांव का चयन होने से यहां न सिर्फ विकास की गंगा बह रही है बल्कि यहां की सामाजिक परिस्थितियां भी बदलती नजर आ रही हैं। गांव में तैयार हो रहा अटल नगर पूरे देश के लिए अनोखा होगा। इस गांव की बेटियां स्वावलंबी बन रही हैं तो बच्चों की पढ़ाई के साथ ही उनके स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में इस गांव के लोग फूले नहीं समा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित जयापुर गांव पूरे देश के लिए नज़ीर बना हुआ है। हो भी क्यों न, इस गांव को विकास के लिए नए आयाम देने में जुटे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो गोद लिया है। प्रधानमंत्री के गोद लेते ही जयापुर गांव रातों—रात आम से खास बन गया। इस गांव में प्रवेश करते ही विकास की चकाचौंध दिखाई पड़ती है। गांव में सुंदर बेंच लगी हैं तो विकास संबंधी दूसरे कार्य भी तेजी से हो रहे हैं। इस गांव के लोगों से बातचीत करने में उनके मन की बात खुलकर बाहर आ जाती है। वे तहेदिल से प्रधानमंत्री का शुक्रिया ही नहीं जताते बल्कि यह भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस गांव को गोद लेने के बाद वे यह जान सके कि दुनिया सिर्फ गांव की चहारदीवारी में खत्म नहीं होती है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जब जयापुर गांव का दौरा किया तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह जयापुर से यह विनती करने आए हैं कि उन्हें अंगीकार करो। उन्हें सिखाओ और बताओ कि गांवों की समस्याएं किस तरह से दूर की जाती हैं। उन्होंने कहा कि एक अच्छे जन प्रतिनिधि को ग्रामीणों, उनके विशाल अनुभवों और समस्याएं सुलझाने पर उनकी अंतरदृष्टि से बहुत कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना का मतलब गांव में

अतिरिक्त धनराशि सुलभ कराना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि योजनाएं सही ढंग से क्रियान्वित की जाएं और समूचा गांव समस्याएं सुलझाने और विकास की गति बढ़ाने में भागीदार बने। प्रधानमंत्री ने कहा, हर गांव को अपना

जन्मदिन मनाना चाहिए। यह जातिवाद को खत्म करने का सर्वोत्तम तरीका है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की ओर से किए गए इस आद्वान का असर गांव में साफतौर पर दिखाई पड़ रहा है। इस गांव में ब्राह्मण, यादव, मुसहर, दलित सभी समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन पटेल एवं भूमिहार बिरादरी की बहुलता है। इसके बाद भी यहां हर व्यक्ति का आपस में बड़ा ही मेलजोल दिखाई पड़ता है।

बनारस शहर की चकाचौंध के बीच जयापुर गांव अब किसी पहचान का मोहताज नहीं है। इस गांव के बारे में रेलवे स्टेशन के गेट पर पान की दुकान सजाए शंकर चौरसिया खुले दिल से बताते हैं। कहते हैं कि पहले हमार पान खा, फिर हम पता बताइब। बड़े प्यार से वह यह भी पूछते हैं कि आखिर हम जयापुर क्यों जाना चाहते हैं। फिर अपने अंदाज में कहते हैं कि उ है जयापुर, जौउने के नरेंद्र मोदी भाई गोद लिहेन ह...। हाँ मैं हुक्कारी भरने के बाद वह गांव जाने के लिए एक सांस में पूरा रास्ता बता देते हैं। गांव जाने के लिए कहां से टैम्पो मिलेगा और कितनी दूर जाने के बाद दाएं अथवा बाएं मुड़ना सब उन्हें जुबानी याद है। खैर, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। वाराणसी कैंट से करीब 28 किलोमीटर की दूरी तय करके राजा तालाब होते गुए इस गांव में पहुंचते हैं।





इस गांव में प्रवेश करते ही गुजरात विकास मॉडल की झलक साफ दिखाई पड़ती है। गांव में सोलर प्लांट लगाने का काम शुरू हो गया है। इसके अलावा बस स्टैंड, कन्या पाठशाला, आंगनबाड़ी केंद्र को भी विकसित किया जा रहा है। मूल बात यह है कि यहां स्वच्छता हर तरफ दिखाई पड़ती है। स्वच्छता के प्रति लोगों में गजब की जागरूकता है। गांव के निवासी विजय सिंह पटेल कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री पूरे देश की सफाई में जुटे हैं तो क्या हम अपने गांव को भी साफ नहीं रख सकते। वह बताते हैं कि प्रधानमंत्री के संदेश के बाद इस गांव का हर व्यक्ति सफाई को लेकर पूरी तरह से सजग है। हर व्यक्ति अपने घर की सफाई नियमित तौर पर खुद करता है। इसके अलावा सरकारी

इमारतों एवं स्कूलों में भी नियमित तौर पर सफाई हो रही है। आगे बढ़ने पर एक अन्य निवासी जय कुमार सिंह पटेल मिलते हैं। गांव के बारे में पूछने पर बताते हैं कि सालभर पहले तक जयापुर गांव में कुछ भी नहीं था। हालांकि कुछ समय पहले संघ से जुड़े कुछ लोगों ने तमाम कार्यक्रम चलाए थे, लेकिन विकास की बात नहीं हो पाई थी। यहां बिजली, पानी और सड़क के लिए लोग मोहताज थे, आज वही गांव विकास का मॉडल बनने जा रहा है। यह सब मुमकिन हुआ है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वजह से। जयकुमार उम्मीद जताते हैं कि अब उनके गांव का कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा।

लिंगानुपात में बेहतर है जयापुर गांव

राजातालाब तहसील के जयापुर गांव का लिंगानुपात उत्तर प्रदेश राज्य के लिंगानुपात से बेहतर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जयापुर में एक हजार पुरुषों पर 930 महिलाएं हैं। गांव के 30 फीसदी लोग खेती करते हैं और 20 फीसदी खेतीहर मजदूर हैं। यहां 34.1 फीसदी आबादी कामकाजी है। साक्षरता की बात करें तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 53 फीसदी है जबकि राष्ट्रीय साक्षरता दर 73 है लेकिन जयापुर की साक्षरता दर 76.36 फीसदी है और इस गांव के 100 पुरुषों पर 62 महिलाएं

लिखना—पढ़ना जानती हैं। जयापुर की आबादी करीब चार हजार से अधिक है। यहां 2700 वोटर हैं। ग्राम प्रधान दुर्गावती देवी हैं। वह कक्षा आठ तक पढ़ी—लिखी हैं, लेकिन जब से प्रधानमंत्री उनके गांव में पहुंचे हैं तब से ग्राम प्रधान जागरूक हो गई हैं और वह गांव के हर व्यक्ति की समस्याएं गंभीरता से न सिर्फ सुनती हैं बल्कि उसके समाधान के लिए संबंधित अफसरों के पास भी ले जाती हैं। वह बताती हैं कि जिस दिन गांव की सभी महिलाएं शिक्षित हो जाएं और बालिकाएं उच्च शिक्षा हासिल करने लगेंगी उसी दिन उनका सपना साकार हो जाएगा। जयापुर गांव प्रधान के प्रतिनिधि नारायण पटेल कहते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि उनके गांव का नाम भारत ही नहीं पूरी दुनिया में पहुंच गया है। गांव

प्रधानमंत्री के गोद लेने के बाद तो इस गांव में न सिर्फ विकास कार्य हो रहे हैं बल्कि सामाजिक सौहार्द भी बढ़ गया है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रधानमंत्री के गांव गोद लेने के बाद जयापुर में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। इस गांव की तस्वीर पूरी तरह से बदलती जा रही है। बदलाव का यह असर सिर्फ विकास कार्यों की वजह से नहीं है बल्कि लोगों का कांफिडेंस लेवल भी बढ़ा है। लोगों में कुछ कर गुजरने का उत्साह दिखता है तो गांव में हर तरफ विकास की नई पटकथा लिखी जा रही है।

की सड़कें, पीने के पानी की व्यवस्था और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गांव के लोगों की आवागमन की दिक्कतें भी जल्द खत्म हो जाएंगी। एक बस चलने लगी है। इस गांव में एक और मिनी बस मौजूद रहेगी जो प्रतिदिन गांव के लोगों को लेकर मुख्य मार्ग तक जाएगी।

अटल नगर में आधुनिक सुविधाएं

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर जयापुर गांव में ही अटल नगर बसाया गया है। इसे बनाने का काम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन से शुरू किया गया है, इसलिए इसका नाम अटल नगर रखा गया है। यहां करीब 14



वनवासी परिवारों को आधुनिक सुविधाएं देने का पूरा प्रयास किया गया है। इस छोटे से नगर में प्रवेश करते ही सामने भव्य मंदिर मिलेगा। इस नगर में करीब 14 वनवासियों के परिवारों के लिए फ्लैट की सुविधा है। वन रूम के पक्के मकान में हर सुविधाएं मौजूद हैं। इस प्रोजेक्ट पर एक करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं और इसे तैयार करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है महाराष्ट्र की कंपनी अलाना एंड संस प्राइवेट लिमिटेड को। अटल नगर में कई खास चीजें हैं। पूरा नगर रात में सोलर लाइटों की दुधिया रोशनी से जगमगाए, इसके लिए यहां सोलर लाइटें लगी हैं। यहां के लोगों को पानी के लिए किसी तरह की दिक्कत नहीं उठानी होगी क्योंकि ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि लोगों को 24 घंटे पानी मिले। अटल नगर में साक्षरता क्लासेज और गार्डन भी बने हैं। बच्चों की पढ़ाई के साथ ही उनके खेलने एवं लोगों को सुबह-शाम टहलने के लिए गार्डन की सुविधा विकसित की जा रही है। अटल नगर में रहने वालों को कामधंधे की तलाश में इधर-उधर न भटकना पड़े, इसके लिए कुटीर उद्योगों की भी यहां व्यवस्था की जा रही है। इस कुटीर उद्योग में महिलाओं की भूमिका सर्वोपरि है। उन्हें कालीन बुनाई सहित विभिन्न तरह के प्रशिक्षण दिए गए हैं। यहां रहने वाले 14 वनवासियों के परिवार के बच्चों की पढ़ाई का पूरा इत्तजाम है। उनका बैंक अकाउंट खुलवाने के साथ ही राशनकार्ड भी बनवाया जा चुका है। अटल नगर के वनवासियों की बेटी की शादी में होने वाले खर्च के लिए अभी से इंतजाम किया जा रहा है। इसके लिए सागवान के पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। बाद में इन पेड़ों से मिलने वाले पैसे से ही वनवासियों के बच्चों की शादी होगी।

गांव में बने हाईटेक शौचालय

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर से गोद लिए गए जयापुर गांव में हर परिवार के बीच शौचालय बनेगा। इस गांव में करीब 450 शौचालयों का निर्माण शुरू हो गया है। बाकी शौचालयों को भी बनाया जा रहा है। इस गांव में बायो टायलेट भी बन रहे हैं। इन्हें बनाने की जिम्मेदारी कोलकाता की प्रिस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड नामक कंपनी ने ली है। यहां करीब 10 बायो

टायलट बन रहे हैं। इनके नीचे एक हिस्से में मलमूत्र एकत्रित किया जाएगा और वहीं पर बायोरेस्टर कीड़ा अपना कार्य करेगा। बायोरेस्टर कीड़ों को मलमूत्र इत्यादि खाने की आदत है।

धूम्रपान निषेध अभियान

जयापुर गांव में हर तबके के लोग रहते हैं। ऐसे में अधिकतर लोग धूम्रपान की गिरफ्त में हैं। ऐसे लोगों को धूम्रपान से छुटकारा दिलाने के लिए अभियान भी शुरू हो गया है। ग्रामीणों की बैठक में धूम्रपान का विरोध किया जा रहा है। लोगों को समझाया जा रहा है कि धूम्रपान से किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव के तमाम लोगों ने जागरूकता अभियान की वजह से धूम्रपान छोड़ दिया है, जबकि कुछ लोग इसे छोड़ने की कोशिश में जुटे हैं। ग्रामीणों के बीच हर सप्ताह ऐसा कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें उन्हें धूम्रपान से होने वाले नुकसान से अवगत कराते हुए इसे छोड़ने के प्रति जागरूक किया जाता है।

खेलकूद

गांव के बच्चों के बीच विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है ताकि वे स्वस्थ होने के साथ ही उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित हो सके। खासतौर से





छह से 18 साल की उम्र वाले बच्चों की अलग-अलग खेल से संबंधित टीमें तैयार की जा रही हैं। बच्चों को व्यायाम कराने के साथ ही योग का भी अभ्यास कराया जाता है।

मिड डे मील का स्वाद सुधरा

अब तक सुख-सुविधाओं से महसूस रहे जयपुर प्राथमिक स्कूल के बच्चों को अब स्वाद वाला मिड डे मील मिलने लगा है। स्कूल में शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हुआ है वहीं मेन्यू के अनुरूप मिड डे मील दिया जा रहा है। ग्रामीण रमेश कुमार बताते हैं कि जयपुर में आए दिन किसी न किसी अधिकारी का दौरा होता रहता है। अधिकारी विकास कार्य देखने आते हैं, लेकिन उसकी आड़ में दूसरी व्यवस्थाएं भी सुधर रही हैं। मिड डे मील बनवाने वालों को डर रहता है कि कहीं चेक न कर लिया जाए। इस वजह से अब यहां नियमित तौर पर मेन्यू के अनुरूप ही मिड डे मील बन रहा है।

जयपुर में सड़कों पर बिछेंगी डिजाइनर ईंट

सांसद आदर्श ग्राम योजना में शामिल जयपुर की सड़कें रंगीन होंगी। यहां की सड़कों पर रंगीन और डिजाइनर ईंटे

बिछाने की तैयारी चल रही है। यह ईंटे गांव में ही तैयार की जा रही हैं। गुजरात की कंपनी तापी ब्लॉक ने गांव में ही ईंट बनाने के लिए अस्थायी प्लांट लगा रखा है। एक दिन में आठ हजार ईंटें तैयार हो रही हैं। बताया जाता है कि ये ईंटें गुजरात में पहले प्रयोग की गई थी। जहां इन्हें काफी बेहतर माना गया और वे 40 टन भार सहन करने की क्षमता रखती हैं। वहां मिली सफलता को देखते हुए इन ईंटों को जयपुर में भी लगाने की योजना है ताकि एक बार इंटरलाइंग सड़क बने तो दोबारा किसी तरह की दिवकरत न आए।

रोजगार की बढ़ी आस

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गोद लेने के बाद जयपुर गांव में रोजगार की आस भी बढ़ गई है। काफी समय से इस शहर से उस शहर में भटक रहे लोग गांव लौटते हैं तो यहां की चकाचौंध में खो जाते हैं। गांव निवासी संजय बताते हैं कि वह दिल्ली से कुछ दिन पहले लौटे हैं, अब यहीं कामधंधा करेंगे। रोजगार के लिए गांव में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलने वाला है। जब उन्हें गांव के आसपास ही रोजगार मिल जाएगा तो दूसरी जगह क्यों जाएंगे। कुछ ऐसा ही बताते हैं रमाशंकर व रामकिशोर भी। उन्हें भी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल गांव में ही उन्हें कोई न कोई रोजगार मिल जाएगा। फीटर ट्रेड में आईटीआई की डिग्री लेने वाले विकास भी दिल्ली से लौट आए हैं। अब वह अपने गांव के आसपास ही रोजगार तलाश रहे हैं।

बेटियां भरने लार्गी उड़ान

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गोद लिए गांव जयपुर में बेटियां उड़ान भरने लगी हैं। वे अपने पैरों पर खड़ी होने को बेताब हैं। तमाम बेटियां ऐसी हैं, जो खुद पुरुषों से दो कदम आगे चल रही हैं। वे न सिर्फ उच्च शिक्षा हासिल करके अपना भविष्य सुधार रही हैं बल्कि स्वर्णिम भारत के विकास में अपना योगदान भी दे रही हैं। पहले इस गांव की बच्चियों को पढ़ने के लिए करीब आठ किलोमीटर पैदल अथवा साइकिल से जाना पड़ता था। इसके बाद वे मेन रोड से सिटी बस पकड़कर स्कूल जा पाती थी। अब गांव से ही बस चलती है और इस बस को चलाती भी हैं बेटियां। इन्हें बाकायदा प्रशिक्षण भी दिया गया है।

(लेखक अजीज़ प्रेमजी फाउंडेशन से जुड़े हैं एवं स्वतंत्र लेखन में सक्रिय हैं)
ई-मेल : navneetranjn955@gmail.com

आगामी अंक

अगस्त, 2015 – वित्तीय समावेशन की ओर

August 2015- Towards Financial Inclusion

इंडिया/भारत 2015 संदर्भ वार्षिकी आसानी से डाउनलोड की जाने वाली ई-बुक के रूप में उपलब्ध

देश से संबंधित विश्वसनीय, प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी लेने के इच्छुक लोगों के लिए शुभ समाचार। प्रतिष्ठित संदर्भ वार्षिकी इंडिया एवं भारत 2015 अब आसानी से डाउनलोड की जा सकने वाली ई-पुस्तकों के रूप में भी उपलब्ध हैं। ये पुस्तकों जो प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा पिछले 59 वर्षों से लगातार प्रकाशित की जा रही हैं, राष्ट्रीय प्रगति और कल्याण के लिए भारतीयों द्वारा किए गए बहुआयामी प्रयासों की साक्षी हैं। इस संदर्भ वार्षिकी ने काफी लंबे समय से देश में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वालों को ज्ञान का सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। अब ई-पुस्तकों के रूप में ये और अधिक प्रयोक्ता अनुकूल होंगी तथा डिजिटल मोड में संदर्भ सामग्री के रूप में अधिक अभिगम्य होंगी।





7 मई, 2015 को नई दिल्ली में इंडिया 2015 और भारत 2015 का विमोचन करते समय माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि इन प्रकाशनों के ई-मोड पर उपलब्ध होने डिजिटल माध्यम के प्रयोक्ता भारत से संबंधित जानकारी के खजाने का अधिकाधिक उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि स्वयं को डिजिटल मोड पर लाकर प्रकाशन विभाग पब्लिकेशन इंडस्ट्री में हो रहे समकालीन परिवर्तनों के समकक्ष पहुंच गया है।

ये ई-पुस्तकों तकनीकी

रूप से उत्कृष्टम अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के अनुरूप हैं और प्रकाशित पुस्तकों की प्रतिकृति हैं। ई-इंडिया/ई-भारत 2015 सोशल मीडिया पर आसानी से शेयर करने में सुविधाजनक होने के साथ इनमें बेहतर संप्रेषण के लिए विविध पाठक अनुकूल विशेषताएं भी हैं जैसे हाइपरलिंक्स, हाइलाइटिंग, बुक मार्किंग और इंटर एक्टिविटी। इन पुस्तकों में विषय वस्तु, संदर्भ, अच्छी पठनीयता, निश्चित बैकअप और रिट्रीवल जैसी पाठक अनुकूल विशेषताएं मौजूद हैं। साथ ही, चूंकि परीक्षा के लिए तैयारी करने वाले युवाओं, अन्यों, विश्लेषकों आदि के पास प्रकाशित पुस्तकें प्राप्त करने की प्रतीक्षा करने का समय नहीं होता, ई-पुस्तकें इसलिए एक अच्छा विकल्प हैं।

ये ई-पुस्तकें अग्रणी ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों गूगल प्ले बुक्स और पिलपार्ट पर 263 रुपये में उपलब्ध हैं जिन पर वे और छूट भी दे सकते हैं। ये डाउनलोड करने में आसान हैं— ई-रिटेलर की वेबसाइट पर जाकर इंडिया ईयर बुक के लिए सर्च करें। शेष प्रक्रिया बहुत ही आसान है। ई-बुक्स के लांच के साथ ही अब लोग हमारे देश व सरकारी कार्यक्रमों से संबंधित विश्वसनीय जानकारी अति प्रामाणिक स्रोत से शीघ्र और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये ई-पुस्तकें विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में उनके लिए महत्वपूर्ण हैं, जहां प्रकाशित पुस्तकों की बिक्री और वितरण एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है।



आर. एन. आई./708/57

डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2015-17
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2015-17
2 जून 2015 को प्रकाशित एवं 5-6 जून 2015 को डाक द्वारा जारी

R.N.I./708/57

P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2015-17
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2015-17
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.



प्रकाशक और मुद्रक : डॉ. साधना राचत अपर महानिदेशक एवं प्रभारी, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110020 : वरिष्ठ संपादक : कैलाश चन्द मीना